


“उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में  
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान :  
जौनपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में”



वाणिज्य में  
डी० फिल० उपाधि हेतु  
प्रस्तुत शोध ग्रन्थ

द्वारा  
विनोद कुमार पाण्डेय  
शोध छात्र

निर्देशक  
डॉ० प्रदीप जैन  
उपाचार्य

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद  
2001

# अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i - iv
अध्याय 1	प्रस्तावना	1-15
अध्याय 2	उत्तर प्रदेश का परिदृश्य	16-45
अध्याय 3	भारत मे बैकिग	46-66
अध्याय 4	ग्रामीण वित्त व्यवस्था एवं स्रोत	67-98
अध्याय 5	भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	99-127
अध्याय 6	उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	128-146
अध्याय 7	जनपद जौनपुर का परिदृश्य	147-171
अध्याय 8	जनपद—जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान	172-198
अध्याय 9	निष्कर्ष एवं सुझाव	199-209
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	i-ix
	प्रश्नावली	x-xv

# प्राक्कथन

इस परिवर्तनशील ससार में परिवर्तन तो अवश्यंभावी प्रक्रिया है जो निरन्तर होती रहती है, परन्तु परिवर्तन की गति भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह इतनी तीव्र गति से होती है कि समय की सीमाओं को लाघ जाती है, तो कहीं इतनी धीमी गति से होती है कि लगता है कि वक्त ही ठहर सा गया हो।

बैंकिंग व्यवस्था भी इसी प्रकार इतनी तीव्र गति से बदल रही है कि बैंकिंग का स्वरूप ही परिवर्तित होता जा रहा है। परन्तु बैंकिंग के क्षेत्र में ग्रामीण बैंकिंग की गति को वह दिशा व गति नहीं मिल पाई है जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण विकास में निःसन्देह उल्लेखनीय कार्य किया है परन्तु कृषि पर बढ़ते दबाव के प्रति हमें समय रहते ही सचेत होना होगा। कृषकों को उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक दवाइयों खरीदने, मजदूरी और लगान का भुगतान करने, भूमि में आधार्मिक सुधार करने, पुराने ऋणों को समाप्त करने आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्रोत ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यदि वित्त की समुचित व्यवस्था कर दी जाय तो ग्रामीण क्षेत्र तीव्र गति से विकसित हो सकेंगे और देश के आर्थिक विकास में सहायक होंगे।

सम्पूर्ण देश का आर्थिक विकास तभी सम्भव है जबकि निचले स्तर से विकास योजनाएँ बनायी जायें। इस शोध कार्य का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के योगदान का अध्ययन करना और ऐसे प्रभावशाली सुझाव देना है, जिससे यह ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में पूर्ण योगदान देकर विकास के लक्ष्य को पूरा करा दे।

इस शोध ग्रन्थ को नौ अध्यायों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अध्याय में गहन एवं आलोचनात्मक अध्ययन करके ऐसे प्रभावशाली तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की दोषपूर्ण वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। इसका प्रथम अध्याय प्रस्तावना है। इस अध्याय में विकास का अर्थ, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक परिवर्तन तथा भारत में बैंकिंग विकास और परिकल्पना तथा शोध विधि, अध्ययन क्षेत्र एवं शोध की सीमाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

दूसरा अध्याय उत्तर प्रदेश का परिदृश्य है। इस अध्याय में उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य का परिचय कराया गया है। तृतीय अध्याय में भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है तथा अनुसूचित व्यवसायिक बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चतुर्थ अध्याय ग्रामीण वित्त व्यवस्था एवं स्रोत का है जिसके अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि वित्तीय आवश्यकता एवं प्रकार तथा कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों का वर्णन किया गया है। पंचम अध्याय भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उद्देश्य तथा कार्य, जमाओं तथा अग्रिमों का विस्तृत अवलोकन किया गया है।

षष्ठम अध्याय उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित है। इसमें उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उद्देश्य, कार्य, जमाओं तथा अग्रिमों का वर्णन किया गया है। सप्तम अध्याय जनपद—जौनपुर का परिदृश्य है। इसके अन्तर्गत जनपद की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समीक्षा को मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया गया है तथा जनपद से सम्बन्धित जनसंख्या, रोजगार एवं वित्तीय आकड़ों को दर्शाया गया है।

अष्टम् अध्याय जनपद जौनपुर के विकास मे गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान से सम्बन्धित है जो इस शोध अध्ययन का मूल बिन्दु है। इस अध्याय मे गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा जनपद जौनपुर के विभिन्न क्षेत्रो मे विकास हेतु उपलब्ध कराये गये वित्त का विस्तृत वर्णन किया गया है। अन्तिम अध्याय मे निष्कर्ष एव सुझाव जो गहन सर्वेक्षण के द्वारा ज्ञात हुए है को प्रस्तुत किया गया है।

मैं सर्वप्रथम अपने **शोध निर्देशक मृदुभाषी डॉ. प्रदीप जैन उपाचार्य वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद** के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ जिनके अमूल्य निर्देशन, दुर्लभ स्नेहशीलता, सहयोग एव प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही मैं अपने इस कार्य को पूर्ण कर सका।

मैं वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रो पी.सी. शर्मा का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने विषम परिस्थितियो मे मार्गदर्शन करते हुए शोधकार्य शीघ्र सम्पन्न करने हेतु मेरा अदम्भ उत्साह वर्द्धन किया।

मैं डा जगदीश नारायण मिश्रा उपाचार्य वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने सदैव अपने आर्शीवचनो से अभिसिचित कर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

मैं आदरणीय प्रो एस.पी सिंह, प्रो. के.एम. शर्मा, प्रो रमेन्दु राय, प्रो. एस ए अन्सारी, डा एस एम जेड खुर्शीद एव अन्य समस्त गुरुजनों का आभारी हूँ जिन्होने समय समय पर आवश्यकतानुसार मुझे सहयोग प्रदान किया।

मैं श्री सी बी मिश्रा शाखा प्रबन्धक गोमती ग्रामीण बैंक मडियाहूँ का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिनसे मुझे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के योगदान से सम्बन्धित विषय पर शोध कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं बैंक के अध्यक्ष तथा अन्य शाखा प्रबन्धको एवं अधिकारियों का भी आभारी हूँ जिन्होने विभिन्न प्रकार से मुझे सहयोग प्रदान किया है।

मै अपने शोध सहपाठी डा श्याम कृष्ण पाण्डेय एव राजेन्द्र कुमार मिश्र का भी आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य के सन्दर्भ मे मुझे अमूल्य समय एव सहयोग प्रदान कर सहायता की है।

मै अपने पूज्यनीय माता एव पिता जी के श्री चरणो मे अपना कोटिश प्रणाम अर्पित करता हूँ जिनके आशीर्वचन से मै यह कार्य पूर्ण कर सका।

अन्त मे मै आइडियल कम्प्यूटर प्वाइट के विशाल वाजपेयी, बिशेशवर श्रीवास्तव एव रूपेश वर्मा को शोध ग्रन्थ को इतने सुन्दर ढग से व समय पर मुद्रित करने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सहयोग से ही मै इसे समय पर प्रस्तुत कर सका।

5-02-2001

Vinod Kumar Pandey

( विनोद कुमार पाण्डेय )

वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

## अध्याय - 1

प्रस्तावना  
अध्ययन क्षेत्र  
परिकल्पना  
शोध विधि एवं सीमाएँ

## प्रस्तावना

### विकास का अर्थ

विकास लुभावना और आकर्षक शब्द है जो सुखद अनुभूति का बोध कराता है। विकास की प्रक्रिया अनवरत है जहाँ विकास क्रम की गति अवरुद्ध भी होती है जो प्रभाव की स्थिति का परिचायक है। विकास केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता। विकास की गति व प्रभाव को विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएँ व परिवर्तन जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक घटक समग्र रूप में निर्धारित करते हैं। लेकिन सभी घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक आर्थिक होता है। आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद हर क्षेत्र में परिवर्तन होने लगता है। उनको केवल सही मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है। अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है।

स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय समाज में नवचेतना आयी तथा व्यक्तियों में जो समर्पण भाव था वह आजादी के बाद आकांक्षाओं और अपेक्षाओं में बदल गया। सभी व्यक्तियों ने अपने सपनों को साकार करने का अवसर व साधन चाहा। केवल जागरूक और शिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि अनपढ़ ग्रामीण वर्ग भी आजादी से उत्पन्न लाभों के लिए लालायित था तथा रुढ़िवादी जजिरो में जकड़े, सामन्ती अर्थव्यवस्था से पीड़ित ग्रामीणों ने भी विकास की किरणें आजादी के रूप में देखीं। राष्ट्र निर्माताओं ने योजनाबद्ध विकास की नयी नीति पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में उनके कार्यान्वयन का बीजा उठाया और यह विकास क्रम निरन्तर आगे बढ़ता रहा। विकास का लाभ किसे अधिक मिला और किसे कम यह विवाद का विषय है। किन्तु यह



निश्चित रूप से सत्य है कि विकास का क्रम निरन्तर आगे बढ़ता रहा है। इसके साक्षी चतुर्दिक विकास के परिणाम हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में लक्षित हो रहे हैं। इन परिवर्तनों की चर्चा ग्राम विकास के परिप्रेक्ष्य में हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं

## आर्थिक परिवर्तन

आजादी के बाद 50 वर्षों में ग्रामीण जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन हर क्षेत्र आवास, खान-पान, वेषभूषा और रहन-सहन के स्तर में हुए हैं। गुड़ और नमक मिर्चा से रोटी खाने वाला आम ग्रामीण अब डबल रोटी व चाय अपना सका है। नीम की दातुन की जगह टुथ पेस्ट एव ब्रश का प्रयोग करने लगा है। आज पीतल, कॉसे या एल्युमिनियम के बर्तन के स्थान पर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन, कप प्लेट का प्रयोग गाँवों में अवश्य ही मिल जायेगा। आजकल गाँव में भी डायनिंग टेबल, कुर्सी, सोफा, और टी वी फ्रीज आदि होना आम बात हो गयी है। गाँवों में भी छप्पर झोपडी के स्थान पर पक्के मकान तथा मोटर साइकिल, जीपे आदि दैनिक जीवन के अंग बन गये हैं। वस्त्रों में भी परिवर्तन आ गया है। पैट-शर्ट, टाई-शूट, बूट, टी-शर्ट, सलवार-कमीज, मिडी टाप, लहंगा, चुनरी आदि रंग विरगो प्रचलित हो गयी है। सौन्दर्य प्रसाधन भी गाँवों से दूर नहीं है। क्रीम, पावडर, कंधे, विन्दि गाँवों की महिलाओं तक पहुँच गयी है। गैस चुल्हा, जूता, सिगरेट, पान-पराग आदि असानि से उपलब्ध हैं। गाँवों में लगने वाले मेलों में अब परम्परागत बिसाती के समान की बिक्री नहीं होती। तडक-भडक की हर चीज वहाँ सहज उपलब्ध हो जाती है क्योंकि वहाँ उसका बाजार बन चुका है और खरीददार उपलब्ध है।

## सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन

किसी भी सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। लोग किसी भी नवीन परिवर्तन को असानी से स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कतिपय परिवर्तन ऐसे होते हैं जो मूल मान्यताओं के साथ ही क्रमिक रूप से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सयुक्त परिवार प्रथा अब क्षीण होने लगी है। नये वस्त्र विन्यास के प्रचलन के साथ ही पर्दा प्रथा लुप्त होती जा रही है। सह-शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप महिला व पुरुष वर्ग में विचार-चेतना का स्तर बदल रहा है। वैवाहिक व अन्य समारोह में फिजुल खर्चों और दिखावे के स्थान पर सरल आयोजनों का प्रारम्भ भी हुआ है। समूह चिंतन के स्थान पर व्यक्तिगत चिंतन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही है। नैतिक मूल्यों में ह्रास और बढ़ती हुई उच्छ्वल प्रवृत्ति की भी शिकायत कम नहीं है। मिल बैठकर सुलझा लिये जाने वाले विवाद भी अब कोर्ट कचेहरियों में ज्यादा जाने लगे हैं। सांस्कृतिक मान्यताओं में भी बदलाव आया है। अब रेडियो और दूरदर्शन के विस्तार ने सभी मान्यताओं में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन आने लगा है। क्लब, जलपानगृह और सिनेमा जैसी जगहों पर छुआछूत का भेद नहीं रखा जा सकता है अतः यह बदलाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है चाहे परिस्थितिक मजबूरियों के कारण ऐसा हो रहा है। विवाह व अन्य मांगलिक समारोहों में परंपरागत लोक गीतों और नृत्यों के स्थान पर फिल्मी संस्कृति से प्रेरित नाच गाने और डिस्को लोकप्रिय होते जा रहे हैं। यात्रा की वृत्ति में भी वृद्धि हो रही है।

परिवर्तन की दशा समान नहीं यह विसंगतिपूर्ण है किन्तु परिवर्तन तो है ही। सदियों की जड़ता के टूटने का चिह्न तो दृष्टिगोचर हो ही रहा है। एक नयी सांस्कृतिक क्रान्ति का विचार-बोध मूर्त रूप लेता जा रहा है। कम्प्यूटर क्रान्ति और 21वीं सदी के सूर्योदय ने स्वर्णिम भविष्य के सपनों में विचार प्रवाह को नयी दिशा प्रदान की है।

## शैक्षणिक परिवर्तन

शिक्षा की उपयोगिता और उससे जुड़े इतर प्रश्नों को यदि छोड़ दिया जाय तो शिक्षा का प्रसार सभी क्षेत्रों में हुआ है। जैसा कि निम्नलिखित आकड़ों से विदित होता है

### तलिका 1 1

#### देश में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति/प्रगति

शिक्षा संस्था	1951	1961	1971	1981	1991
1 प्राथमिक विद्यालय	209671	330399	408378	494503	558392
2 उच्च प्राथमिक	13596	49663	90621	118335	146636
3 माध्यमिक विद्यालय	7416	17329	37051	51624	78619
4 महाविद्यालय	370	967	2285	3421	4862
5 व्यवसायिक शिक्षण संस्था	208	852	992	1156	886
6 विश्वविद्यालय	27	45	82	110	146
7 चिकित्सा महाविद्यालय	28	60	98	106	128
8 डॉक्टरों की संख्या	61840	83756	151129	267812	399068

स्रोत - विकास मान बैकिंग और ग्रामीण विकास श्याम लाल गौड़ पेज न 3

उपर्युक्त आकड़ों से शैक्षणिक परिवर्तन का ज्ञान होता है। उच्च तकनीकी क्षेत्र में भारत विश्व के गिने चुने कुछ देशों में होने का गौरव रखता है। शिक्षा के विकास से जहाँ पर चारों तरफ परिवर्तन हुआ है वही पर शिक्षित बेरोजगारी ने इस वर्ग को कुन्ठाएँ दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन की गति भी बढ़ी है। किन्तु एक जागरूक नागरिक का हक भी शिक्षा ने आम आदमी को दिलाया है।

## राजनैतिक परिवर्तन

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय जनमानस में न केवल राजनैतिक जागरूकता आयी है बल्कि भारतीय जन-मानस ने चुनावों के समय अपने परिपक्व राजनैतिक दर्शन का भी परिचय दिया है। सकट की घड़ी में अभूतपूर्व एकता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा वदनीय गुण हैं जो समय-समय पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में उजागर हुआ है। क्षेत्रवाद जातिवाद और प्रदेशवाद जैसी सकीर्ण विचार-धारा के रहते हुए भी आदमी में सोच की नयी पद्धति विकसित हुई है जो भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है।

इधर कुछ दिनों से देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं और पनपते आतंकवाद ने राजनैतिक नेतृत्व के सामने नये-नये प्रश्न चिन्ह उपस्थित किये हैं। ऐसी घटनाएँ किसी भी राष्ट्र की जीवन धारा में यदि निरन्तर पनपती रही तो विघटनकारी तत्वों को सिर उठाने का मौका मिलेगा और देश विकास के मार्ग से हटकर गृहकलह जैसी घातक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होने लगेगा राजनैतिक नेतृत्व के सामने इन प्रवृत्तियों पर अकुशल लगाकर राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने जैसा चुनौतीपूर्ण दायित्व भी समय प्रवाह ने डाल दिया है। वास्तव में हर परिवर्तन के मूल में आर्थिक विकास होता है अतः उक्त सभी परिवर्तनों में आर्थिक विकास की कहानी सन्निहित है। यह आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में हुआ है। उद्योग, व्यापार कृषि खनिज दोहन, सैन्य, संयोजन यातायात जल साधन जैसे सभी क्षेत्र जो अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं विकास गंगा से लाभान्वित हुए हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकास का प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण विकास हमारे अध्ययन का मूल विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था वस्तुतः गाँवों की समृद्धि पर ही आधारित रही है और इस स्थिति में विशेष परिवर्तन आया भी नहीं है। ग्रामीण विकास से एक सहज अभिप्राय जो लगाया जाता है वह है कृषि का विकास। ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों की प्रगति का विस्तृत वर्णन अन्य अध्यायों में किया गया है।

ग्रामीण विकास समग्र विकास की प्रक्रिया का ही एक अंग है इसे एकाकी अथवा एकागी रूप में नहीं देखा जा सकता। जैसा कि सर्वविदित है विकास का आधार है साधन—आर्थिक ससाधन। ये आर्थिक ससाधन विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध है किन्तु वर्तमान सदर्थों में बैंक सस्थागत वित्त विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन और सस्थागत वित्त की मुख्य इकाई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ग्रामीण विकास में क्या योगदान रहा है इसी के क्रमिक विकास व योगदान का अध्ययन इस शोध का मुख्य विषय है।

## भारत में विकासमान बैंकिंग

विश्व प्रतिमानों के अनुसार यह एक धारणा सी बन गयी है कि औद्योगिक विकास से जुड़े हुए बैंकर्स या जो शिखर स्तर पर पुनर्वित्त प्रदान करते हों वे ही विकासमान बैंकर की श्रेणी में आते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये बड़े—बड़े सस्थागत वित्तीय संगठन तो विकासमान बैंकर की श्रेणी में आ ही जायेंगे लेकिन व्यावसायिक बैंक या ग्रामीण बैंक भी विकासमान बैंकर के रूप में देखे जा सकते हैं। भारतीय सदर्थ में तो सचमुच ही व्यावसायिक बैंकों की छोटी—छोटी शाखाएँ विकासमान बैंकर की भूमिका बहुत सफलतापूर्वक अदा कर रही हैं। ग्रामीण बैंक तो सच्चे अर्थों में विकास मान बैंकर हैं। भारत में ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण दायित्व केन्द्रीय बैंक के पास प्रारम्भ से ही रहा है। जो किसी भी राष्ट्र के मुकाबले विशिष्ट पहचान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पितृ संगठन के रूप में अनेक नई व महत्वपूर्ण वित्तीय सस्थाओं की रचना की है वे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के ही अन्तर्गत थीं। भारतीय आद्यौगिक विकास बैंक भारतीय लघु—उद्योग विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारतीय यूनिट ट्रस्ट राष्ट्रीय आवास बैंक आयात निर्यात बैंक ऐसी ही कुछ प्रमुख विकासमान बैंकिंग सस्थाओं के नाम हैं जिनका जनक भारतीय रिजर्व बैंक ही रहा है और ये सब आज विकासमान बैंकिंग के रूप में स्थापित एवं प्रमुख वित्तीय सस्थाएँ हैं।

हमारे शोध का मूल विषय ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका है। अतः इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सम्बन्धित समस्त बातों का अध्ययन करके विस्तार पूर्वक विवेचना की गयी है।

भारत में बैंकिंग विकास का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। सन् 1935 में भारत में बैंको की शाखाओं की संख्या 946 थी जिसमें से 160 शाखाएँ इम्पीरियल बैंक की तथा शेष अन्य बैंको की थी। उस समय लगभग प्रति तीन लाख की जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय था जो कि पर्याप्त नहीं था। उस समय देशी बैंक और महाजन ही बैंकिंग का प्रमुख कार्य करते थे। जमा राशियाँ प्राप्त करना ऋणियों को भुनाना वित्त प्रदान करना तथा प्रेषणों के क्रय और विक्रय के माध्यम से सामान्य बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना था। देशी बैंकरो के अग्रिम जमानत के आधार पर होते थे तथा ब्याज दरें उच्चतर होती थी। महाजन आमतौर पर जमा राशियाँ प्राप्त नहीं करते थे और मुख्य रूप से अनुत्पादक व्यय के लिए वित्त प्रदान करते थे। सामान्यतः बैंकिंग सेवाएँ देश के किसी भी भाग में पर्याप्त नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में बना। हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की थी कि मुद्रा और ऋण के नियन्त्रण के लिए कार्यों का द्वि-भागीकरण और उत्तरदायित्व का विभाजन समाप्त होना चाहिए।<sup>1</sup> चौथे दशक के अंतिम वर्षों में रिजर्व बैंक ने कुछ मुख्य कार्य हाथ में लिए जिनमें से एक था उत्कृष्ट और पर्याप्त एव ऋण विन्यास को आधुनिक ढंग से निर्मित करना। इस प्रयोजन से बैंको के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम 1949 (1965 में जिसका नाम बैंकिंग विनियम अधिनियम के रूप में हुआ) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को व्यापक अधिकार सौंपे गये। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान बैंको द्वारा न्यूनतम सांविधिक चल निधि और न्यूनतम नकद प्रारक्षित निधि रखने बैंकिंग कम्पनियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण तथा अंतिम लेखा प्रस्तुत करने से सम्बन्धित है। इस अधिनियम में 1949 और

---

1 भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जनवरी 1989 पृष्ठ 19

1965 के बीच किये गये मुख्य सशोधन समापन प्रक्रिया भारतीय बैंको के कार्यालय विदेशो मे खोलने तथा नीति सबन्धी मामलो के बारे मे बैंको को निर्देश जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को देने से सम्बन्धित है जो बैंकिंग कारोबार को गैर बैंकिंग कारोबार से मिलाने पर निषेध का पालन नहीं कर सके अथवा गैर अनुसूचित व्यवसायिक बैंक न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओ से सम्बन्धित मानदंडो के अनुरूप खरे नहीं उतरे ऐसे बहुत से बैंको को रिजर्व बैंक ने बंद करवा दिया। अन्य अनेक बैंक मिला दिये गये। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बैंको की कुल संख्या दिसम्बर 1947 की 640 से घटकर दिसम्बर 1957 मे 389 रह गयी।<sup>1</sup>

कृषि वित्त की समस्या वाणिज्य और उद्योग के लिए वित्त की समस्या से भिन्न है। वाणिज्य और उद्योग अपेक्षाकृत संगठित व्यवसाय है और इनकी वित्त की माग उत्पादक कार्यों के लिए ही होती है। यही कारण है कि इनकी वित्त की माग को पूरा करने के लिए बहुत पहले ही विभिन्न देशो मे बैंको और आद्योगिक वित्त की विशिष्ट संस्थाओ का विकास हुआ है। कृषि अपेक्षाकृत असंगठित व्यवसाय है। इसकी सफलता या असफलता बहुत कुछ मौसम पर निर्भर होती है इसके अलावा किसानो द्वारा लिये जाने वाले ऋणो मे स्पष्ट रूप से उत्पादक और अनुत्पादक मे भेद कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए बैंको ने खेती के लिए या उससे सम्बन्धित दूसरे कार्यों के लिए ऋण देने मे प्रायः दिलचस्पी नहीं दिखाई और लम्बे अर्से तक किसान ऋण के लिए मुख्य रूप से साहूकार और महाजनो पर निर्भर रहे है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वतन्त्रता के समय भारत एक ऐसे देश की श्रेणी मे था जहाँ पर अधकार बीमारी बेरोजगार एव आलसी लोग रहते थे। यहाँ के लोगो को अपना जीवन स्तर सुधारने की न उमंग थी न पर्याप्त साधन। भारतीय गाँवो की पहचान थी सूखी नदियाँ अधनगे एव भूखे बच्चे व स्त्रियाँ उजड़े खेत आदि। आजादी के बाद भारत की प्रमुख समस्या

---

1 भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जनवरी 1989 पृष्ठ 18-19

अपने करोड़ो निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन स्तर को ऊँचा उठाना था। सन 1957 में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री आयगर ने कहा था कि पिछले चालीस वर्ष की अवधि के दौरान गरीबी अपने उच्च शिखर पर बनी रही और लोग उन्ही आदि कालीन दशाओं में बने रहे जिनमें उनके पूर्वज रहते थे ।

यही तथ्य भारतीय उपमहाद्वीप के लाखों गाँवों के बारे में भी सत्य है। इस देश में हाल ही में विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इस गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति को दूर करने के लिए योजनाबद्ध विकास के मार्ग को अपनाया गया है ताकि कृषि उद्योग व यातायात आदि सभी क्षेत्रों में विकास हो सके।

भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँवों में रहती है अतः ग्रामीण विकास में ग्रामीण साख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सम्भवतः इसी कारण से रिजर्व बैंक ने आरम्भ से ही कृषि साख विभाग की स्थापना कर दी थी इस विभाग को निम्न कार्य सौंपे गये थे

- 1 कृषि संगठन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित कराना।
- 2 ग्रामीण, ऋणग्रस्तता, ग्रामीण वित्त सहकारिता आदि से सम्बन्धित कानूनों का अध्ययन करना तथा उन पर अपना मत प्रकाशित करना।
- 3 कृषि साख की समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों का दल रखना जो आवश्यकता के समय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सहकारी संस्थाओं को परामर्श दे सके।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सन 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण हेतु एक गोरवाला समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 1954 में प्रस्तुत की और सुझाव दिया कि देश में ग्रामीण साख की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना



होनी चाहिए जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाकर देहातों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करे और कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में सस्ती साख सुलभ करे।

गोरवाला समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने तत्कालीन इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को ही स्टेट बैंक में परिणत कर दिया। सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट पास किया गया और 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक की भारत स्थित सम्पत्ति और दायित्व स्टेट बैंक को सौंप दिये गये।

ग्रामीण साख में व्यापारिक बैंकों की अत्यन्त सीमित भूमिका के कारण सरकार ने जुलाई 1969 में 14 प्रमुख बैंकों तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने ग्रामीण साख में अपने योगदान में काफी वृद्धि की तथा अपनी शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार किया। उदाहरण के लिए राष्ट्रीयकरण से ठीक पहले (अर्थात् जून 1969 में) भारत में व्यापारिक बैंकों की कुल 8262 शाखाएँ थी जिनमें से केवल 1832 (अर्थात् 22.2 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थी। मार्च 2000 में कुल शाखाओं की संख्या 64000 तक पहुँच चुकी थी जिसमें से 14454 (22.6 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थी। उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी उनकी निम्नलिखित नीतियों के आधार पर आलोचना की जाती है

- 1 कर्मचारी ग्रामीण शाखाओं में अनिच्छा से कार्य करते हैं।
- 2 अत्यधिक ग्रामीण शाखाएँ खोले जाने से बैंकों के प्रशासनिक खर्च बढ़े तथा बैंकों के साख में भी कमी हुई है।
- 3 बैंकों के ऋण कार्यक्रमों में लाभ अधिकतर बड़े व मध्यम श्रेणी के किसानों को ही प्राप्त हुआ है।

- 4 बैको द्वारा दिये गये ऋणों का सकेन्द्रण भी कुछ राज्यों में ही है।
- 5 ऋणों की वसूली की स्थिति अच्छी नहीं है। लगभग आधा ऋण ही वापस लौटता है जिससे कृषि को ऋण देने वाली संस्थाओं का अस्तित्व ही खतरे में आने की आशंका है।
- 6 अनेक ग्रामीण शाखाएँ साख विकास के कार्यक्रमों को बनाने व उन्हें लागू करने में असफल रही हैं।
- 7 व्यापारिक बैंकों ने भी अपनी ऋण सेवाओं का विस्तार अधिकतर उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में किया है जिनमें पहले से ही सहकारी समितियों कार्यरत थीं इस प्रकार भौगोलिक रिक्तता को पूरा कर सकने में व्यापारिक बैंक असफल रहे हैं।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1975-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने प्रत्येक 17000 की आबादी पर एक बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय लिया जो स्थानीय लोगों को साख एवं ऋण सुविधा प्रदान कर सके। जिनसे लोगों की आय में वृद्धि हो एवं उनका आर्थिक स्तर ऊँचा हो सके। किन्तु बैंकों ने सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में अपनी शाखा खोलने में असमर्थता प्रदर्शित की क्योंकि उनकी शाखाएँ खोलने की लागत अधिक थी एवं कर्मचारी भी सूदूर क्षेत्र में काम करने के अभ्यस्त नहीं थे।

सन 1975 में भारत में आपात स्थिति की घोषणा के बाद बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विचार सरकार के समक्ष आया और तत्कालीन सरकार ने कम लागत अवधारणा के आधार पर बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय किया जिसमें यह परिकल्पना की गयी थी कि निश्चित क्षेत्रों में खुलने वाली शाखाएँ केवल ऋण वितरण का कार्य करेगी। इसी सन्दर्भ में भारत सरकार ने 26 सितम्बर

1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों कृषि मजदूरों कारीगरों तथा छोटे उद्यमकर्ताओं को उधार तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि—व्यापार वाणिज्य उद्योग एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं को विकसित कर सकें।

आरम्भ में 2 अक्टूबर 1975 को पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। पश्चिम बंगाल में माल्दा राजस्थान में जयपुर हरियाणा में शिवानी एवं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर में। ये बैंक क्रमशः यूनाइटेड बैंक बैंक ऑफ इण्डिया सिडिकेट बैंक स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा चालू किये गये। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूँजी एक करोड़ रुपये और निर्गमित एवं चुकता पूँजी 25 लाख रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अशपूँजी में योगदान संचालित व्यवसायिक बैंक द्वारा 35 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत योगदान दिया जाता है। यद्यपि मूल रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित व्यवसायिक बैंक ही हैं किन्तु वे कुछ पहलुओं में इनसे भिन्न हैं

- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे तथा सीमान्त किसानों, ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों और निर्धन आर्थिक दृष्टि से कमजोर ग्रामीणों को ही उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम देते हैं।
- 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की ऋण की दरें किसी राज्य में सहकारी समितियों की ऋण दरों से तुलनीय हैं।
- 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्यक्षेत्र राज्य के एक या कुछ जिलों के निर्धारित इलाकों तक सीमित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2000 तक देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा उनकी कुल 14517 शाखाएँ एवं आच्छादित जिलों की संख्या 443 थी। क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंको द्वारा अपने कुल ऋणों का 90 प्रतिशत कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराया गया। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सहायता एवं रियायतें देता है। जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली पुनर्विन्त की सुविधा नाबार्ड से प्राप्त होने लगी।

## अध्ययन का क्षेत्र

शोध कार्य के अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होने के कारण शोध का कार्य क्षेत्र विशेष रूप से जौनपुर जनपद पर केन्द्रित किया गया है जो कि प्रदेश का एक अत्यन्त अविकसित जनपद है।

जौनपुर जनपद में गोमती ग्रामीण बैंक जो कि जनपद का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है कि विभिन्न शाखाओं की निक्षेपो एवं अग्रिमो का विकास खण्ड तहसील एवं जिला स्तर पर अध्ययन किया गया है तथा उनका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जौनपुर जनपद में स्थित सहकारी बैंको तथा व्यापारिक बैंको के निक्षेपो तथा अग्रिमो का गोमती ग्रामीण बैंको से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त गोमती ग्रामीण बैंक का प्रदेश में स्थित अन्य ग्रामीण बैंको व्यापारिक बैंको के समस्त जमा तथा अग्रिमो का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

# परिकल्पना

इस अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पना का निरूपण किया गया है

- 1 ग्रामीण बैंक की स्थापना से पूर्व भारत में विद्यमान ग्रामीण वित्त के स्रोत अपर्याप्त थे।
- 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा साहूकारों सहकारी बैंको तथा अन्य व्यापारिक बैंको की कमियों को दूर किया गया है।
- 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं जहाँ पहले से कोई बैंक विद्यमान नहीं थे। स्थापना के पश्चात् शाखाओं जमा तथा ऋणों की मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि हुई है।
- 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों कृषि श्रमिकों और अन्य ग्रामीण समुदायों के सहायताार्थ ही स्थापित किये गये थे।
- 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण बचतों को गतिशील बनाने में भी सहायक हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुषुप्ता वस्था में पड़ी निष्क्रिय पूँजी को एकत्रित करके उसी ग्रामीण क्षेत्र में विनियोग करके लोगों का विकास करना इन बैंकों के माध्यम से सम्भव हुआ है।
- 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतः रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

# शोध विधि एवं सीमाएं

## शोध विधि

जनपद जौनपुर के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के अध्ययन के लिए मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों शोधार्थी ने व्यक्तिगत रूप से सर्वेक्षण द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किये हैं तथा द्वितीयक आँकड़ों जौनपुर जनपद के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (गोमती ग्रामीण बैंक) के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न शाखाओं बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्था लखनऊ, जिला कार्यालय जौनपुर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कानपुर एवं लखनऊ तथा नाबार्ड में कार्यरत उपयुक्त अधिकारियों से प्राप्त किये गये हैं।

## सीमाएँ

वर्तमान अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों का भी प्रयोग किया गया है अतएव द्वितीय आँकड़ों पर आधारित शोध की समस्त सीमाएँ इस शोध ग्रन्थ में भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना होगा कि शोध का कार्य काल साधारणतया जून 2000 तक ही सीमित है तथा जनपद जौनपुर से सम्बन्धित आँकड़ों केवल मार्च 2000 तक ही प्राप्त हुए हैं।

## अध्याय - 2

उत्तर प्रदेश का परिदृश्य  
भौगोलिक परिदृश्य  
सामाजिक परिदृश्य  
आर्थिक परिदृश्य

## भौगोलिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश भारत के सीमान्त प्रदेशों में से एक अति महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से लगी हुई तिब्बत एवं नेपाल की सीमाओं को छूती है। इसके उत्तर-पश्चिम पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश हरियाणा दिल्ली और राजस्थान हैं तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश और पूर्व में बिहार की सीमाएँ उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती हैं।

भौगोलिक दृष्टि से यह  $77^{\circ} 3' - 84^{\circ} 39'$  पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका पूर्व पश्चिम का विस्तार 650 किमी है। उत्तर से दक्षिण तक यह  $23^{\circ} 52'$  तथा  $31^{\circ} 28'$  उत्तरी अक्षांशों के मध्य है तथा उत्तर से दक्षिण तक इसका प्रसार 240 किमी है। इसका कुल क्षेत्रफल 294411 वर्ग किमी है। जो कि सम्पूर्ण देश के कुछ क्षेत्रों का लगभग 89 प्रतिशत है। प्रदेश का 246329 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मैदानी भाग के और 48084 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय भाग के अर्न्तगत आता है। जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्रमशः 83.70 प्रतिशत व 16.30 प्रतिशत है।<sup>1</sup>

क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश राज्य का देश में चौथा स्थान है किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से (देश की जनसंख्या का 19.44 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यह प्रदेश 83 जिलों 904 विकास खण्डों और 112804 गावों के साथ फैला हुआ है।<sup>2</sup>

---

स्रोत-1 उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक फरवरी 2000 पेज-32



उत्तर प्रदेश धरातलीय दृष्टि से विभिन्नताये लिए हुए है। यहा पर पर्वत पहाडिया पठार मैदान आदि सभी प्रकार की भू-दृश्यावलिया होती है। राज्य के प्राकृतिक भागो को स्पष्ट रूप से चार भागो मे बाटा जा सकता है।

- 1 पर्वतीय प्रदेश
- 2 उप-पर्वतीय प्रदेश
- 3 गंगा का मैदान
- 4 दक्षिण का पहाडी एव पठारी भाग

## पर्वतीय प्रदेश

इस प्राकृतिक प्रदेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र आता है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा टोस नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश से और पूर्व मे काली नदी द्वारा नेपाल से विलग होती है। दक्षिण मे उप-पर्वतीय क्षेत्र की हिमाच्छादित शिखरो द्वारा भारत-तिब्बत सीमा बनाती है।

उत्तर के हिमालय सम्भाग मे चकराता एव देहरादून उत्तर काशी अल्मोडा चमोली गढवाल टेहरी गढवाल पिथौरागढ तथा नैनीताल जिले के कुछ भाग आता है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक प्रदेशो मे चौथा स्थान है, व जनसख्या की दृष्टि से पाचवा स्थान है।

## उप-पर्वतीय प्रदेश

राज्य का उप-पर्वतीय प्रदेश क्रमश शिवालिक पर्वत श्रेणियो के साथ पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर-पश्चिम मे सहारनपुर से लेकर पूर्व मे देवरिया जिले तक विस्तृत है। यह क्षेत्र ककरीली तथा पथरीली मिट्टी द्वारा निर्मित है। इस क्षेत्र मे नम एव दलदली मैदान पाया जाता है जो राज्य के

सहारनपुर विजनौर बरेली पीलीभीत लखीमपुर खीरी बहराइच गोण्डा बस्ती गोरखपुर और देवरिया जिलो के उत्तरी भाग मे फैला हुआ है।

## गंगा का मैदान

उत्तर प्रदेश का बडा भू-भाग गंगा के मैदान के अन्तर्गत आता है। इसमे कोई भी स्थान (सहारनपुर जिले के उत्तरी भाग को छोडकर जहाँ से शिवालिक पर्वत श्रेणिया शुरू होती है) समुद्र की सतह से 300 मीटर से अधिक ऊचाई पर नही है। यहा की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है।

## दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी भाग

दक्षिण के पठारी भाग को बुन्देलखण्ड का पठार कहा जाता है। इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी एव गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इस क्षेत्र के बहुत कम स्थानो पर पठारो की ऊचाई 450 मीटर से अधिक है। मिर्जापुर सोनभद्र जिलो के कुछ स्थानो पर कैमूर एव सोनपार की पहाडिया लगभग 600 मीटर तक ऊची है।

## जलवायु

उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबन्धीय एव मानसूनी है जहा धरातलीय विषमताओ और समुद्र तल से विभिन्न स्थानो की अलग-अलग ऊचाइयो के कारण यहा जलवायु मे अन्तर पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र का पर्वतीय भाग बर्फ से ढका रहता है जहा शीतकाल मे कडाके की ठड पडती है और दिसम्बर से मार्च के बीच हिमपात होता है।

राज्य के दक्षिण भाग की जमीन बजर और पथरीली होने के कारण गर्मियो मे अधिक गर्मी तथा जाडे मे अधिक ठडी पडती है। राज्य मे मध्य

जून से मध्य सितम्बर तक बगाल की खाड़ी से आने—वाले मानसून के फलस्वरूप मुख्य रूप से वर्षा होती है। हिमालय सम्भाग में सामान्यतः भारी वर्षा होती है। राज्य के प्रमुख भागों में वर्षा का वार्षिक औसत 94 सेमी रहता है। नैनीताल देहरादून एवं गढ़वाल जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा (1847 सेमी) होती है तथा मथुरा में सबसे कम (544 सेमी) वर्षा होती है।

## राज्य के जल संसाधन

राज्य की प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्याचल द्वारा निर्धारित है।

राज्य के विभिन्न नदियों को उद्गम स्थलों के आधार पर तीन भागों में बाटा जा सकता है।

- 1 हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ (गंगा यमुना, काली शारदा एवं गण्डक नदियाँ प्रमुख हैं।)
- 2 गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ (गोमती वरुण रिहन्द पाण्डो ईसन आदि प्रमुख हैं।)
- 3 दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ (चम्बल बेतवा, केन सोन रिहन्द तथा कन्हार आदि मुख्य हैं।)

## उत्तर प्रदेश जनसंख्या

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जहाँ देश की कुल जनसंख्या का 16.4 प्रतिशत भाग निवास करता है। इस प्रकार प्रत्येक छठा भारतवासी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

1991 की जनगणनानुसार राज्य की जनसंख्या 13 91 करोड़ थी जिसमें 7 40 करोड़ पुरुष तथा 6 51 करोड़ स्त्रियाँ सम्मिलित हैं। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या में 53 2 प्रतिशत पुरुष तथा 46 8 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं।

राज्य की 80 16 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा केवल 19 84 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 1991 की जनगणनानुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2 93 करोड़ है जिसमें 1 56 करोड़ पुरुष (53 2 प्रतिशत) तथा 1 37 करोड़ स्त्रियाँ (46 8 प्रतिशत) हैं।<sup>1</sup> 1991 की जनगणनानुसार राज्य में साक्षरता प्रतिशत 41 6 प्रतिशत था (जिसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग को सम्मिलित नहीं किया गया है।) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 36 66 प्रतिशत रही जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह दर 61 प्रतिशत रही।

राज्य में जनसंख्या घनत्व 473 तथा स्त्री पुरुष अनुपात 879 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष था। राज्य की 88 64 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दी भाषी है इसके बाद क्रमशः उर्दू 10 5 प्रतिशत पंजाबी 0 58 प्रतिशत बंगाली 0 15 प्रतिशत, सिन्धी 0 19 प्रतिशत, मराठी 0 01 प्रतिशत भाषा बोलने वालों का स्थान है।<sup>2</sup>

## उत्तर प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु अलग-अलग होने के कारण यहाँ पर अनेक प्राकृतिक सम्पदा विद्यमान हैं।

(1) **खनिज सम्पदा** : उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा खनिज कम उपलब्ध हैं राज्य में पहली खनिज नीति 29 दिसम्बर 1998 को घोषित किया गया। जिसमें कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया

---

स्रोत 1 जनगणना 1991

2 उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक – 2000 पेज न 37

गया तथा 12 जिलो को खनिज बहुल जिले घोषित किये गये जो कि निम्नलिखित है सहारनपुर झासी जालौन इलाहाबाद बादा हमीरपुर महोबा ललितपुर मिर्जापुर सोनभद्र नैनीताल तथा देहरादून। खनिज नीति 1998 के अन्तर्गत निम्न बिन्दु प्रमुख है।

- 1 खनिजो से प्राप्त राजस्व के 5 प्रतिशत भाग से खनिज विकास निधि स्थापित करने की योजना।
- 2 औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे एक कार्यकारी दल का गठन।
- 3 राज्य के आईआईटी तथा पॉलीटेक्निको मे खनन पाठ्यक्रम आरम्भ करने की घोषणा।
- 4 पटटे के लिए आवेदन का निस्तारण दो से चार हफ्ते के बीच करते हुए पटटे 60 दिन मे देने की घोषणा।
- 5 खनिज उद्योग मे देशी/विदेशी निवेशको की भागीदारी को प्रोत्साहन।

खनिज-नीति मे प्रकाशित तथ्यो के अनुसार 'खनिज उत्पादन मे राज्य का देश मे 10वा स्थान तथा देश के कुल खनिज उत्पादन मे प्रदेश का 26 प्रतिशत भाग है।

तालिका 2.1

उत्तर प्रदेश मे प्रमुख खनिज तथा खनिज क्षेत्र

क्र स	खनिज	क्षेत्र
1	ताबा	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कुमाऊँ चमोली (पोखरी एव धनपुर क्षेत्र) नैनीताल अल्मोडा पौडी गढवाल टिहरी गढवाल पिथौरागढ एव सोनराई।
2	सगमरमर	देहरादून टिहरी गढवाल एव मिर्जापुर सोनभद्र।
3	यूरेनियम	ललितपुर।
4	लोह अयस्क	गढवाल अल्मोडा एव नैनीताल (हेमेटाइट एव मैग्नेटाइट दोनो प्रकार का ही लौह अयस्क उपलब्ध)
5	कॉच बालू	वाराणसी के चकिया क्षेत्र झासी के मुडारी बाला बहेट और इलाहाबाद तथा बादा जिलो के शकरगढ लौहगढ बोरगढ और धानद्रोल क्षेत्र मे।
6	चॉदी	अल्मोडा जिला (अल्पमात्रा)
7	मैग्नेलाइट	अल्मोडा जिला (अल्पमात्रा)
8	हीरा	बादा एव मिर्जापुर
9	चूना पत्थर	देहरादून (चकराता तहसील), गढवाल (लैस टाउन तहसील) मिर्जापुर (गुरुमाकनाच) सोनभद्र (कजराहट), टिहरी पिथौरागढ पौडी नैनीताल जिले मे भी उपलब्ध है।

क्र स	खनिज	क्षेत्र
10	सीसा	कुमाऊँ क्षेत्र मे (राय घरनपुर रेलम बेसकन दसोसी और दण्डक क्षेत्रो मे) देहरादून जिले मे (कुमा-बरेसा और मुधौल क्षेत्र मे) अल्मोडा जिले मे (चैना पानी और बिलौन क्षेत्र मे)
11	कोयला	सोनभद्र के निचले गोडवाना क्षेत्र मे मिर्जापुर जिले के सिगरौली क्षेत्र मे।
12	जिप्सम	गढवाल (खरारी धारी खेरा लक्ष्मन झूला नरेन्द्र नागिन और मधुधनी क्षेत्र मे), देहरादून (घपीला क्षेत्र) नैनीताल जिला (नैनीताल खुरपाताल मझरिया क्षेत्र) झाँसी हमीरपुर जिलो मे भी उपलब्ध
13	ग्लास लैण्ड	इलाहाबाद (करछना तहसील) बादा (करवी तहसील) मऊ जिला।
14	डोलामाइट	मिर्जापुर सोनभद्र टिहरी बादा एव देहरादून।
15	एस्टबेस्टस	गढवाल (उडवीमठ एव कान्धेरा मे)

स्रोत उत्तर प्रदेश एक अध्ययन - पेज न 43

## रोजगार

उत्तर प्रदेश मे 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य के कुल व्यक्तियो मे 29 13 प्रतिशत व्यक्ति काम करने वाले है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रो मे यह प्रतिशत क्रमश 30 52 प्रतिशत तथा 26 26 प्रतिशत है। जबकि राज्य के कुल पुरुषो मे काम करने वाले पुरुषो का अनुपात 49 31 प्रतिशत है तथा स्त्रियो मे यहा प्रतिशत केवल 7 45 प्रतिशत है।

## तालिका 2 2

विभिन्न उद्योगों में काम करने वालों का विवरण (प्रतिशत में)

(1991 की जनगणनानुसार)

क्र स	श्रेणी	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	कास्तकार	53 27	53 94	48 18
2	खेतिहर मजदूर	18 94	16 70	35 82
3	पशुपालन शिकार आदि	71	74	51
4	खनन एवं उत्खनन	08	09	06
5	पारिवारिक उद्योग	2 41	2 26	3 55
6	विनिर्माण ससाधन	5 34	5 72	2 45
	(पारिवारिक उद्योग के अतिरिक्त)			
7	निर्माण	1 24	1 36	31
8	व्यापार एवं वाणिज्य	6 17	6 79	6 45
9	परिवहन संचार	1 86	2 09	16
10	अन्य सेवाएं	9 98	10 31	7 51
<b>स्रोत जनगणना 1991</b>				

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या खेतिहर है। जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 53 27 प्रतिशत है। कृषि कार्यों में पुरुष तथा स्त्री की भागीदारी लगभग बराबर है। जबकि दूसरे स्थान पर खेतिहर मजदूर है जो कि कुल कार्यशील जनसंख्या का 18 94 प्रतिशत है इस क्षेत्र में महिला का योगदान अधिक 35 82 प्रतिशत है जबकि पुरुष का केवल 16 70 प्रतिशत है।



वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 83 जिले हैं जिसमें से 1991 के बाद सृजित 17 जिले निम्न हैं -

सन्त कबीर नगर चम्पावत साहू महाराज नगर ऊधम सिंह नगर रुद्रप्रयाग कन्नौज औरैया बागपत अम्बेडकर नगर गौतम बुद्ध नगर चन्दौली श्रावस्ती ज्योतिबा फूलेनगर कौशाम्बी वागेश्वर महामाया नगर (वर्तमान हाथरस) तथा बलराम पुर।

**तालिका 2 3**

**1991 की जनगणना के समय प्रदेश के 63 जिलों का**

**क्षेत्रफल जनसंख्या आकार तथा घनत्व**

क्र	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
1	उत्तरकाशी	8 016	2 39 709	1 24 978	1 14 731	30
2	चमोली	9 168	4 54 871	2 27 131	2 27 740	50
3	देहरादून	4 421	5 80 153	2 81 934	2 98 219	131
4	देहरादून	3 088	10 25 679	5 56 432	4 69 247	332
5	गढ़वाल	5 397	6 82 535	3 34 371	3,51 164	126
6	पिथौरागढ़	8 856	5 66 408	2 85 297	2 81 111	64
7	अल्मोडा	5 385	8 36 617	4 00 900	4 35 717	155
8	नैनीताल	6 794	15 40 174	8 23 798	7 16 376	227
9	साहरनपुर	3 860	23 09 029	12,47 254	10 61 775	498
10	मुजफ्फरपुर	4 049	28 24 543	15 28 634	13 13 909	702
11	बिजनौर	4 715	24 54 521	13 11 710	11 42 811	521
12	मेरठ	3 911	34 47 912	18 61,742	15 86 170	882

क्र सख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसख्या	पुरुष	महिलाए	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
13	गाजियाबाद	2 594	27 03 933	14 76 188	12 27 745	1 042
14	बुलन्दशहर	4 353	28 49 859	15 35 572	13 14 287	655
15	मुरादाबाद	5 967	41 21 035	22 24 855	18 96 180	691
16	रामपुर	2 367	15 02 141	8 08 419	6 93 722	635
17	बदायू	5 168	24 48 338	13 52 744	10 95 594	474
18	बरेली	4 120	28 34 616	15 41 086	12 93 530	688
19	पीलीभीत	3 499	12 83 103	6 92 361	5 90 742	367
20	शाहजहापुर	4 575	19 87 395	10 94 363	8 93 032	434
21	अलीगढ	5 019	32 95 982	17 88 880	15 07 102	657
22	मथुरा	3 811	19 31 186	10 63 487	8 67 699	507
23	आगरा	4 027	27 51 021	15 01 927	12 49 094	683
24	एटा	4 446	22 44 998	12 30 561	10 14 437	505
25	फिरोजाबाद	2 362	15 33 054	8 36 926	6 96 128	649
26	मैनपुरी	2 759	13 16 746	7 18 173	5 98 573	477
27	फर्रुखाबाद	4 274	24 40 266	13 29 574	11 10 692	571
28	इटवा	4 326	21 24 655	11 60 227	9 64 428	491
29	कानपुर(नगरीय)	1 040	24 18 487	13 25 728	10 92 759	2 325
30	कानपुर(देहात)	5 137	21 38 317	11 60 736	9 78 081	416
31	फतेहपुर	4 152	18,99 241	10 09 369	8,89 872	457
32	इलाहाबाद	7 261	49 21 313	26 24 829	22 96 484	678

क्र सख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसख्या	पुरुष	महिलाए	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
33	जालौन	4 565	12 19 377	6 66 865	5 52 512	267
34	झासी	5 024	14 29 698	7 67 430	6 62 268	285
35	ललितपुर	5 039	7 52 043	4 03 685	3 48 358	149
36	हमीरपुर	7 165	14 66 491	7 96 448	6 70 043	205
37	बादा	7 624	18 62 139	10 11 230	8 50 909	244
38	खीरी	7 680	24 19 234	13 13 517	11 05 717	315
39	सीतापुर	5 743	28 57 009	15 58 905	12 98 104	497
40	उन्नाव	4 558	22 00 397	11 74 856	10 25 541	483
41	हरदोई	5 986	27 47 082	15 10 831	12 36 251	459
42	लखनऊ	2 528	27 62 801	14 80 839	12 81 962	1 093
43	रायबरेली	4 609	23 22 810	12 03 153	11 19 657	504
44	बहराइच	6 877	27 63 750	15 01 250	12 62 500	402
45	गोण्डा	7 352	35 73 075	19 07 575	16 65,500	486
46	बाराबकी	4 401	24 23 136	13 04 303	11,18 833	551
47	फैजाबाद	4 511	29 78 484	15 48 368	14 30 116	660
48	सुल्तानपुर	4 436	25 58 970	13,23 422	12 35 548	577
49	प्रतापगढ	3 717	22 10 700	11 12 755	10 97 945	595
50	बस्ती	4 284	27 38 522	14 29 610	13 08 912	639
51	गोरखपुर	3 324	30 66 002	15 93 355	14 72 647	922
52	देवरिया	5 445	44 40 024	22 57 554	21 82 470	815

क्र	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसख्या	पुरुष	महिलाए	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
53	आजमगढ	4 214	31 53 885	15 71 593	15 82 292	748
54	जौनपुर	4 038	32 14 636	16 12 164	16 12 472	796
55	बलिया	2 988	22 62 273	11 62 307	10 99 966	757
56	गाजीपुर	3 377	24 16 617	12 34 615	11 82 002	716
57	वाराणसी	5 091	48 60 582	25 63 848	22 96 734	955
58	मिर्जापुर	4 952	16 57 139	8 79 820	7 77 319	335
59	हरिद्वार	1 994	11 24 488	6 09 054	1 15 434	564
60	सिद्धार्थ नगर	2 944	17 07 885	8 92 981	8 14 904	580
61	मऊनाथ भजन	1 727	14 45 782	7 32 487	7 13 295	837
62	सोनभद्र	6 358	10 75 041	5 77 403	4 97 638	169
63	महाराजगज	2 948	16 76 378	8 78 048	7 98 330	569

स्रोत उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक, पज न 39

## सामाजिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहा की अधिकाश जनसख्या कृषि एव कृषि सबधी क्रियाओ से अपनी जीविका चलाती है यह प्रदेश सास्कृतिक एव सामाजिक दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है यहा पर भारतीय सस्कृति एव सभ्यता विकसित हुई तथा उसका विस्तार हुआ। इस राज्य मे त्रेता युग मे राम की जन्म एव लीला स्थली अयोध्या एव द्वापर युग

मे कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा तथा पौराणिक महत्व सजोए शिव नगरी काशी प्रमुख आकर्षक स्थलो मे है। इसी प्रकार के अनेक ऐतिहासिक एव धार्मिक स्थल इस प्रदेश के हिमालय क्षेत्र मे विद्यमान है। इस प्रदेश के कुछ जनपद एव क्षेत्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते है यथा— इलाहाबाद मिर्जापुर बादा मेरठ व कौशाम्बी से प्राप्त पुराअवशेष आदिम युग के मानव की सभ्यता के मूक साक्षी है।

उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो मध्य प्रदेश से जुडी हुई है वहा की आदिम जन-जातीय सस्कृति की उत्तरी सीमा जो चीन एव नेपाल से जुडी है की जनजातीय सस्कृति सभ्यता एव रीति रिवाज से भिन्न है। इस प्रकार इस प्रदेश का सामाजिक परिदृष्य विविधता मे एकता दर्शाता है। सभी प्रकार की जातियो एव धर्मों का मिलन इस प्रदेश की अपनी एक अलग सामाजिक एव धार्मिक विशेषता है।

यहा पर एक ओर तो गंगा यमुना नदियो द्वारा निर्मित विशाल मैदान अपनी उर्वरा भूमि से समाज की मूलभूत आवश्यकताओ मे भोजन सबसे अधिक आधारभूत आवश्यकता की आपूर्ति करते है जबकि दूसरी ओर प्रयाग का सगम तीर्थ एव हरिद्वार का गंगा तीर्थ स्थल सभी जातियो के लोगो को समाज के एक सूत्र मे बाधने का प्रयास करता है। ये सभी स्थल सामाजिक एकता के प्रतीक है। यही कारण है कि इस प्रदेश का सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक दृष्टि से महत्व बढता जा रहा है। प्रदेश की जनसख्या वृद्धि दर 2.54 प्रतिशत वार्षिक से अधिक रही है जो कि देश के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 1971 मे देश की जनसख्या 8.83 करोड थी जो कि 1991 मे बढकर 13.91 करोड हो गयी। इसप्रकार प्रदेश मे ग्रामीण एव नगरीय जनसख्या मे भारी असतुलन है।

## तालिका 2 4

## उत्तर प्रदेश की ग्रामीण व नगरीय जनसख्या

(करोड मे)

जनगणना वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	कुल योग
1901	4 32	540	4 87
1911	4 32	490	4 82
1921	4 17	493	4 67
1931	4 42	556	4 98
1941	4 95	701	5 66
1951	5 45	862	6 33
1961	6 42	947	7 38
1971	7 59	1 240	8 84
1981	9 09	1 990	11 09
1991	11 15	2 760	13 91

**स्रोत उत्तर प्रदेश सामाजिक आर्थिक समीक्षा**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विगत नौ दशको मे (1901-1991) ग्रामीण एव नगरीय जनसख्या का अनुपात 20 प्रतिशत व 80 प्रतिशत रहा अर्थात् उत्तर प्रदेश मे कृषि पर जनसख्या के दबाव मे बहुत ही कम कमी आयी जो कि इतनी लम्बी समयावधि मे न के बराबर कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य पडोसी राज्यों मे नगरीय जनसख्या की वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत के आस-पास रही जबकि औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशो यथा - महाराष्ट्र गुजरात एव तमिलनाडू, कर्नाटक मे नगरीकरण का प्रतिशत क्रमश 37.7 34.9 34.2 तथा 30.9 रहा है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कृषि बाहुल्यता प्रदर्शित होती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में जो जनसंख्या का प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ उसके परिणाम स्वरूप नगरीय जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएँ तथा सामाजिक बुराइयों में वृद्धि हुई और अन्ततः नगरों के ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया दिखायी पड़ने लगी है।

विगत दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि के कारण राज्य के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है

**तालिका 2 5**  
**राज्य में जनसंख्या घनत्व**  
(व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)

	1981	1991
ग्रामीण	314	385
नगरीय	4363	5553
कुल	377	473

**स्रोत जनगणना 1981 एवं 1991**

राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 1911 एवं 1921 में क्रमशः 165, 164 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी<sup>0</sup> था जो कि लगातार घट रहा था जबकि 1921 के बाद लगातार वृद्धि हुई जो कि 1931, 1941, 1951, 1961 1971 1981 में क्रमशः 169 192 215 251, 300 तथा 377 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था तथा 1991 की जनगणना के अनुसार यह 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। यह घनत्व कुल भारत के 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बहुत अधिक है। यदि जनसंख्या वृद्धि की यही दर जारी रही और जनसंख्या घनत्व का अनुपात ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2051 तक प्रदेश में कृषि पर जनसंख्या का दबाव भयावह स्थिति में पहुँच जायेगा क्योंकि मानव भूमि अनुपात तेजी से घट रहा है।

राज्य की जनसंख्या में तीव्रतर वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार व विकास के महत्व को स्वीकार किया गया है। राज्य में 1000 से कम जनसंख्या वाले गांव 47.3 प्रतिशत (83235) 1000 से 1999 जनसंख्या समूह वाले गांवों का उत्तर प्रदेश में प्रतिशत 44.8 2000 से 4999 जनसंख्या समूह वाले गांव का प्रतिशत 7.2 तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव मात्र 0.7 प्रतिशत है।

प्रदेश में स्त्री-पुरुष का अनुपात वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 879 है जबकि 1981 की जनगणना में यह अनुपात 885 था इस प्रकार एक दशक में प्रति हजार पुरुष पर 6 की कमी आयी है। ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात 884 तथा नगरीय 860 रहा है।

## प्रदेश की जनजातियाँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ जनजातियों या जनजाति समुदायों के अथवा उनके समूहों या भागों के अन्तर्गत आती हैं जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जायें। जनजाति समुदाय के निम्न लक्षण होते हैं

**1 कई परिवारों का समूह :** जनजाति का निर्माण कई परिवारों के सकलन से होता है। परिवार ही जनजाति समाज की मौलिक इकाई है।

**2. विशिष्ट नाम** प्रत्येक जनजाति का कोई न कोई विशिष्ट नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह जानी जाती है।

**3 एक निश्चित भू-भाग** प्रत्येक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में निवास करती है। डॉ. रिचर्स का मत है कि जनजाति के लिए निश्चित भू-क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि कई जनजातियाँ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती हैं। किन्तु डॉ. मजूमदार का मत है कि घुमक्कड़



जनजातिया भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही घूमती हैं सभी स्थानों पर नहीं। अतः प्रत्येक जनजाति का निवास एक निश्चित भू-क्षेत्र में होता है।

**4 हम की भावना** एक भू-भाग में निवास करने के कारण एक जनजाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना पायी जाती है इसी कारण वे संकट के समय एकता का प्रदर्शन करते हैं।

**5 सामान्य भाषा** - एक जनजाति की एक सामान्य भाषा होती है जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। यह भाषा अलिखित होती है तथा इसका हस्तान्तरण मौखिक रूप से ही होता है।

**6 जनजाति अन्तर्विवाह** सामान्यतः सभी जनजातियाँ अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं अन्य जनजातियों से नहीं।

**7 एक राजनीतिक संगठन** प्रत्येक जनजाति का अपना एक राजनीतिक संगठन होता है। वे अपना शासन स्वयं करते हैं। शासन कार्य वशानुगत राजा मुखिया या वयोवृद्धि लोगों की समिति द्वारा किया जाता है। परन्तु भारत में इनका पृथक एवं स्वतंत्र राजनीतिक संगठन नहीं है वरन् सभी जनजातियाँ भारतीय गणराज्य की सदस्य हैं।

**8 संस्कृति** : प्रत्येक जनजाति को अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक जनजाति के रीति-रिवाज प्रथाएँ एवं जादुई विश्वास एवं क्रियाएँ सामाजिक संगठन नैतिकता विश्वास और मूल्य अन्य जनजातियों से भिन्न होते हैं।

**9 अर्थव्यवस्था** सामान्यतः सभी जनजातियों की अर्थव्यवस्था आजीविका स्तर की है जिसमें आत्मनिर्भरता अधिक पायी जाती है। सामान्यतः वस्तु विनिमय व्यापारिक क्रियाओं का आधार होता है। आर्थिक सम्बन्ध अधिकांशतः नातेदारों एवं परिचित लोगों तक सीमित होते हैं।

**10 नातेदारी का महत्व** जनजाति समाज में नातेदारी को बहुत महत्व दिया जाता है। जनजातीय लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं

सामाजिक सम्बन्ध अपनी नातेदारी तक ही सीमित रखते हैं।

**11 धर्म :** प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म होता है। इनके धर्म में प्रकृति पूजा आत्मावाद और जीववाद की प्रधानता पायी जाती है। ये लोग कई जादुई क्रियाएँ भी करते हैं।

**12 सामान्य पूर्वज** कई जनजातियाँ अपनी उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज से मानती हैं यह पूर्वज वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं — भोटिया बुक्सा जौनसारी राजी तथा थारू। इसके अतिरिक्त शौका खरकर माहीगीर आदि कुछ अन्य जनजातियाँ हैं। प्रदेश की ये जनजातियाँ प्रत्येक जिले में रहती हैं किन्तु देहरादून तथा नैनीताल जिलों में इनकी भारी संख्या निवास करती हैं। यहाँ इनकी जनसंख्या क्रमशः 76085 तथा 73998 है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है

**1 भोटिया** उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित भोट प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को भोटिया कहा जाता है राज्य के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में तिब्बत एवं नेपाल के सीमावर्ती भाग को भोट प्रदेश कहते हैं। भोटिया लोग अल्मोडा, चमोली पिथौरागढ़ तथा उत्तर प्रदेश काशी के क्षेत्र में फैले हुए हैं।

भोटिया लोग मंगोल प्रजाति के वंशज हैं। पुरुष लम्बा कोट, पाजामा तथा पहाड़ी टोपी पहनते हैं जबकि महिलाएँ 'चुग' तथा फूयाबेल पहनती हैं ये कमर को आकर्षक पट्टी से बांधे रखती हैं। महिलाएँ भी टोपी पहनती हैं। मूंगे की माला इनका मुख्य आभूषण होता है। भोटिया के अनेक लोग बौद्ध धर्म अपना लिया है फिर भी ये लोग हिन्दु धर्म व परम्पराओं को मानते हैं। ये लोग गावला तथा 'बैग रैग चिम' देवताओं की पूजा करते हैं।

इन लोगो मे अपहरण विवाह की प्रथा प्रचलित रही है किन्तु समय के परिवर्तन के कारण माता-पिता द्वारा निर्धारित विवाह करने लगे है। पहले ये लोग हुडेक वाद्ययंत्र बजाकर मनोरंज किया करते थे किन्तु अब इनका स्थान संगीत एव सिनेमा ले रहे है।

ये लोग तिब्बत से नमक सुहागा ऊन याक की पूछ सोना जानवरो की खाल भेड-बकरी तथा खच्चर लाते है और इसके बदले मे चावल गुण चीनी तम्बाकू लोहा बर्तन सूती वस्त्र तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुए तिब्बत को ले जाते है। इसके अतिरिक्त ये आशिक रूप से कृषि या मुख्यत पशुपालन द्वारा अपनी आजिविका कमाते है।

**2 बुक्सा :** बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति नैनीताल पौडी गढवाल देहरादून तथा बिजनौर जिलो मे छोटी-छोटी बस्तियो मे रहती है। नैनीताल जिले की बाजपुर रामनगर तथा काशीपुर तहसीलो मे इनकी जनसख्या बहुतायत मे है।

यह जनजाति पतवार राजपूत घरानो से सम्बन्धित मानी जाती हे ये लोग मुख्यत हिन्दी भाषा ही बोलते है। देवनागरी लिपि मे पढना-लिखना इनकी परम्परा है। ग्रामीण पुरुष धोती कुर्ता सदरी तथा पगडी और पढे लिखे कोट-पैण्ट तथा बुशर्ट भी पहनते है। ग्रामीण महिलाए गहरे रग का लहगा तथा चोली पहनती हे जबकि शिक्षित महिलाए साडी-ब्लाउज ही पहनती है।

इस जनजाति मे चार सामाजिक वर्ग है। जिनमे बुक्सा ब्राह्मणो को सर्वोच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त है। इनमे मैदानी हिन्दु लोगो के समान ही विवाह सस्कार होते है इस समाज मे घर जवाई प्रथा बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह आज भी प्रचलित है।

बुक्सा जन महादेव कालीमाई दुर्गा लक्ष्मी राम तथा कृष्ण की पूजा करते है। धान, मक्का गेहू, चना लाहा की खेती तथा पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है।

**3 जौनसारी** . यह जनजाति कालसी चकराता त्योणी लाखामण्डल बावर जौनपुर (जिला टेहरी गढवाल) राबेन तथा परगने काना आदि की ऊची पहाडियो पर निवास करती है। इस जनजाति की उत्पत्ति मगोलो तथा डेमो के रक्त मिश्रण से हुई है।

पुरुष जौनसारी धोती कमीज तथा जाकेट और महिला जौनसारी घुटनो तक का कुर्ता एव घाघरा पहनती है।

जौनसारी लोग हिन्दु देवी-देवताओ की पूजा नहीं करते है। ये लोग 'महसू देवता की पूजा करते है। ये लोग लकडी का कई मजिल का घर बनाकर रहते है। इन लोगो मे बहुपति प्रथा प्रचलित है। अन्तर्जातीय विवाहो का भी प्रचलन है। महिलाए कृषि कार्य करने मे दक्ष होती है।

**4 राजी** इस जनजाति को बनरौत भी कहते है। यह जनजाति पिथौरागढ जिले के धारचूला एव डी डी हाठ विकास खण्डो के किमखोला चिपथडा गानागाव मौका तिरवा चौरानी कूना कनयाल तथा जतडी ग्रामो मे ही मुख्यत निवास करती है।

राजी जन प्राय जगल मे ही रहना पसन्द करते है तथा जगल के देवता की पूजा करते है। बाघनाथ इनका मुख्य देवता है। ये लोग घोर अन्ध विश्वासी होते है।

इनकी भाषा मे तिब्बती तथा सस्कृत के शब्दो की बहुतायत होती है। घर पर ये लोग 'मुण्डा तथा बाहर कुमाऊनी भाषा बोलते है जिसमे हिन्दी तथा पहाडी भाषा का पुट होता है।

इनमे वधु को मोल लेकर ही विवाह किया जाता है। महिला को पुनर्विवाह का अधिकार होता है

पहले इन लोगो का व्यवसाय जगल काटकर लकडी बेचना था किन्तु अब कटाई पर रोक लग जाने के कारण ये लोग मजदूरी करते है।

**5. थारु :** यह जनजाति नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये लोग किरात के वंशज कहे जाते हैं। राजस्थान के थार क्षेत्र से आकर यहाँ बसने तथा मदिरा का अधिकाधिक प्रयोग करने के कारण इन्हें थारु कहा जाता है।

थारु पुरुष लंगोटी की तरह धोती तथा अगरखा पहनते हैं। ये बड़ी चोटी भी रखते हैं। थारु महिलाएँ रंगीन लहंगा चोली तथा ओढ़नी पहनती हैं। इन्हें गोदना खुदवाने का विशेष चाव होता है।

ये लोग हिन्दु धर्म को मानते हैं ये लोग धान दाले तिलहन तथा सब्जियों की खेती करके जीविकोपार्जन करते हैं।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में और उनके जनजातियाँ हैं यह जातियाँ सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। जिसके लिए विशेष आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

## आर्थिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दबाव भौगोलिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था के सूचको को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह प्रदेश सम्पूर्ण देश के आर्थिक एवं औसत जीवन स्तर को प्रभावित करता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक संरचना के विश्लेषण के लिए कई बिन्दुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। यथा— आय जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण कार्यबल की संरचना आदि।

### आय संरचना

किसी भी प्रदेश में उसकी आय अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का सूचक होती है। आय की गणना चालू मूल्यों एवं आधार वर्ष के मूल्यों के

आधार पर आकी जाती है। प्रथम योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से 5 प्रतिशत अधिक थी परन्तु दूसरी योजना के अन्त में यह आय 7 प्रतिशत कम हो गयी और तब से अब तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम ही रही है। एक विशेषज्ञ समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि उच्च जनसंख्या घनत्व निम्न प्रति व्यक्ति आय एवं मन्द विकास की दर लघु कृषि जोत निम्न स्तर का नगरीकरण उद्योगों का आय में निम्नतर से योगदान साक्षरता की नीची दर तथा परिवहन संचार एवं विद्युत शक्ति पर अपर्याप्त व्यय तथा प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ा है।

उत्तर प्रदेश की कुल आय प्रचलित मूल्यों पर 1993-94 में 78211 करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष 1998-99 में बढ़कर 152726 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार सकल आय में वृद्धि तो हुई परन्तु यह वृद्धि परिवर्तन सकल राष्ट्रीय आय के वृद्धि परिवर्तन से कम रहा है। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी परिवर्तन तो आया परन्तु प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलना में वृद्धि दर निम्न रही है। वर्ष 1993-94 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 5287 रुपये थी जो कि 1998-99 में बढ़कर 9261 रुपये हो गयी। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है

### तालिका 2.6

#### उत्तर प्रदेश की कुल एवं प्रति व्यक्ति राज्य आय

वर्ष	1993-94 के भावों पर		प्रचलित भावों पर	
	कुल (करोड़ रु)	प्रति व्यक्ति (रु)	कुल (करोड़ रु)	प्रति व्यक्ति (रु.)
1993-94	78211	5287	78211	5287
1994-95	83469	5510	91867	6064
1995-96	85603	5518	102478	6605
1996-97	91768	5794	120955	7637
1997-98	93797	5808	133617	8273
1998-99	97137	5890	152726	9261

स्रोत सांख्यिकीय डायरी 1999 पेज न. 62

**तालिका 2 7**  
**राज्य आय के सूचकांक**  
**(1993-94 = 100)**

वर्ष	1993-94 के भावो पर	
	राज्य आय	प्रति व्यक्ति आय
1994-95	106 7	104 2
1995-96	109 5	104 4
1996-97	117 3	109 6
1997-98	119 9	109 8
1998-99	124 2	111 4

**स्रोत सांख्यिकीय डायरी 1999 पेज न 63**

तालिका 26 एव 27 से स्पष्ट है कि राज्य मे कुल आय एव प्रति व्यक्ति आय मे लगातार वृद्धि हुई है। 1993-94 प्रचलित भावो पर कुल आय 78211 करोड थी जो 1998-99 मे बढकर 152726 करोड हो गयी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय 1993-94 मे 5287 रुपये से बढकर 1998-99 मे 9261 रुपये हो गयी। फिर भी यह वृद्धि अन्य राज्यों की अपेक्षा कम रही है।

**तालिका 2 8**  
**भारत के विभिन्न प्रमुख राज्यों मे प्रति व्यक्ति अनुमानित आय**  
**(प्रचलित भावों पर रुपये मे)**

क्र स	राज्य	1980-81	1996-97	1997-98
1	आध्र प्रदेश	1380	10306	10590
2	असम	1284	6928	7335
3	बिहार	917	4231	4654
4	गुजरात	1940	14675	16251

क्र स	राज्य	1980-81	1996-97	1997-98
5	हरियाणा	2370	16392	17626
6	हिमाचल प्रदेश	1704	9737	10659
7	कर्नाटक	1520	10279	11693
8	केरल	1508	10309	11936
9	मध्य प्रदेश	1358	7571	8114
10	महाराष्ट्र	2435	17666	18365
11	उडीसा	1314	5893	6767
12	पजाब	2674	18006	19500
13	राजस्थान	1222	8481	9215
14	तमिलनाडु	1498	11708	12989
15	उत्तर प्रदेश	1278	6713	7263
16	पश्चिम बंगाल	1773	9579	10636

**स्रोत सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 1998 पेज न 75**

तालिका 28 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम रही है।

राज्य में आय में वार्षिक वृद्धि दर भी काफी कम रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि पर 9 प्रतिशत थी जबकि उत्तर प्रदेश की 4.2 प्रतिशत थी जो कि लगभग भारत की तुलना में 50 प्रतिशत से भी कम है।



## तालिका 2.9

भारत के प्रमुख राज्यों में आय में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)  
(आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97)

क्र स	राज्य	कृषि एवं पशुपालन	विनिर्माण	योग
1	आंध्र प्रदेश	38	12	53
2	असम	15	07	28
3	बिहार	(-) 15	(-) 39	03
4	गुजरात	100	201	112
5	हरियाणा	37	61	47
6	हिमाचल प्रदेश	13	86	52
7	कर्नाटक	30	53	47
8	केरल	49	39	67
9	मध्य प्रदेश	63	100	61
10	महाराष्ट्र	116	103	95
11	उड़ीसा	(-) 34	69	27
12	पंजाब	30	103	47
13	राजस्थान	87	22	72
14	तमिलनाडु	(-) 04	85	62
15	उत्तर प्रदेश	27	42	32
16	पश्चिम बंगाल	66	56	66
	भारत	39	90	68

स्रोत सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 1999 पेज न 76

इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का विकास उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक तीव्र गति से हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रही है।

### तालिका 2.10

#### विभिन्न औद्योगिक स्रोतों से आय वृद्धि की वार्षिक दर

(1993-94 के भावों पर)

खण्ड	1993-94 से 1998-99 तक
1 कृषि एवं पशुपालन	2.2
2 समस्त प्राथमिक उप-खण्ड	2.5
3 विनिर्माण	6.0
4 समस्त माध्यमिक उप-खण्ड	6.0
5 अन्य उप-खण्ड	5.5
6 कुल राज्य आय	4.4
7 प्रति व्यक्ति आय	2.2

स्रोत सांख्यिकीय डायर उ प्र 1999 पेज न 66

तालिका 2.10 से स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही जो कि विकास का सूचक तो है परन्तु दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत ही है जबकि प्रदेश की कुल आय में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि पर अंकित की गयी।

उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित व्यय की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर भी यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा भारत की अपेक्षा यह काफी कम रही है।

## तालिका 2 11

## विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ की व्यय राशि

योजना का नाम	अवधि	निर्धारित परिव्यय राशि (करोड रुपये मे)
प्रथम पचवर्षीय योजना	1951-56	153
द्वितीय पचवर्षीय योजना	1956-61	233
तृतीय पचवर्षीय योजना	1961-66	561
तीन वार्षिक योजनाए	1966-69	455
चतुर्थ पचवर्षीय योजना	1969-74	1166
पाचवी पचवर्षीय योजना	1974-79	2909
वार्षिक योजना	1979-80	829
छठी पचवर्षीय योजना	1980-85	6594
सातवी पचवर्षीय योजना	1985-90	11949
वार्षिक योजना	1990-91	3208
वार्षिक योजना	1991-92	3696
वार्षिक योजना	1992-93	3640
वार्षिक योजना	1993-94	3872
वार्षिक योजना	1994-95	4762
आठवी पचवर्षीय योजना	1992-97	22006 (सम्भावित)
नवी पचवर्षीय योजना	1997-2002	46340 (अनुमानित)

## जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक संरचना में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के आधार पर ही उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है

- 1 प्राथमिक क्षेत्र — कृषि मछली संग्रहण वनोत्पाद।
- 2 द्वितीयक क्षेत्र — उत्पादन सम्बन्धी समस्त आर्थिक क्रियाएँ यथा विनिर्माण खनन कुटीर एवं लघु उद्योग आदि।
- 3 तृतीयक क्षेत्र — सेवा क्षेत्र बैंकिंग यातायात बीमा वित्त आदि।

जनसंख्या के व्यवसायिक विभाजन का प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।

### तालिका 2 12

#### उत्तर प्रदेश में उद्योगवार मुख्य कर्मगारों की संख्या

(वर्ष 1991 की जनगणनानुसार)

क्षेत्र	संख्या हजार में
1 प्राथमिक क्षेत्र कृषि श्रमिक पशुपालन जंगल में कार्य करना कृषक मछली पकड़ना शिकार एवं बागवान फलोधान एवं सम्बन्ध क्रियाएँ।	30160
2 द्वितीयक क्षेत्र खनन एवं उत्खनन विनिर्माण, शोधन सेवाएँ एवं मरम्मत तथा निर्माण	3751
3 तृतीयक क्षेत्र व्यापार एवं वाणिज्य परिवहन संग्रहण एवं संचार तथा अन्य सेवाएँ।	7450
<b>योग</b>	<b>41361</b>
<b>स्रोत जनगणना - 1991</b>	

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र पर जनसंख्या की निर्भरता अब भी सर्वाधिक है यदि प्रतिशत में देखा जाय तो यह लगभग 70 प्रतिशत होगी जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में यह निर्भरता बहुत ही कम है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में अभी भी द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का विस्तार बहुत कम हुआ है।

## कार्य बल संरक्षण

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर एवं मापन निर्धारित करने में कार्यबल/श्रमशक्ति के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता पर निर्भर करती है। यद्यपि कार्य बल में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का ही फल है। प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1981 में कुल जनसंख्या में कर्मकारों का प्रतिशत 30.72 था जो कि 1991 में बढ़कर 32.20 प्रतिशत हो गया।

### तालिका 2.13

#### उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिशत

क्र.सं.	वर्ग	कुल जनसंख्या से प्रतिशत	
		1981	1991
1	मुख्य कर्मकार	29.23	29.73
2	सीमान्त कर्मकार	1.49	2.47
3	कार्य न करने वाले	69.28	67.80
योग		100.00	100.00

स्रोत उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक 2000 पेज नं० 69

वर्ष 1981 एवं 91 में मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में लगभग समान है, परन्तु सीमान्त कर्मकारों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 1991 में 2.47 हो गया जबकि 1981 में यह 1.49 था। वर्ष 1991 में 1981 की तुलना में कार्य न करने वालों के प्रतिशत में कमी आयी है।

## **अध्याय - 3**

**भारत में बैंकिंग  
बैंकों का वर्गीकरण  
व्यावसायिक बैंकों की प्रगति**

## भारत में बैंकिंग

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए आर्थिक नियोजन अत्यन्त आवश्यक है और आर्थिक नियोजन को सफल होने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक नियोजन में बैंको के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से बैंको की संरचना में आधारभूत परिवर्तन किये गये हैं। यद्यपि इस समय भी देश में मुद्रा बाजार असंगठित एवं संगठित दोनों रूपों में विद्यमान है परन्तु पिछले पच्चास वर्षों में देश के संगठित मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके देश के केन्द्रीय बैंक को पूर्णरूप से सरकारी बैंक कर दिया गया है। बैंको के सन्तुलित विकास तथा उन पर प्रभावशाली नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1949 पारित किया गया एवं 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी। 1969 में देश के 14 व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 में 6 अन्य बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया।

औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई तथा 1955 में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना की गयी। देश के औद्योगीकरण के स्तर को उन्नत बनाने और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना के लिए 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी। देश में औद्योगिक वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट,

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जीवन बीमा निगम सामान्य बीमा निगम एव राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम आदि की भी स्थापना हुई।

1963 में कृषि पुनर्वित्त एव विकास निगम एव 1968 में कृषि वित्त निगम की स्थापना की गयी। 1975 में कृषि एव ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना हुई। देश की आयात एव निर्यात की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1982 में भारतीय निर्यात एव आयात बैंक की स्थापना की गयी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1982 में राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी।

## बैंकों का वर्गीकरण

वर्तमान समय में देश में कार्यरत विभिन्न बैंको को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है

- (1) केन्द्रीय बैंक
- (2) व्यावसायिक बैंक
- (3) सहकारी बैंक
- (4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (5) राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक
- (6) विकास बैंक
- (7) गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ
- (8) अन्य प्रकार के बैंक

### केन्द्रीय बैंक

बैंकिंग जगत में केन्द्रीय बैंकिंग एक अभूतपूर्व घटना है। इसीलिए विल रोजर्स ने केन्द्रीय बैंकिंग को महान मानवीय आविष्कार का दर्जा दिया



है। बैंक आफ इंग्लैण्ड विश्व का प्रथम केन्द्रीय बैंक है जिसकी स्थापना सन् 1694 ई में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर सन् 1920 की ब्रसेल्स में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय गोष्ठी में पारित प्रस्तावों के आधार पर यह निश्चित किया गया कि जिन देशों में अभी तक केन्द्रीय बैंक स्थापित नहीं किये गये हैं वहाँ शिघ्रताशीघ्र इनकी स्थापना के प्रयत्न किये जाय जिससे उन देशों में मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्थाओं में स्थिरता का भाव उत्पन्न किया जा सके एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिले।<sup>1</sup> भारत में तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों के एकीकरण के द्वारा सन् 1921 ई में इम्पेरियल बैंक आफ इण्डिया की स्थापना की गयी जो व्यवसायिक बैंक के साथ ही साथ केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कुछ कार्यों को भी करता था। किन्तु हिल्टन यंग कमीशन (1926) की सिफारिशों के आधार पर एक पृथक केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना के सम्बन्ध में 8 सितम्बर सन् 1933 को सभा में एक बिल पेश किया गया। बिल पारित होने पर गर्वनर जनरल ने उसे अपनी स्वीकृति 6 मार्च सन् 1934 को प्रदान कर दी। इस स्वीकृति के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 13 अप्रैल 1935 से केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।<sup>2</sup> एम एच डी कोक ने केन्द्रीय बैंक के निम्नलिखित सात कार्यों की चर्चा की है

- (1) निर्गमनकर्ता बैंक
- (2) सरकारी बैंकर एजेंट तथा वित्तीय सलाहकार
- (3) सदस्य बैंकों के नकद कोष का संरक्षक
- (4) विदेशी मुद्रा के राष्ट्रीय कोष का संरक्षक
- (5) अन्तिम ऋणदाता
- (6) समाशोधन गृह के रूप में कार्य करते हुए केन्द्रीय निपटारा एवं हस्तान्तरण बैंक

---

1 डी काक एम एच केन्द्रीय बैंकिंग (तीसरा संस्करण) पेज 19

2 स्नातकों के लिए अधिकोषण तथा बीमा डी एस ए अनिवार्य।

(7) साख नियन्त्रण

किसी भी देश के केन्द्रीय बैंक का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सरकार की आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक प्रणाली को इस प्रकार नियन्त्रित करना है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का चहुँमुखी विकास होकर देश में आर्थिक स्थायित्व स्थापित हो सके। रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है एवं केन्द्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न आर्थिक मामलों में सलाह देता है। रिजर्व बैंक देश में साख नियन्त्रण करने के लिए बैंक दर खुले बाजार की क्रियाएँ न्यूनतम नकद कोष चयनात्मक साख नियन्त्रण तथा नैतिक दबाव आदि रीतियों का प्रयोग करता है।

## व्यावसायिक बैंक

सामान्यतया जब बैंक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिप्राय व्यावसायिक बैंक से ही होता है। ब्रिटिश संसद ने बैंक की परिभाषा देते समय कहा कि बैंक एक फर्म या संस्था है जो परम सदविश्वास के साथ बैंकिंग व्यवसाय करता है। ये बैंक छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करके आवश्यकता वाले क्षेत्रों में विनियोजित करते हैं। व्यावसायिक बैंक को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है

- (i) अनुसूचित बैंक
- (ii) गैर-अनुसूचित बैंक
- (iii) लाइसेन्स धारी बैंक
- (iv) गैर लाइसेन्स धारी बैंक
- (v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- (vi) निजी क्षेत्र के बैंक
- (vii) भारतीय बैंक
- (viii) विदेशी बैंक

### (i) अनुसूचित व्यवसायिक बैंक

वह बैंक जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया हो उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। अधिनियम की धारा 42 (6) के अनुसार किसी ऐसे बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हो तथा निम्न शर्तों को पूरा करता हो।

- 1 उसकी प्रदन्त पूँजी तथा रक्षित निधि 5 लाख रुपये से कम मूल्य की न हो।
- 2 बैंक के कार्य कलाप जमाकर्त्ताओं के हितों के विपरीत न हो।
- 3 यह बैंक एक राज्य सहकारी बैंक अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार एक कम्पनी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय से अधिसूचित एक संस्था अथवा भारत के बाहर प्रचलित किसी सन्धियम के अन्तर्गत सम्मिलित कोई निगम अथवा कम्पनी हो।

### (ii) गैर-अनुसूचित व्यवसायिक बैंक

गैर-अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि इन बैंकों को वे समस्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती जो कि अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होती हैं परन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी जो कि एक अनुसूचित बैंक नहीं है, को एक नकद कोष रखना आवश्यक है।

### (iii) लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैंक

वे बैंक जो बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार

लाइसेन्स प्राप्त करके बैकिंग कार्य करते हैं उन्हें लाइसेन्सधारी बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक निम्नलिखित बातों से सतुष्ट होने पर लाइसेन्स प्रदान करता है।

- 1 कम्पनी के व्यवसाय का संचालन जमाकर्ताओं के प्रतिकूल न हो।
- 2 कम्पनी अपने वर्तमान तथा भावी जमाकर्ताओं के दोवों की माँग का पूर्ण भूगतान करने की स्थिति में होगी।
- 3 कम्पनी के प्रस्तावित प्रबन्ध तन्त्र का स्वरूप जनता अथवा जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल न हो।
- 4 कम्पनी की पूँजी संरचना तथा उपार्जन क्षमता पर्याप्त हो।
- 5 अन्य शर्तें जो रिजर्व बैंक उचित समझता हो।

#### (iv) गैर लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैंक

वे बैंक जो बैकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त नहीं करते हैं गैर लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैंक कहलाते हैं।

#### (v) सार्वजनिक बैंक

वह बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है उन्हें सार्वजनिक बैंक कहते हैं। सार्वजनिक बैंक को निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है।

- (1) स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक
- (2) राष्ट्रीय कृत व्यावसायिक बैंक

भारत में वर्तमान में 28 सार्वजनिक बैंक हैं।<sup>1</sup>

---

1 स्नातको के लिए अधिकोषण एव बीमा डा एस ए उन्सारी पेज न 149

## भारतीय स्टेट बैंक

अगस्त 1951 में रिजर्व बैंक ने श्री गोरवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण साख की समस्याओं की जाँच करने तथा उनसे सम्बन्धित सुझाव देने हेतु ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की थी जिसने अपनी रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की थी। इस समिति का यह मत था कि यह बैंक इम्पीरियल बैंक तथा 10 बैंकों (जिनकी स्थापना देशी राज्यों में वहाँ की सरकार के सहयोग से हुई थी) को मिलाकर बनाया जाय। इस बैंक की अधिकांश पूँजी सरकारी अधिकार में रखने का सुझाव दिया गया था। इस नये बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रखने की सिफारिश की गयी।<sup>1</sup>

भारत सरकार ने ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश स्वीकार कर लिया और तदनुसार जुलाई 1955 से भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कर दी।

1959 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सबसीडियरी बैंक) एक्ट 1959 पारित करके भूतपूर्व रियासतों से सम्बन्धित बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बैंक बना दिया गया। ये बैंक निम्न थे

- 1 स्टेट बैंक ऑफ जयपुर
- 2 स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
- 3 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- 4 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- 5 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- 6 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर
- 7 स्टेट बैंक ऑफ द्रावनकोर
- 8 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

---

1 मुद्रा बैंकिंग एव राजस्व डॉ हरिश्चन्द्र शर्मा 1995 पेज न 90

## सहकारी बैंक

भारत में सहकारी बैंक भी बैंकिंग के आधार-भूत कार्य सम्पन्न करते हैं किन्तु ये व्यावसायिक बैंको से भिन्न होते हैं। देश में सहकारी बैंको की स्थापना अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियमों द्वारा की गई है। सहकारी बैंको का गठन देश में तीन स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य में शीर्ष सस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।

उपयुक्त त्रिस्तरीय सहकारी बैंको के अतिरिक्त 16 सितम्बर 1985 से एक बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम (1984) के अन्तर्गत कुछ बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन भी किया गया है जो एक राज्य तक सीमित नहीं होती तथा एक से अधिक राज्यों में सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करती हैं। इस प्रकार की बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत बैंको के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं। इन बैंको के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, प्रथम कृषि व्यापार वाणिज्य तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। द्वितीय छोटे-छोटे साहसियों, शिल्पकारों कृषि श्रमिकों तथा छोटे एवं अन्य सीमान्त कृषकों के लिए साख एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान कर उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाना।

सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद तथा गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) भिवानी (हरियाणा) जयपुर (राजस्थान) तथा मालदा (पश्चिम बंगाल)

मे पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गयी। बाद मे देश के अन्य भागो मे भी इन बैंको का विस्तार किया गया। बैंक की पूँजी मे 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार 15 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 35 प्रतिशत प्रायोजक बैंक का हिस्सा होता है।

## राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ("NABARD")

इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 मे की गयी। नार्वाड ग्रामीण क्षेत्रो मे एक शीर्षस्थ सस्था के रूप मे अनेक वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त सुविधाए प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रो मे उत्पादन गतिविधियो के विस्तृत क्षेत्रो को बढावा देने के लिए ऋण देती है।

## विकास बैंक

देश मे मध्यम और दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की व्यवस्था के लिए विकास बैंको की स्थापना की गयी थी। जिनमे मुख्य निम्नलिखित है

### (i) औद्योगिक वित्त निगम

1 जुलाई 1948 को देश मे औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गयी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य देश मे दीर्घकालीन एव मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है। निगम केवल ऐसी सहकारी समितियो तथा लिमिटेड कम्पनियो को ऋण प्रदान करता है जो भारत मे स्थापित हो तथा वस्तुओ का निर्माण अथवा विधियन खनन विद्युत शक्ति का सृजन अथवा वितरण जहाजरानी एव जहाज निर्माण होटल उद्योग एव वस्तुओ के सरक्षण मे सलग्न उद्योगो से सम्बन्धित हो।

## **(ii) राज्यों के वित्तीय निगम**

राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों को अपने राज्यों के लिए पृथक वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य की लघु एवं मध्यम आकार वाली औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना था। पंजाब राज्य में सर्वप्रथम 1953 में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई और इसके बाद विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में वित्त निगमों की स्थापना की।

## **(iii) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम**

इसकी स्थापना 1954 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य उद्योगों के सन्तुलित एवं संगठित विकास में सरकार की सहायता करना है।

## **(iv) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम**

इस निगम की स्थापना 1955 में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में उपक्रमों के निर्माण विकास आधुनिकीकरण के कार्य में सहायता प्रदान करना एवं विनियोग बाजारों का विकास करना है। यह दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है।

## **(v) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम**

रूग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना गयी थी। मार्च 1984 में



इस निगम का पूरा उपक्रम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को हस्तान्तरित कर दिया गया था। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य बन्द पडी निष्क्रिय एव रूग्ण औद्योगिक इकाइयो का पुनर्निर्माण कर उन्हे नवजीवन प्रदान करना है।

## **(vi) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक**

देश के औद्योगिक विकास मे वित्तीय आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना सन् 1964 मे रिजर्व बैंक के एक अनुषंगी बैंक के रूप मे की गयी थी। 1976 मे इसे रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उद्यमो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

## **गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ**

इसके अन्तर्गत निम्न सस्थाओ को सम्मिलित किया जाता है

### **(i) भारतीय यूनिट ट्रस्ट**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जुलाई 1964 मे हुई। यह समाज के विभिन्न वर्गों की बचत को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियो मे विनियोजित करती है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य छोटी-छोटी बचतो को विकास कार्यों के लिए गतिशील बनाना तथा देश मे पूँजी निर्माण को अधिक तेज करना है।

### **(ii) जीवन बीमा निगम**

जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके जीवन बीमा व्यवसाय चलाने के लिए सितम्बर 1956 मे जीवन बीमा निगम की स्थापना की गयी। यद्यपि जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्य पालिसी धारियो के जीवन पर बीमा

करना है किन्तु इस माध्यम से यह छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करती है तथा उनका विनियोग विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में करती है। इस समय जीवन बीमा निगम एक महत्वपूर्ण विनियोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

### **(iii) सामान्य बीमा निगम**

सामान्य बीमा निगम की स्थापना दिसम्बर 1972 में एक सरकारी कम्पनी के रूप में की गयी थी। निगम की अधिकृत पूँजी 75 करोड़ रुपये है जो सौ-सौ रुपये के 75 लाख समता अंशों में विभक्त है। यह एक सूत्रधारी कम्पनी है जिसकी चार सहायक कम्पनियाँ हैं। सामान्य बीमा का समस्त कार्य ये चारों कम्पनियाँ करती हैं।

### **(iv) भारतीय आयात-निर्यात बैंक**

इस बैंक की स्थापना आयात-निर्यात के क्षेत्र में विकास बैंक के रूप में 1 जनवरी 1982 को की गयी। यह एक वैधानिक निगम है जिसका सम्पूर्ण नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य वित्त की व्यवस्था तथा देश के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए माल और सेवाओं के आयात-निर्यात को सुविधाजनक बनाना है।

### **अग्रणी बैंक**

14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् एफ के एफ नरीमान की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट 15 नवम्बर 1969 को प्रस्तुत की। इस समिति ने सुझाव दिया कि देश के सभी जिलों को बैंकों के मध्य बँट दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक बैंक को अपने हिस्से में आये जिलों में बैंकों की शाखाओं के विस्तार साख वितरण व सामान्य

विकास के लिए उत्तर दायी बनाया जाना चाहिए। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार भारत के 335 जिलो को 17 बैको मे बँटा गया। वर्तमान मे अग्रणी बैक योजना 443 जिलो मे लागू है जिसका उत्तरदायित्व निम्न बैको पर है

## अग्रणी बैंक

- 1 यूनियन बैक ऑफ इण्डिया
- 2 स्टेट बैक ऑफ हैदराबाद
- 3 भारतीय स्टेट बैक
- 4 इलाहाबाद बैक
- 5 स्टेट बैक ऑफ इन्दौर
- 6 आन्ध्र बैक
- 7 स्टेट बैक ऑफ मैसूर
- 8 बैक ऑफ इडिया
- 9 बैक ऑफ पटियाला
- 10 बैक ऑफ इण्डिया
- 11 बैक ऑफ सौराष्ट्र
- 12 बैक ऑफ महाराष्ट्र
- 13 देना बैक
- 14 बैक ऑफ राजस्थान लि
- 15 इण्डियन बैक
- 16 केनरा बैक
- 17 इण्डियन ओवरसीज बैक
- 18 कॉरपोरेशन बैक
- 19 जम्मू एव कश्मीर बैक
- 20 यूनाइटेड बैक ऑफ इण्डिया
- 21 पजाब नेशनल बैक

- 22 यूको बैंक
- 23 पजाब एण्ड सिध बैंक
- 24 यू पी स्टेट कॉऑपरेटिव बैंक लि
- 25 सिडीकेट बैंक
- 26 विजया बैंक
- 27 स्टेट बैंक ऑफ वि ए जयपुर
- 28 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

अग्रणी बैंक से आशय उस बैंक से होता है जिसे कुछ जिलो मे बैकिंग विकास का उत्तरदायित्व सौपा जाता है जैसे उत्तर प्रदेश मे यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को निम्न 7 जिले सौपे गये है

- (i) जौनपुर
- (ii) वाराणसी
- (iii) भदोही
- (iv) गाजीपुर
- (v) मऊ
- (vi) आजमगढ
- (vii) चन्दौली

यह बैंक इन सातो जिलो के लिए अग्रणी बैंक है जिसपर उपरोक्त जिलो मे बैकिंग विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। जब कभी किसी राज्य मे नये जिले सृजित होते है तो रिजर्व बैंक उन जिलो को भी एक अग्रणी बैंको को सौप देता है।

## अग्रणी बैंक के कार्य

रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंको के निम्न कार्य निर्धारित किये गये हैं

- (i) आवटित जिलो मे बैकिग विकास की सम्भावनाओ का सर्वेक्षण करना ।
- (ii) उन औद्योगिक एव व्यापारिक इकाइयो की जानकारी प्राप्त करना जो अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ बैंक के माध्यम से पूरी नहीं कर पा रही है ।
- (iii) आवटित जिले मे कृषि उपज के सग्रह एव बिक्री की स्थिति का अध्ययन करना ।
- (iv) अपने क्षेत्र मे खाद व कृषि के काम आने वाली वस्तुओ के रखने वाले व्यापारियो तथा कृषि औजारो की मरम्मत की सुविधा प्रदान करने वालो का पता लगाना ।
- (v) ऋण देने वाली प्राथमिक एजेन्सियो की सहायता करना ।
- (vi) सरकारी व अर्द्धसरकारी एजेन्सियो से सम्पर्क करना तथा
- (vii) ग्रामीण बैंको की स्थापना करने का दायित्य अपने जिलो मे 2 अक्टूबर 1975 से इन्ही बैंको को सौपा गया है ।

## अग्रणी बैंक योजना की सफलता

इस योजना की प्रमुख सफलता निम्न है

- (i) बैंको की शाखाओ का विस्तार हुआ है ।
- (ii) बिना बैंक वाले स्थानो पर बैंक स्थापित हुई है ।
- (iii) सभी जिलो का गहन सर्वेक्षण बैकिग सुविधाओ की आवश्यकता को ध्यान मे रखकर किया गया है ।

- (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे 35 प्रतिशत पूँजी अग्रणी बैंक ने लगायी है।
- (v) अविकसित ग्रामीण क्षेत्रो मे बैंक का विकास हुआ है।

## व्यावसायिक बैंकों की प्रगति

देश मे व्यावसायिक बैंको की प्रगति का विश्लेषण निम्न तालिकाओ द्वारा किया जा सकता है

### तालिका 3 1

#### अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों की बैंक/शाखावार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति)

वर्ष	अनुसूचित बैंक		गैर-अनुसूचित बैंक	
	बैंको की सख्या	शाखाओ की सख्या	बैंको की सख्या	शाखाओ की सख्या
1949	94	2852	526	1589
1956	89	2953	333	1240
1961	82	4388	209	725
1969	73	8045	16	217

Source Ansari Mohd Salman- "Working of the Regional Rural Banks in

Eastern Uttar Pradash" Page - 21

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आजादी के पश्चात देश मे बैंको की सख्या बहुत कम थी तथा राष्ट्रीयकरण के पूर्व तक यह निरन्तर कम

होती गयी। इस कमी का कारण अलाभकारी बैंक थे उनको बन्द कर दिया गया या तो दूसरे में विलय कर दिया गया। वर्ष 1949 में इन अनुसूचित बैंको की शाखाओं की संख्या 2852 थी जो कि 1969 में बढ़कर 8045 हो गयी। जबकि गैर अनुसूचित बैंको की शाखाओं की संख्या जो 1949 में 1589 थी घटकर 1969 में 217 रह गयी।

### तालिका 3 2

#### व्यावसायिक बैंको की शाखाओं की प्रगति का क्रमवार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के बाद की स्थिति)						
क्र स	वर्ष	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
	जून के अन्त में	शाखाओं की संख्या	शाखाओं की संख्या	प्रति बैंक औसत जनसंख्या (हजार में)	प्रति बैंक औसत जनसंख्या (हजार में)	का अखिल भारत से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	1969	8262	747	65	119	9 04
2	1989	57698	8066	12	14	13 97
3	1990	59388	8355	12	13	14 06
4	1991	60190	8444	12	13	14 02
5	1992	60649	8512	11	13	14 03
6	1993	61248	8578	11	13	14 01
7	1994	61742	8607	14	16	13 94
8	1995	62346	8646	14	16	13 87
9	1996	63084	8680	15	18	13 76
10	1997	63724	8765	15	18	13 75
11	1998	64280	8818	16	18	13 57
12	1999	64713	8839	16	19	13 66
13	2000	64976	8863	16	19	13 64

स्रोत (1) भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन

(2) रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

**नोट—** 1969 की औसत जनसख्या 1961 की जनगणना पर आधारित है। 1989 से 1993 तक 1981 की जनगणना के अनुसार तथा इसके पश्चात 1991 की जनसख्या पर आधारित है।

तालिका 32 से स्पष्ट है कि वाणिज्य बैंको की शाखाओ में निरन्तर प्रगति हुई है। जून 1969 में शाखाओ की संख्या 8263 थी जबकि 20 वर्ष पश्चात 1989 में 57698 हो गयी इस प्रकार 59835 प्रतिशत (2991 प्रतिशत प्रतिवर्ष) की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जून 2000 के अन्त तक भारत में व्यावसायिक बैंको की कुल शाखाओ की संख्या 64976 हो गयी। इस प्रकार 1989 की तुलना में 2000 में 1261 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी 1969 की अपेक्षा 1989 में 97989 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि अखिल भारतीय वृद्धि की तुलना में अधिक है। जून 2000 के अन्त में उत्तर प्रदेश में कुल शाखाओ की संख्या 8863 हो गयी। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति बैंक औसत जनसख्या जून 1969 में 65 हजार थी जबकि बाद के वर्षों में कम हो गयी और 1989 में 12000 प्रति बैंक हो गयी तथा 2000 में पुन बढकर प्रति बैंक औसत जनसख्या 16000 हो गयी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी जून 1969 के अन्त में प्रति बैंक औसत जनसख्या 119 हजार थी तथा बाद के वर्षों में कम होकर 1989 में 14 हजार तथा पुन बढकर 2000 में 19 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश का अखिल भारत से प्रतिशत जून 1969 में 904 था जबकि बाद के वर्षों में 14 प्रतिशत के लगभग रहा।



## तालिका 3.3

## व्यवसायिक बैंको की जमा-ऋण प्रगति का विवरण

(राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति)

(करोड रूपये मे)

क्र स	वर्ष	सकल जमा	सकल ऋण	सकल ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	1949	844	482	57 12
2	1961	1873	1335	71 28
3	1967	3741	2646	70 73
4	1969	4674	3615	77 34

Source Ansari Mohd Salman- "Working of the Regional Rural Banks in

Eastern Uttar Pradesh" Page - 21

तालिका 3.3 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आजादी के पश्चात तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंको की जमाओं तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। वर्ष 1949 में कुल जमा धनराशि 844 करोड थी जो 1969 में बढ़कर 4674 करोड रूपये हो गयी। इस प्रकार जमाओं में 453.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1949 में सकल ऋण की राशि 482 करोड रूपये थी जो 1969 में 3615 करोड हो गयी। इस प्रकार ऋणों में 650 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो कि जमा की वृद्धि की अपेक्षा लगभग 150 प्रतिशत अधिक थी। ऋण जमा अनुपात भी सन्तोषजनक रही। ऋण जमा अनुपात 1949 में 57.12 प्रतिशत था जो कि बाद के वर्षों में 1961, 1967 व 1969 में क्रमशः 71.28, 70.73, 77.34 प्रतिशत रहा। ऋण जमा अनुपात से यह विदित होता है कि बैंको ने अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।

## तालिका 3.4

भारत में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंको की जमा-ऋण  
प्रगति का क्रमवार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के बाद की स्थिति)

(धनराशि करोड रुपये में)

क्र स	वर्ष	सकल जमा	सकल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	1971	5906	4684	79.3
2	1976	14155	10877	76.8
3	1981	37988	25371	66.8
4	1986	85404	56067	65.7
5	1991	192542	116301	60.4
6	1996	433819	254015	58.6
7	1997	505599	278401	55.1
8	1999	714025	368837	51.7
9	2000	813345	435958	53.6

स्रोत (1) रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

(2) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन

(3) बैंकिंग सांख्यिकीय

तालिका 3.4 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भारत में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंको की जमाओं तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। 1971 में जमा 5906 करोड रुपये था जो कि 1981 में 37988 तथा 1991 में 192542 करोड रुपये हो गयी और यह बढ़कर 2000 में 813345 करोड

हो गयी। इसी प्रकार ऋण मे भी निरन्तर वृद्धि रही 1971 मे यह राशि 4684 करोड रूपये थी जो कि 1981 1991 एव 2000 मे बढकर क्रमश 25371 116301 तथा 435958 करोड रूपये हो गयी। ऋण जमा अनुपात प्रत्येक वर्ष सन्तोष जनक रहा जो कि 50 प्रतिशत से सदैव ऊपर रहा है। 1971 मे सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात 79.3 प्रतिशत था जबकि न्यूनतम 1999 मे 51.7 प्रतिशत था। 2000 मे पुन बढकर 53.6 प्रतिशत हो गया।

## अध्याय - 4

ग्रामीण वित्त व्यवस्था एवं स्रोत

## ग्रामीण वित्त

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की वित्तीय आवश्यकता अनेक प्रकार की होती है जिसमें से प्रमुख निम्न दो प्रकार की हैं

(क) कृषि वित्तीय आवश्यकता

(ख) गैर कृषिय वित्तीय आवश्यकता।

### कृषि वित्तीय आवश्यकता

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय एवं कुल रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। परन्तु अन्य देशों की तुलना में सापेक्षिक दृष्टिकोण से भारतीय कृषि अपनी अल्प उत्पादिता एवं पिछड़े पन के लिए विख्यात है जबकि कृषि क्षेत्र को न केवल कृषि कार्य में लगे हुए लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, अपितु अतिरिक्त भी सृजित करना चाहिए। इससे कृषि के अभिनवीकरण एवं उसमें पर्याप्त विनियोग की आवश्यकता प्रतीत होती है और कृषि साख का महत्व स्पष्ट होता है। भारत में कृषि की नवीन तकनीक का प्रादुर्भाव (1960-61-1970-71) के दशक में हुआ है। प्रत्येक कृषक परिवार इस नवीन तकनीक से कृषि में सुधार एवं उससे लाभ उठाना चाहता है जबकि यह तकनीक विभिन्न आधुनिक आगमों

जैसे— रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाएँ आधुनिक कृषि यन्त्र ट्रैक्टर थ्रेसर पम्पसेट आदि पर आधारित हैं जिसके लिए कृषि साख की आवश्यकता पड़ती है।

भारत में साधारणतया छोटी जोत वाले कृषको की आय मात्र जीवन निर्वाह के लिए ही संभव हो पाती है। कभी—कभी तो उसे आवश्यक उपभोग के लिए भी ऋण लेना पड़ता है ऐसे निर्धन समाज में कृषक को प्रत्येक फसल में खेती के कार्यों के लिए जैसे खाद बीज जुताई आदि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है।

## कृषि साख का प्रकार एवं वर्गीकरण

बैंकिंग संस्थाओं और वित्त के प्रकारों को समझने के लिए कृषको द्वारा ऋण की माँग के प्रकार को जानना आवश्यक है। कृषको के बीच भिन्न—भिन्न प्रकार के ऋणदाताओं को जानना और इन ऋणदाताओं द्वारा भिन्न—भिन्न प्रकार का ऋण भिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रदान करना की भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

कृषि साख को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो कि निम्नलिखित हैं

- (i) खेती के स्वभाव के आधार पर
- (ii) आर्थिक स्थिति के आधार पर
- (iii) उत्पादकता के आधार पर
- (iv) अवधि के आधार पर
- (v) सुरक्षा के आधार पर
- (vi) साख संस्थाओं के आधार पर

### (i) खेती के स्वभाव के आधार पर

खेती के स्वभाव के आधार पर कृषि साख का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे क्या कृषक नकद फसल के लिए ऋण ले रहा है या फल फूल उगाने के लिए या बागवानी के लिए या फिर मिश्रित खेती के लिए ऋण प्राप्त कर रहा है।

### (ii) आर्थिक स्थिति के आधार पर

कृषि साख का दूसरा वर्गीकरण सामान्यतः कृषक की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। जो बहुत लाभदायक है। कृषक का यह वर्गीकरण उनके खेती के आधार पर किया जाता है। प्रथम बार भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने इस आधार पर कृषक ऋण प्राप्तकताओं का वर्गीकरण किया। इसमें कृषकों को समिति ने तीन वर्गों में रखा (1) बड़ा कृषक (2) मध्यम कृषक (3) छोटा कृषक।

### (iii) उत्पादकता के आधार पर

इस आधार पर कृषि साख दो प्रकार के होते हैं

(अ) उत्पादक साख (ब) उपभोक्ता साख

(अ) **उत्पादक साख** : उत्पादक साख को ऐसे साख के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कृषकों द्वारा अपनी आय को अधिक बढ़ाने के लिए एवं अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया जाता है। उत्पादक साख विनियोग के उद्देश्यों के लिए लिये जाते हैं। साख के प्रयोग की प्रवृत्ति कुछ निश्चित सम्पत्ति जैसे कुआँ ट्रैक्टर पम्पसेट बीज श्रेशर मशीनों आदि को खरीदने के लिए लिया जा सकता है। उत्पादक साख को पुनः निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

**राजीनामा साख** यह वह साख है जिसे नये ऋण की व्यवस्था पुन निवास खेती छाया की बनावट या खेती के भवन के लिए लिया जाता है।

**विकास साख** यह ऐसी साख है जिसे कुँओ का खोदना नाली की व्यवस्था या भूमि को समतल करने के उद्देश्य से लिया जाता है।

**साज और समान साख** : साज और समान साख (औजार) वह साख है जिसे औजारो को खरीदने के लिए प्राप्त किया जाता है जैसे ट्रैक्टर पम्पसेट या मशीनो की मरम्मत के लिए और अपने खर्चों के लिए।

**(ब) उपभोक्ता साख** : उपभोक्ता साख सेवा या दैनिक उपभोग की वस्तुओ की शीघ्र आवश्यकता की सतुष्टि के लिए लिया जाता है। ऐसी उपभोक्ता साख या ऋण की पुन अदायगी भविष्य मे आय की आशा पर निर्भर होती है।

एक समय उपभोक्ता साख को ऋण देने वाली सस्थाओ के द्वारा अनुकूल विचार नही किया गया। लेकिन अब यह महसूस किया गया कि कुछ कृषक अपने शीघ्र और दैनिक उपभोग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दो फसलो के बीच उन लोगो को सक्षम बनाने के लिए और उनके परिवार सन्तोषपूर्वक कार्य करने के लिए प्राप्त कर सकते है। ऐसी साख को लगभग उपभोक्ता साख के दर्जा पर विचार किया जा सकता है। फिर भी यह निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि उपभोक्ता साख को अनावश्यक चीजो पर खर्च न किया जाय जैसे चल सम्पत्ति या विलासिता की वस्तुओ पर आदि।

#### **(iv) अवधि के आधार पर साख**

कृषि साख का चौथा महत्वपूर्ण वर्गीकरण समय की अवधि या अन्तराल के आधार पर किया जा सकता है। अवधि के आधार पर साख निम्न तीन प्रकार की होती है



**(1) अल्पकालीन या मौसमी साख :** खेती में निरन्तर होने वाले कार्यों जैसे बीज खाद व उर्वरक खरीदना फसल काटते समय या कृषिकार्य की अन्य प्रक्रिया में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ऋण की अवधि 3 माह से 18 माह की होती है। अर्थात् दो फसलों या तीन फसलों के बीच का समय होता है। ऐसे ऋणों का भुगतान प्रायः फसल कटने पर कर दिया जाता है।

**(2) मध्यकालीन साख .** मध्यम काल का ऋण वह ऋण होता है जो 18 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लिए दिये जाते हैं। मध्यम दर्जा का ऋण बैल या दूध वाले जानवर या छोटे कृषि यंत्र कुएँ की खुदाई या कृषि योग्य भूमि के विकास के उद्देश्य के लिए दिया जाता है। वर्तमान समय में कृषि कार्य के अभिनवीकरण की प्रक्रिया में मध्यकालीन साख की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी है।

**(3) दीर्घकालीन साख :** दीर्घकालीन ऋण के अन्तर्गत 5 वर्ष से 25 वर्ष तक का लम्बा समय वाला ऋण विचार किया जा सकता है। लम्बे समय का ऋण नयी जमीन खरीदने के लिए या भूमि के टुकड़े में निश्चित विकास के लिए जैसे खेती पर सिंचाई कुआँ नाली महंगे कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर पम्पिंग सेट आदि खरीदने के लिए लिया जाता है।

#### **(v) सुरक्षा के आधार पर वर्गीकरण**

साख का पॉचवा वर्गीकरण सुरक्षित और असुरक्षित ऋण है। सम्भवतः ऋण देने वाली संस्थायें कृषकों को ऋण की सुरक्षा में व्यक्त खतरे की पूर्ति करने के लिए ऋण के बदले सन्तोषपूर्ण एवं उचित जमानत रखने के लिए इच्छुक होती हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित ऋण को आगे तीन उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न हैं

(अ) वास्तविक या बन्धक साख या ऋण

(ब) चल साख

(स) व्यक्तिगत साख

इस सुरक्षित ऋण का वर्गीकरण तीन धन जैसे भूमि समान और चरित्र पर आधारित है।

**(अ) वास्तविक बंधक साख या ऋण** - इस प्रकार की साख में ऋण को अचल सम्पत्ति के बन्धक द्वारा सुरक्षित किया जाता है। जिसमें भूमि बन्धक साख के रूप में प्रथम दर्जे की आती है। यह विशेष प्रकार की साख होती है। और इस छोटी भूमि की कीमत इसकी उत्पादकता इत्यादि के लिए प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के बन्धक साख को इसलिए विशेष प्रकार के साख सस्थाओं के सुपुर्द कर दिया गया जैसे भारत भूमि बंधक विकास बैंक।

**(ब) चल साख** यह साख दूसरे श्रेणी के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार के ऋण की चल सम्पत्तियों के जमानत पर सुरक्षित किया जाता है। जैसे हिस्सा इकरारनामा वसीयत बीमा योजना नीति या चल समानों के नाम पर इत्यादि।

**(स) व्यक्तिगत साख** - व्यक्तिगत साख ऋण लेने वाले के चरित्र की सुरक्षा पर आधारित है। इसके अन्तर्गत ऋण लेने वाले के कार्य क्षमता कार्य का स्वभाव और इमानदारी तथा पहले की सूची इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। यह साख व्यक्तिगत प्रतिज्ञा पत्र या तीसरे पक्षकार की जमानत के द्वारा सुरक्षित की जाती है।

## **(vi) साख संस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण**

वित्त प्रदान करने वाली सस्थाओं के आधार पर कृषि वित्त को निम्न दो भागों में बाटा जा सकता है

(अ) गैर सस्थागत वित्त

(ब) सस्थागात वित्त

**(अ) गैर संस्थागत वित्त** - साख सस्था व्यक्तिगत दल हो सकता है जैसे साहूकार स्वदेशी ऋणदाता विक्रेता सम्बन्धी और मित्र। व्यक्तिगत साख पर सरकार द्वारा पारित नियम या नियत्रण लागू नहीं होते हैं। साहूकार अधिनियम सामान्यत किसी सार्वजनिक सस्था द्वारा शासित नहीं किये जाते और सामान्यत सार्वजनिक निरीक्षण या निर्देश का विषय नहीं होता। प्राय यह महसूस किया गया कि व्यक्तिगत साख बडे रकम के लिए उपयोगी नहीं तथा यह शोषित भी है। व्यक्तिगत साख के सम्बन्ध मे जो कुछ भी कानूनी कार्य ढँचा आता है जिसे ऐसा करने के लिए माना गया अधिकाश को व्यक्तिगत ऋणदाता की इच्छा पर छोड दिया जाता है।

**(ब) सस्थागत वित्त** व्यक्तिगत साख की दोषो को देखते हुए वित्तीय व्यवस्था सामाजिक सस्थाओ व्यापारिक बैको बीमा कम्पनियो इत्यादि के द्वारा कृषि वित्त को सुरक्षा प्रदान किया गया। ये सस्थाये सार्वजनिक नियत्रण के अन्तर्गत कार्य करती है जैसे भारतीय कम्पनी अधिनियम बैक नियत्रण अधिनियम आदि। सस्थागत सस्थाओ को नियमो और नियमितता के द्वारा बाधा गया और उनके लेखा जोखा और हिसाब की सार्वजनिक जाच के लिए खोल दिया गया है।

## गैर कृषिय वित्तीय आवश्यकता

ग्रामीण ऋण (अकृषि) को गैर कृषि ग्रामीण ऋण, कृषयेतर क्षेत्र हेतु ग्रामीण ऋण इत्यादि नामो से जाना जाता है। ग्रामीण ऋण (अकृषि) की ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं है परन्तु इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है — ग्रामीण ऋण अकृषि वह क्षेत्र है जिसे गैर कृषि ग्रामीण ऋण कहा जाता है तथा यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन भी हो सकता है व इससे बाहर भी तथा इसमे कृषि से इतर व्यवसायो लघु उद्योगो अत्यत लघु उद्योगो, कुटीर उद्योगो, कारीगरो

दस्तकारो को उद्योग व्यापार या सर्वर्द्धनात्मक क्रियाकलापो हेतु समिश्र व समान्वित ऋण प्रदान किया जाता है ताकि गँवो का चहुँमुखी विकास हो सके ।

उक्त परिभाषा से ग्रामीण ऋण (अकृषि) तो स्पष्ट हो जाता है परन्तु उसमे आए हुए शब्द लघु उद्योग कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग व्यापार अथवा सर्वर्द्धनात्मक क्रियाकलापो को परिभाषित करना जरूरी हो जाता है ताकि उक्त परिभाषा को सही रूप मे समझा जा सके । अत इन उद्योगो की सक्षिप्त जानकारी निम्नवत् है – लघु उद्योगो को मुख्यत दो भागो मे बाँटा जाता है (1) लघु उद्योग औद्योगिक उपक्रम तथा (2) अनुषंगी उपक्रम ।

लघु उद्योगो को इकाई मे लगाई गयी सयत्र एव मशीनरी के प्रारम्भिक मूल्य मे निवेश की उच्चतम सीमाओ के अनुसार परिभाषित किया गया है ।

**लघु औद्योगिक उपक्रम :** ऐसे औद्योगिक उपक्रम चाहे वह स्वामित्व अथवा पट्टे या किराये पर हो और जिसका स्थायी परिसम्पत्तियो मे सयत्र एव मशीनरी मे निवेश एक करोड रुपये से अधिक न हो ।

**अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम :** निम्नलिखित अपेक्षाओ को पूरा करने वाले औद्योगिक उपक्रम को अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम के रूप मे पुन श्रेणी बद्ध किया जाएगा

एक औद्योगिक उद्यम जो पुर्जो घटको उप समन्वायोजन, औजारो अथवा मध्यवर्तियो का उत्पादन अथवा विनिर्माण कार्य करता हो या करना चाहता हो अथवा जो एक या अधिक औद्योगिक उपक्रम मे अपने उत्पादन/सेवाओ को 50 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति करता हो या करना चाहता हो जैसी भी स्थिति हो ओर उसका स्थायी परिसम्पत्तियो मे चाहे वे स्वामित्व अथवा पट्टे या किराये पर हो सयत्र एव मशीनरी मे निवेश एक करोड रुपये से अधिक न हो ।

**अति लघु उद्यम :** अति लघु उद्यमों के लिए सयत्र एव मशीनरी में निवेश का अधिकतम सीमा २५ लाख रुपये है चाहे इकाई कहीं भी स्थित हो।

## गैर कृषिय ग्रामीण ऋण - नवीनतम योजनाएँ

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले कृषकों का प्रतिशत 51.6 था जबकि कृषि श्रमिक 30.7 तथा अन्य क्रियाकलापों में लगे श्रमिक 17.7 प्रतिशत हैं अर्थात् 48.4 प्रतिशत कृष्येतर क्रियाकलापों में लगे थे।<sup>1</sup> अतः आयोजनाकारों को जितना ध्यान कृषि पर देना चाहिए उतना ही ग्रामीण अकृषि क्षेत्रों के लिए भी दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बैंक ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए भी अनेक नवीनतम योजनाओं के निर्माण एवं वित्तपोषण से ग्रामीण अकृषि ऋण योजनाओं को महत्व दे रहे हैं। इसी सन्दर्भ में महिलाओं के लिए व कौशल विकास के लिए विशेष योजनाओं का उल्लेख करना तर्क सगत रहेगा। प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं <sup>2</sup>

**1. शिल्पकार गिल्ड :** कार्यरत शिल्पकारों को आपस में मिलाने उनमें समूह भावना विकसित करके उनके व्यवसाय से संबंधित जरूरतों समस्याओं को मिल बैठकर दूढ़ने के उद्देश्य से शिल्पकार गिल्ड योजना तैयार की है। इस योजना द्वारा शिल्पकार जहां एक ओर संगठित होकर नए-नए उत्पादों का विकास करेंगे वहीं दूसरी ओर बाजार और

---

1 कृष्येतर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका — पेज न 9

2 कृष्येतर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका — पेज न 9

विपणन से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान देगे व इस दिशा में ठोस योजना बनाएंगे। इस योजना को वे प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएँ सर्वद्वंद्वन में लगे सरकारी निकाय बैंक कॉर्पोरेट निकाय तथा शैक्षिक संस्थाएँ चला सकती हैं जो ग्रामीण औद्योगीकरण से जुड़ी हों। इस योजना के अन्तर्गत प्रायोजक एजेसी को राष्ट्रीय बैंक घरेलू सर्वेक्षण नए डिजाइनों के विकास तथा ऐसे अन्य कार्यों हेतु अनुदान प्रदान करता है जो कार्य शिल्पकार अकेले न कर सकते हों जैसे वर्कशेड का निर्माण सामान्य सुविधाएँ इत्यादि।

**2 स्व-सहायता समूह** इस योजना के अन्तर्गत 10 से 20 सदस्यों के समूह द्वारा की गई बचत से चार गुनी राशि तक ऋण स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक इस योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों पर 100 प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता देता है। महिलाओं के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना है।

**3 कृषि उद्यमों के लिए लचीली योजना** - इस योजना के अन्तर्गत अच्छे रिकार्ड रखने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को कृषि उद्यमों का विकास करने के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्य का दायित्व लेने वाले स्वैच्छिक संस्थानों को परियोजना लागत का मात्र 10 प्रतिशत उपलब्ध कराना होगा। यह किसी भी रूप में हो सकता है भूमि श्रम या अन्य । परियोजना की संकल्पना चलाने का तरीका व परिचालन विवरण स्वैच्छिक संस्था की इच्छानुसार हो सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पाने के लिए निम्नलिखित प्रकार की स्वैच्छिक एजेसियाँ भाग ले सकती हैं

- (क) एजेसी/संगठन विधिक अस्तित्व रखती हो/रखता हो।
- (ख) यह नियमित रूप से तीन वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हो।
- (ग) इसमें जाति धर्म सम्प्रदाय के नाम पर भेद-भाव न किया जाता हो।

- (घ) इसके सदस्य किसी भी राजनैतिक पार्टी के चुने हुए सदस्य न हो।
- (ङ) यह सस्था व्यावसायिक ज्ञान क्षमता व दक्षता रखती हो ताकि परियोजना के कार्यान्वयन उसकी आयोजन प्रबन्ध में वह दक्षता पूर्वक कार्य कर सके।

**4 कृषि एवं ग्रामीण उद्यमिता उद्भवन (इनक्यूवेशन फण्ड) :** यह योजना (फण्ड) जोखिम भरे उपक्रमों/उद्यमों के लिए नई तकनीकी/प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बनाई गई है। इसके अन्तर्गत कृषि और अकृषि दोनों ही प्रकार के उद्यमों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने से लेकर उसके विपणन तक के लिए प्रावधान किया है। यह निधि आरम्भिक अवस्था में 5 करोड़ रुपये से आरम्भ की गई है।

**5. ग्रामीण सूक्ष्म तथा घरेलू उद्यमों हेतु थोक ऋण योजना :** यह योजना स्वैच्छिक सस्थाओं/गैर सरकारी सस्थाओं और ग्रामीण महिलाओं के समूहों/उद्यमों के लिए तैयार की गई योजना है। यह उन सस्थाओं के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों में बचत की आदत डालने व ऋण देने के कार्य में लगी है। इस योजना के अन्तर्गत सस्था 1 में 3 वर्ष के दौरान दिये जाने वाले ऋणों के लिए कार्यक्रम तैयार करना होगा तथा सस्था को अपनी इस योजना में दर्शायी राशि के 25 प्रतिशत भाग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस 25 प्रतिशत की राशि में वित्तपोषण करने वाले बैंक की सिफारिश पर शिथिलता दी जा सकती है।

**6. महिला विकास वाहिनी :** ग्रामीण महिलाओं के लिए गैर कृषि क्षेत्र के क्रियाकलापों में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु महिलाओं द्वारा चलाई जा रही स्वैच्छिक सस्थाओं के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमें प्रति सस्था (क्लब) के लिए रु 1500 प्रतिवर्ष अनुरक्षण हेतु दिये जाते हैं। ऐसी स्वैच्छिक सस्थाएँ प्रति क्लब के लिए 2000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रशासनिक अनुदान पाने की भी हकदार हैं।

**7. अरविद योजना** यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई है। स्वैच्छिक सस्थाओं/खादी एव ग्रमोद्योग आयोग/खादी बोर्ड/महिला विकास निगमों द्वारा यह योजना ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने व उनके विकास के लिए ऋण देने हेतु तैयार की गई है।

**8 ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम :** ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को सलग्न रूप से विकसित करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (REDP) का स्थान अति महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों सवर्द्धन में लगे सगठनों व स्वैच्छिक सस्थानों को नाबार्ड द्वारा अनुदान सहायता दी जाती है।

**9 ग्रामीण शिल्पकारों को बाजारोन्मुख प्रशिक्षण :** इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिल्पकारों को बाजार व उससे जुड़े पहलुओं से अवगत कराया जाता है ताकि उसे उसके द्वारा तैयार माल का समुचित दाम मिल सके साथ ही बाजार में माल की खपत बाजार में किस प्रकार के माल/डिजाइन आदि की माग है इत्यादि सबधी जानकारी दी जाती है। ऐसे अभिकरण जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का अनुभव है व इस क्षेत्र में वे व्यावसायिक ज्ञान रखते हों तो वे अनुदान सहायता पाने के पात्र हैं।

**10. दक्ष दस्तकारों द्वारा प्रशिक्षण :** हमारे देश में दक्ष दस्तकारों की कमी नहीं है। इन दस्तकारों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए इनके द्वारा दस्तकारों को प्रशिक्षण दिलाने की योजना भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक ने विकसित की है। इसके लिए नाबार्ड द्वारा पूर्ण सहयोग मिलता है।



## गैर कृषि क्षेत्र हेतु अनुमोदित उद्योग / क्रियाकलाप

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृष्येतर उद्योगो हेतु एक सूची जारी की गई है। जिसमे विधि उद्योगो व क्रियाकलापो को 22 खण्डो मे बाटा गया है। इन 22 खण्डो के भी उप विभाग किये गए है जिसमे अधिकाश उद्योगो क्रियाकलापो को समाहित किया गया है। परन्तु इस सूची को सम्पूर्ण नही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य क्रियाकलापो को कृष्येतर क्षेत्र के लिए ऋण देने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। अनुमोदित क्रियाकलापो की सूची निम्नवत है। गैर कृषि उद्योगो हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अनुमोदित लघु कुटीर अत्यत लघु और ग्रामोद्योगो की सूची

### (1) हस्त हिल्प

(i) **कलात्मक कपडा** - (कढाई/जरी का कार्य सहित) बोकेडस हिमरूज और शॉल गोटा-पट्टा कार्य कढाई (सूती रेशमी और ऊनी), चिकन कार्य नक्की मोटा जरी और जर्दोजी सहित बेस कार्य बेर्डिंग पिथ कार्य पिठ्त हार फूल।

(ii) **चूडी और मनका** ओक्सीकृत चूडी, कगन कृतिम मोती।

(iii) **बेत बॉस और फूस इत्यादि** : लकडी की कधी टोकरी बनाना आर्टप्लेट का निर्माण।

(iv) **मलीचा** : नामा धास गुब्बास और दरी मसनद रेगा (सिसल) कबल सहित ऊन का कार्पेट कबल और दरियाँ।

(v) **मृत्तिका शिल्प** मिट्टी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तन।

(vi) **शख का कार्य** - शख से बनी वस्तुएँ ।

(vii) **फ्लैक्स और रगा** फ्लैक्स और रेशा से बना बैग चटाई टे आदि ।

(viii) **हाथ से छपाई** हाथ से छपाई कैलिको छपाई कलमकारी बाटिक रोगन सहित कपडो की परपरागत रगाई ।

(ix) **आभूषण** बहुमूल्य मध्यम मूल्य के और कृत्रिम पत्थर बहुमूल्य धातुओ के आभूषण नकली आभूषण लाल और कृत्रिम रत्नो/पत्थरो को काटना और पालिश करना ।

(x) **धातु के बर्तन** चाँदी के बर्तन बिद्री जर्दोजी का कार्य पीतल के बर्तन तौबे के बर्तन कासे के बर्तन हाथी के दौत पर नक्काशी आयरन शेल और सीग का काम ।

(xi) **पत्थर के कार्य** : पत्थर पर नक्काशी, सगमरमर के कार्य सिलखडी ।

(xii) **लकडी के कार्य** : लकडी पर नक्काशी और जडाऊ कार्य निर्मल उभारदार कार्य सजावटी फर्नीचर स्लेट फ्रेम खिलौना बनाना इत्यादि सहित लकडी को मोडने और बैक वेयर ।

(xiii) **कुट्टी** (पेपर मागे)

## (2) ग्रामोद्योग

बढई का कार्य, लुहार का कार्य, मधुमक्खी पालन, मधु और मधु उत्पादन, कुटीर माचिस कुटरी निओ साबुन कुटीर ग्रामोद्योग हड्डी खाद बीडी बनाना झाडू बनाना गोबर इत्यादि से खाद और मिथेन गैस का उत्पादन और उपयोग ।

### (3) चमड़ा उद्योग

खाल उतारना चर्म शोधन जूता चप्पल बनाना चर्मकार चमड़े की पोशाक चमड़े की कलात्मक वस्तुएं बैक थैला दस्ताने बैल्ट आदि।

### (4) बर्तन

मिट्टी के बर्तन सजावटी बर्तन पोर्सलेन चीनी मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन क्ले को सॉचे में ढालना पत्थर के बर्तन रानी गज/ मगसूर टाइले कलात्मक/अनूठे बर्तन ईंधन बचाने वाले चूल्हे।

### (5) कागज के उत्पादन

टिशू कागज मोमी कागज कागज के थैले लिफाफे कागज की प्लेटे कप कागज के नैपकिन फेशियल टिशू नैपकिन, टेलीप्रिटर रोल टायलट पेपर रोल फाइल कवर फाइल बोर्ड लिखने का पैड, सजावटी कागज।

### (6) छापाई, जिल्दसाजी, लिखोग्राफी

### (7) कौंच

कौंच के बर्तन बनाना कौंच के दर्पण, कौंच के चूड़ियाँ कौंच का मनका कौंच की स्लाइडे, थर्मामीटर।

### (8) रबड़ के समान और संबद्ध उत्पाद

जूता-चप्पल/स्पोर्ट जूते साइकिल के टायर/ट्यूब सर्जिकल

दस्ताने/लेटेक्स रबड की नली बिजली के तार (इसुलेटेड) पेट ब्रश कधी दूथब्रश ।

## (9) निर्माण/विल्डिंग का सामान

पत्थर तोडना उत्खनन कक्रीट के सामान ईट और टाइले सगमरमर के कार्य चूना सीमेट के कार्य खनन कार्य खडिया (चूना) बनाना सेद्रवाडम टाइले ब्लॉक्स जालिया आदि ।

## (10) रसायन/रसायन उत्पादन

मोमबत्ती बनाना नैफथेलिन की गोलिया जूते की पॉलिश लकडी की पॉलिश फ्रेच पॉलिश धातु पॉलिश नहाने का साबून धुलाई का साबनु दूथ पेस्ट दियासलाई दूथ पाउडर आतिशबाजी दवाइया पशु सरेश, कार्यालय गोद अगरबत्ती इत्र कोलोन कोल्ड क्रीम टेलकम पावडर टायलेटरी सोडा नमक स्टार्च ।

## (11) पेट्रोरसायन (प्लास्टिक) उत्पाद

पी पी /एच डी/एच एम पी ई /एल एल डी ई / फिल्म और सबद्ध उत्पाद पी वी सी ग्रैन्यूल इजेक्शन मोल्डिंग्स, थर्मोप्लास्टिक उत्पाद अर्थात बाल्टी, बक्स टब मग फोल्डर इत्यादि पॉलिथीन की बोरी/थैले, अन्य प्लास्टिक उत्पाद ।

## (12) सामान्य अभियांत्रिकी

छातो के हैडल नाली के पाइप ढलाई घर अलौह धातु कार्य स्टील ट्रक धातु की चादरो का कार्य ताला बनाना टिन का कार्य लुहार

का कार्य मेटल रोलिंग एल्यूमिनियम की वस्तुए डाक मोहरे पीतल/तॉबा/घटियो की धातु का कार्य कृषि उपकरण बीम स्केल मशीनी खिलौने औजारो का निर्माण एसेम्बली कार्य स्टोव पिन सेफटी पिन एल्यूमिनियम के बटन सिगलन लैम्प हरीकेन-लालटेन कॉटेदार तार चम्मच-कटलरी कॉटा पीतल/डल्यूमिनियम/तॉबा/लोहा/चॉदी/कासा/जर्मन सिल्वर के बर्तन तार-जाली वेलहेड वायर मेश उस्तरे चाकू और दाढी बनाने का ब्लेड आरा छेनी बोटल के वाशर धडियो के लिए धातु की बनी चैन जिप बधक ताले ।

### **(13) इलेक्ट्रानिक/ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी**

बिजली के उपकरण रेडियो के उपकरण मोटर के पुर्जो का निर्माण साइकिल के पुर्जो का निर्माण वर्धक पी वी सी /सोल्डरिंग वायर सजावटी बल्ब सार्वजनिक सबोधन प्रणाली बैटरी एलीमिनेटर्स/रेगुलेटर श्रव्य उपकरण हेअर ड्रायर बैटरी चार्जर छोटे ट्रांसफॉर्मर बर्गलरी एलार्म ।

### **(14) खेल का सामान**

सभी प्रकार के खेलो के जाल हाकी स्टिक चिडिया (शटल कॉक) क्रिकेट के बल्ले गेद फुटबॉल बॉलीबॉल और बास्केट बॉल कवर शारीरिक स्वस्थ्यता उपकरण ।

### **(15) लेखन सामग्री**

स्याही निर्माण बॉल प्वाइट पैन फाऊटेन पैन, पैन की निब पैसिल, पेपर पिन, कार्बन पेपर हाथ से बनाये गए कागज हाथ से बनाया गया गत्ता रेखनपटल (ड्राइंग बोर्ड) पटरी (फुट रूल्स) ।

## (16) कृषि उद्योग

(अ) कृषि निवेश उत्पादन अर्थात् रसायन, उर्वरक, खाद इत्यादि।

(आ) कृषि मशीनरी अर्थात् हल, कर्षक, चारा काटने वाली मशीन तावेदार फावडा, कीटनाशक, डस्टर, स्प्रेयर्स, लेवलर, निरार्ड की मशीन।

(इ) कृषि अभिसस्करण (खाद अभिसस्करण इकाई सहित)

(i) तेल उद्योग घानी तेल – नियो

(ii) धान और सिजरिअल्स की हाथ से कुटाई

(iii) चावल तैयार करना

(iv) आटा चक्की

(v) गन्ने का गुड और खडसारी इकाई – गुड सडसारी

(vi) ताड का गुड और ताड के अन्य उत्पाद जैसे – नीरा गुड पाम कैन्डी, ताड के पत्तो की चटाई/अन्य उत्पाद ताड के रेशे के ब्रश।

(ई) खाद्य अभिसस्करण (निर्माण)

(i) फल अभिसस्करण और परिरक्षण

(ii) फलो और सब्जियो की डिब्बा बदी

(iii) कोको/काजू अभिसस्करण

(iv) इमली अभिसस्करण

(v) फरसाण/अल्पाहार

(vi) आचार और चटनी/सॉस/केचप/जेम

- (vii) स्पाइसेज मसाले और करी पाउडर
- (viii) अफलम/पापड बनाना
- (ix) सूप और नूडल
- (x) सेवइयों मैकरोनी
- (xi) समुद्री उत्पादों का अभिसंस्करण
- (xii) बेकरी

## (17) सिलाई और रेडीमेड पोशाक

होजरी पोशाक तैयार करना बुनाई और सिलाई, कमर का साज-सामान इत्यादि।

## (18) रेशम उत्पादन

- 1— ऐरी, मूगा और टसर के उत्पादन के लिए गैर शहतूत क्षेत्रों में रियरिंग और डीलिंग।
- 2— शहतूत क्षेत्रों में कीट-पालन रीलिंग और बटाई और बुनाई गतिविधियाँ।

## (19) नारियल का रेशा

नारियल के रेशे की चटाइयाँ नारियल रेशे की रस्सियाँ।

## (20) हथकरघा/पावरलूम

यार्न का निर्माण कताई गतिविधियाँ धागे के गोतेले, कॉटन फिलिंग्स, सूती, सिल्क और ऊनी कपड़े लोक वस्त्र पॉली वस्त्र।

## (21) जनजाति/वन क्षेत्रों पर आधारित कार्यकलाप

- (1) फलो पौधो बीजो तथा पत्तो का एकत्रीकरण/अभिसस्करण/  
विपणन ।
- (II) पेड मूल के तिलहनो मे से तेल निकालना ।
- (III) फूलो का आसवन (डिस्टिलेशन) ।
- (IV) शहद निकालना ।
- (V) विभिन्न स्रोतो से रेशे निकालना ।
- (VI) घास बेल बॉस पर आधारित कलाए ।
- (VII) वुड क्राफ्ट ।
- (VIII) सामाजिक वानिकी पौधो के लिए गमले ।
- (IX) कत्था तैयार करना ।
- (X) गोद राख का एकत्रीकरण/अभिसस्करण ।
- (XI) लाख का एकत्रीकरण/अभिसस्करण
- (XII) अन्य उत्पाद ।

## ऋण हेतु प्रक्रिया

राष्ट्रीय बैंक वस्तुतः गैर कृषि क्षेत्र के लिए पात्रता सबधी मानदण्डो को लागू ही नहीं किया है जिसके आधार पर गतवर्ष की वसूलियों के आधार पर ही पुनर्वित्त की मात्रा सुनिश्चित की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अकृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्वाह ऋण सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय बैंक ने कृषि क्षेत्र पर लागू नियमों को अकृषि क्षेत्र के लिए लागू न करके परोक्ष रूप में गैर कृषि के लिए ढील दी है।



गैर कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है बल्कि इसके लिए अन्य ऋणों की अपेक्षा प्रक्रिया अधिक सरल है। इसका मुख्य कारण है कि गैर कृषि ग्रामीण ऋण अधिकांश रूप से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ही आते हैं। अतः इनमें प्रतिभूति मार्जिन आदि के सबंध में समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार शिथिलता दी जाती है।

## कृषि वित्त के स्रोत

भारत में कृषि वित्त की अल्पकालीन और मध्यकालीन आवश्यकताएँ ग्रामीण साहूकारों सहकारी साख समितियों तथा सरकार से उधार लेकर पूरी की जाती हैं। दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति सामान्यतः साहूकारों तथा भूमि विकास बैंकों से की जाती है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अध्ययन के अनुसार कृषिकों के अधिकांश वित्त की व्यवस्था गैर सस्थागत स्रोत से होती थी। मूल रूप से पेशेवर महाजन या सम्पन्न कृषक उस श्रेणी में आते थे और सम्पूर्ण प्रदत्त धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत भाग इन्हीं गैर सस्थागत अभिकरणों द्वारा दिया जाता था। सम्पूर्ण प्रदत्त धनराशि में सहकारी साख का अंश केवल 33 प्रतिशत और व्यापारिक बैंक का अंश मात्र 09 प्रतिशत था। इस प्रकार 1954 में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से यह स्पष्ट था कि गैर सस्थागत अथवा व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा दिया जाने वाला ऋण ही प्रमुख था भले ही इसकी शर्तें किसान को आजीवन अपने चगुल में दबोच लेने वाली और भविष्य की पीढ़ी को भी प्रभावित करने वाली थी। कृषि-वित्त के विभिन्न स्रोतों यथा ग्रामीण साहूकार सहकारी समितियाँ व्यापारिक बैंक व राजकीय तकाबी द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की संरचना में आधारभूत परिवर्तन हुआ है तथा — नियोजन के पूर्ण जैसा कि अखिल भारतीय सर्वेक्षण समिति ने अनुमान लगाया था कि कुल प्रदत्त

धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा दिया जाता है अब धीरे-धीरे सहकारी एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण का प्रतिशत बढ़ रहा है और गैर संस्थागत व्यक्तिगत अभिकरणों का योगदान कम हो रहा है।

कृषि वित्त के स्रोत को निम्न प्रमुख रूप से दो वर्गों में बाट सकते हैं

(अ) गैर संस्थागत स्रोत

(ब) संस्थागत स्रोत

## गैर-संस्थागत स्रोत

गैर संस्थागत स्रोत के अन्तर्गत ग्रामीण साहूकार व्यापारी एवं कमीशन एजेंट तथा रिश्तेदार आते हैं।

### (1) ग्रामीण साहूकार

साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय-समय पर ऋण देता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साहूकारों को दो वर्गों में विभक्त किया। प्रथम कृषक साहूकार या महाजन एवं द्वितीय व्यवसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति होते हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं लेकिन धनवान होने के कारण कृषि के साथ-साथ धन उधार देने का भी व्यवसाय सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। व्यवसायिक साहूकार वे व्यक्ति होते हैं जिनका धन उधार देने का कार्य मुख्य व्यवसाय होता है।

**कार्य प्रणाली :** इन साहूकारों के कार्य करने के ढंग सरल होते हैं। यह अल्पकालीन मध्यकालीन व दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। यह ऋण उत्पदन व उपभोग दोनों प्रकार के होते हैं। ऋण जमानत

लेकर तथा बिना जमानत दोनो प्रकार से दिये जाते है। इनकी विशेषता यह है कि ये शीघ्रता से तथा आवश्यकता के समय ऋण देते है।

**लोक प्रिय होने के कारण :** साहूकार अपने-अपने क्षेत्रो मे लोकप्रिय होते है जिसके प्रमुख कारण निम्न है

- 1- ये उत्पादक तथा अनुत्पादक एव दोनो ही उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करते है।
- 2- यह अल्पकालीन मध्यकालीन एव दीर्घकालीन तीनो ही श्रेणियो के ऋण प्रदान करते है।
- 3- इनकी ऋण प्रदान करने की पद्धति सरल होती है।
- 4- इनसे सम्पर्क करना अत्यन्त सुगम होता है।
- 5- यह हर समय ऋण देने को तत्पर्य रहते है।
- 6- यह बिना जमानत के भी ऋण प्रदान करते है।
- 7- यदि इनको ब्याज समय पर मिलता रहता है तो यह ऋण वापसी पर जोर नही देते है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार इन साहूकारो का कृषि वित्त मे महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर सस्थागत वित्त के अभाव मे इनका महत्व और भी बढ जाता है। किन्तु यह सुविधा व सेवा जो पूर्णत शोषण पर आधारित हो किसी भी समाज मे मान्य नही होनी चाहिए। इन सबके बावजूद सन् 1951-52 मे कृषि साख मे इनका योगदान लगभग 75 प्रतिशत था जो 1960-61 मे घटकर लगभग 61 प्रतिशत एव 1981 मे 26.9 प्रतिशत तथा वर्तमान मे लगभग 23.7 प्रतिशत रह गया है।<sup>1</sup>

भारत मे साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम है इनके प्रमुख दोष निम्न है -

- 1- इनके द्वारा बहुत अधिक दर से ब्याज ली जाती है जो सामान्यत 18 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक होती है तथा कभी-कभी तो 60 प्रतिशत तक होती है।
- 2- अशिक्षित किसानो मे मनमानी राशि पर अगूठा निशान लगवा लिया जाता है तथा हिसाब किताब भी ईमानदारी से नही रखते है।
- 3- साहूकार ऋण देते समय आगे आने वाली फसल को कम मूल्य पर उसको बेचने का वचन ऋणी से प्राप्त कर लेता है। इससे ऋणी को हानि होती है।
- 4- साहूकार अपने ऋणी से बहुत से कार्य मुफ्त करा लेते है। उपर्युक्त दोषो के आधार पर बम्बई बैकिंग जॉच समिति ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि साहूकारो के लेन-देन का ढग इस प्रकार का है कि एक बार उनसे ऋण लेने पर छुटकारा पाना कठिन है। अत सरकार ने इन पर नियत्रण लगा दिये है जिनके अनुसार प्रत्येक साहूकार व महाजन को इस प्रकार का व्यवसाय करने पर रिजर्व बैंक से अनुमति-पत्र लेना पडता है।

## (2) व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट

ये व्यापारी एव कमीशन एजेण्ट भी किसानो के साख की आवश्यकता की पूर्ति करते है। ये उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते है। परन्तु इनका दोष यह है कि ये किसानो को कम मूल्य पर फसल को बेचने के लिए वाध्य करते है और इनके बदले मे वे अधिक कमीशन वसूलते है। इस प्रकार के साख ये कुछ विशिष्ट फसलो जैसे तम्बाकू, मूगफली फल आदि

के लिए ही प्रदान करते हैं। इन व्यापारियों एवं एजेंटों की कार्य प्रणाली महाजनो जैसी ही है। ये भी शोषण की प्रक्रिया का अपनाते हैं।

### (3) रिश्तेदार

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवश्यकता पड़ने पर अपने रिश्तेदारों से नगद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के साख आपसी सम्बन्धों के आधार पर अनौपचारिक रूप से लिये जाते हैं। रिश्तेदारों द्वारा लिये गये साख पर ब्याज की दर या तो होती ही नहीं और अगर होती है तो बहुत नीची। ऐसे साख प्रायः अल्पकालीन होते हैं।

## संस्थागत स्रोत

**(1) साहकारी साख संस्थाएँ :** भारत में सहकारी संस्थाएँ बीसवीं शताब्दी की देन हैं और आजकल यह कृषि वित्त में अच्छा योगदान दे रही हैं। यहाँ यह संस्थाएँ तीन स्तरों पर पायी जाती हैं। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। यह संस्थाएँ अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण सुविधाएँ प्रदान करती हैं। इस समय देश में 91 हजार प्राथमिक सहकारी समितियाँ 363 केन्द्रीय बैंक या जिला सहकारी बैंक 28 राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रही हैं। इन सभी ने 1997-98 में 14775 करोड़ रुपये की कृषि साख कृषकों को उपलब्ध करायी है।<sup>1</sup>

**(2) भूमि बन्धक या भूमि विकास बैंक :** भारत में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने के लिए इस प्रकार की बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 में मद्रास में की गयी थी। यह बैंक कृषकों की भूमि गिरवी

---

1 भारतीय अर्थशास्त्र— डॉ. चतुर्भुज ममोरिया एवं डॉ. एस.जी. जैन पेज न 225

रखकर ऋण सुविधाएँ प्रदान करती है। यह ऋण लम्बी अवधि के लिए कुएँ खुदवाने पम्प सेट लगवाने खेती सम्बन्धी यत्र व ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए दिये जाते हैं। इन बैंको का कृषि साख में योगदान प्रारम्भ में बहुत ही कम रहा परन्तु धीरे-धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति पायी गई। वर्ष 1950-51 में पाँच केन्द्रीय भूमि विकास बैंक थे जिनकी संख्या 1986 में बढ़कर 19 तथा वर्तमान में 20 हो गई। ये भूमि विकास बैंक अधिकांशतः तमिलनाडू, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में केन्द्रित हैं। इन बैंको की साख सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ बड़े किसानों को ही प्राप्त हुआ। छोटे किसान एक ओर अपनी अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण इनकी लाभदयकता से अपरिचित रहे दूसरी ओर जोतों का आकार छोटा होने के कारण भी इनसे लाभ नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि ये बैंक प्रतिभूति पर साख प्रदान करते हैं जिसका छोटे किसानों के पास अभाव होता है।

**(3) व्यापारिक बैंक :** 1951-52 में अखिल भारतीय स्तर पर कृषि वित्त हेतु व्यापारिक बैंको का योगदान लगभग नगण्य था लेकिन अब शनै-शनै व्यापारिक बैंको का योगदान बढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक प्रत्यक्षतः वित्त उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कृषि विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। व्यापारिक बैंक ने केवल कृषकों को उर्वरक खरीदने पम्पिंग सेट खरीदने एवं अन्य उपकरण खरीदने के लिए ही ऋण नहीं दे रहे हैं वरन् उर्वरक एवं विभिन्न कृषि यंत्रों के कारखानों के निर्माण हेतु भी ऋण दे रहे हैं जो परोक्षतः कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। ये व्यापारिक बैंक कृषकों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता देने के लिए भी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक सहकारी समितियों (जो कि कृषि ऋण प्रदान करती हैं) को भी वित्तीय सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। 1970 में व्यापारिक बैंको द्वारा सहकारी समितियों को वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने की योजना आरम्भ की गयी है। इस समय यह योजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा आन्ध्र प्रदेश उड़ीसा जम्मू-कश्मीर पश्चिम बंगाल बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और असम राज्यों में लागू है।

कृषि एव ग्रामीण साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के आधार पर ही **नावार्ड** जैसी शीर्षस्थ सस्था की स्थापना 1982 में की गयी थी। लीड बैंक स्कीम के माध्यम से विशिष्ट साख योजनाएँ तैयार की गयी हैं जिसमें बैंक ऑफ बडौदा अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंको ने कृषि एव ग्रामीण साख के सही एव लाभदायक उपयोग हेतु कृषि अधिकारियों की भी नियुक्तियाँ की हैं।

उपयुक्त बातों को देखते हुए निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैंक कृषि साख में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परन्तु इन बैंको की कार्य प्रणाली में अभी भी कुछ कमियाँ हैं। जैसे, इन बैंको का उन्ही क्षेत्रों में विस्तार हुआ है जहाँ पर पहले से अन्य अभिकरणों द्वारा साख सुविधाएँ उपलब्ध थीं। इन बैंको द्वारा साख का असमान वितरण भी हुआ है। किन्तु इनके पास अभी भी तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है। सरकारी विभाग एव इनके बीच समन्वय का अभाव है तथा इनकी साख का लाभ अधिकतर बड़े एव मध्यम वर्ग के ग्रामीणों को ही मिला है। ये लाभार्थियों का सही का भी सही चयन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारी जनता में अपना विश्वास नहीं बना पा रहे हैं।

**(4) स्टेट बैंक :** भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के समय से ही कृषि वित्त उपलब्ध कराने का प्रयास किया है जिसके परिणाम स्वरूप यह निम्न प्रकार की सुविधाएँ दे रहा है

- 1— जिन स्थानों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है या सहकारी समितियाँ सुविधा देने में असमर्थ हैं वहाँ यह बैंक सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण देती है।
- 2— यह बैंक सहकारी बैंको को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने में निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है।
- 3— यह गोदामों को बनाने के लिए ऋण की सुविधा देती है।

- 4— भारतीय स्टेट बैंक भूमि बन्धक बैंको के ऋण पत्रो को खरीदकर उनकी सहायता करती है।
- 5— कृषको को ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रो को क्रय करने एव सिचाई के लिए पम्पसेट आदि लगाने के लिए यह बैंक उनको प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करती है।
- 6— यह बैंक केन्द्रीय व राज्य भण्डार निगमो की रसीद पर भी ऋण प्रदान करती है।
- 7— यह ग्रामीण क्षेत्रो मे अपनी शाखाए खोलकर कृषि वित्त के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने का प्रयास कर रही है। इस समय स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंको की 771 प्रतिशत शाखाए ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रो मे है।

भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि वित्त के विस्तार के लिए 1972 मे एक योजना बनाकर लागू की है। जिसके अन्तर्गत 508 कृषि विकास शाखाए खोली गयी है जिनका कार्य कृषि वित्त की आवश्यकताओ की पूर्ति करना है।

भारतीय स्टेट बैंक ने भी 'गॉव अगीकृत योजना आरम्भ की है। इस योजना का उद्देश्य 'गोद लिये गये अर्थात् 'अगीकृत गॉव' के सभी कार्यक्षम किसानो को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

**(5) रिजर्व बैंक** . देश मे कृषि—विकास की महति आवश्यकता को देखते हुए प्रारम्भ मे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक कृषि साख विभाग की स्थापना की है। यह बैंक राज्य सहकारी बैंको तथा भूमि विकास बैंको को स्वीकृत प्रतिभूतियो तथा ऋणपत्रो के आधार पर अल्पकालीन साख प्रदान करता है। कृषि बिलो के आधार पर लिये गये ऋणो पर ब्याज मे 2 प्रतिशत थी छूट दी जाती है। 1950 मे रिजर्व बैंक द्वारा कृषि—साख की दष्टि से राष्ट्रीय कृषि—साख (दीर्घकालीन) कोष और राष्ट्रीय कृषि—साख



(स्थानीयकरण) कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि-साख दीर्घकालीन कोष की स्थापना राज्य सरकारो को सहकारी साख समितियों की अशपूजी प्रत्यक्षत या परोक्षत अशदान देने के लिए की गयी है। इस कोष का आरम्भ 10 करोड रुपये से किया गया था और यह सोचा गया था कि प्रतिवर्ष इसमे 5 करोड रुपये की वृद्धि की जायेगी। राष्ट्रीय कृषि-साख दीर्घकालीन कोष के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि-साख स्थानीयकरण कोष की स्थापना एक करोड रुपये की राशि से राज्य सहकारी बैंको को मध्कालीन ऋण देने के लिए की है।

वर्तमान मे रिजर्व बैंक के माध्यम से कृषि एव ग्रामीण साख के क्षेत्र मे विभिन्न वित्तीय सस्थाओ का विकास एव विस्तार हुआ है और हो रहा है। कृषि साख नीतिया रिजर्व बैंक के कृषि विभाग द्वारा तैयार की जाती रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड राष्ट्रीय साख विकास निगम आदि रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि एव ग्रामीण साख की आपूर्ति के लिए स्थापित किये गये है जिनकी पूजी एव वित्त व्यवस्था का अधिकाश हिस्सा रिजर्व बैंक द्वारा ही प्रदान किया गया है।

**(6) सरकार द्वारा कृषि वित्त :** राज्य सरकारो द्वारा भी कृषि के लिए वित्त व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था सामान्यतया भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 व कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अन्तर्गत की जाती है। कृषक को जो ऋण दिये जाते है इन्हे तकावी (Taccavi) कहते है। यह ऋण या तकावी आकाल बाढ या इसी प्रकार के सकट के समय ही राज्य सरकारे देती है। ऋणो की वापसी किस्तो मे होती है जिन्हे माल गुजारी के साथ चुकाना पडता है। आजकल यह ऋण अधिक लोकप्रिय नही रह गये है।

कृषि वित्त के उपयुक्त सस्थागत स्रोतो के अतिरिक्त कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने आठवे एव नवे दशक मे कुछ विशिष्ट सस्थाओ की स्थापना की है। ये सस्थाए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एव नाबार्ड के रूप मे स्थापित है।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

सीमान्त कृषको एव भूमिहीन श्रमिको के वित्तीय आवश्यकताओ के समाधान हेतु बैंकिंग आयोग द्वारा 1972 मे ग्रामीण बैंको को खोलने का सुझाव दिया गया है। आयोग का यह विचार था कि ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रो मे खोले जाये और उनका प्रबन्ध स्थानीय नेतृत्व द्वारा किया जाय। श्री नरसिम्हन की अध्यक्षता मे नियुक्त कार्यकारी दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की उपयुक्तता पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि कुछ चुने क्षेत्रो मे ग्रामीण बैंक खोले जाये। ग्रामीण बैंको को खोलने के लिए 27 सितम्बर 1975 को अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों मे 5 ग्रामीण बैंक खोले गये। उत्तर प्रदेश मे दो, मुरादाबाद और गोरखपुर मे क्रमश सिण्डीकेट बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजस्थान मे एक यूनाइटेड कामर्शियल बैंक द्वारा हरियाणा के भिवानी स्थान पर एक बैंक पजाब नेशनल बैंक द्वारा और पश्चिमी बंगाल के माल्दा नामक स्थान पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा खोला गया।

क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों छोटे एव सीमान्त कृषको, भूमिहीन मजदूरों दस्तकारों एव लघु उद्यमियों को समयानुसार सरलतापूर्वक उचित मात्रा मे ऋण उपलब्ध करा कर ग्रामीण विकास मे सक्रिय भूमिका निभा रहे है। इन बैंको की अधिकाश शाखाए बैंकिंग दृष्टि से पिछडे हुए क्षेत्रो मे खोली गयी है जहा पर बैंकिंग सुविधाए पहले से उपलब्ध नही थी। ये ग्रामीण क्षेत्र की परिवारिक बचतो को भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्तमान मे इनके कुल दिये गये ऋणो मे कमजोर वर्गों का अंश लगभग 90 प्रतिशत या इससे अधिक है। इन बैंको ने अल्पावधि के कार्यकाल मे ही ग्रामीण साख मे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

## राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

देश के कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति में वृद्धि करने एवं विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय दिसम्बर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चरणसिंह के मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया था जिसको श्रीमती गान्धी की सरकार द्वारा साकार रूप दिया गया।

**स्थापना** राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया जिसने 15 जुलाई 1982 से कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए शिर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

**पूँजी** - इस बैंक की अधिकृत पूँजी 500 करोड़ रुपये है जिसे अगले 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपये कर दिया जायेगा। वर्तमान में इसकी पूँजी 330 करोड़ रुपये है जिसे रिजर्व बैंक व केन्द्रीय सरकार ने बराबर मात्रा में दिया है।

**कार्य** : इस बैंक को वे सभी काम दिये गये हैं जो रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाते थे। यह बैंक कृषि साख को एक छाते के नीचे लायेगी और अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करेगी। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक है उसी प्रकार कृषि विकास के लिए यह बैंक सर्वोच्च बैंक होगी जो सभी एजेन्सियों के कार्य में समन्वय करते हुए कृषि साख का विस्तार करेगी।

इस बैंक को कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के वे सभी कार्य सौंपे दिये गये हैं। जो यह निगम करता था। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष व राष्ट्रीय कृषि साख (स्थानीयकरण) कोष भी रिजर्व बैंक ने इसको हस्तान्तरित कर दिये हैं।

यह बैंक अपनी आवश्यकताओं के लिए बॉण्ड या ऋणपत्र जारी कर सकती है जिस पर केन्द्रीय सरकार की मूलधन व ब्याज की वापसी की गारण्टी होगी। यह बैंक कृषि के सम्बन्ध में सभी प्रकार की साख की व्यवस्था करेगी जैसे उत्पादन व विपणन ऋण राज्य सरकारों को ऐसी ही सस्थाओं के पूँजी लाभ के लिए ऋण।

**क्रियाएँ** - इस बैंक ने पहले वर्ष से ही प्रशासनीय कार्य किया है। इस बैंक ने 1997-98 में सहकारी बैंकों को 10866 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की है जबकि इससे पूर्व वर्ष में इसने इस प्रकार के 8984 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की थी।<sup>1</sup>

---

1 स्रोत भारतीय अर्थशास्त्र - डॉ चतुर्भुज मामोरिया एव डॉ एस सी जैन  
पेज न 229

## अध्याय - 5

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

## भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारत की कुल जनसंख्या का 74 प्रतिशत भाग गावों में रहता है। इस विशाल देश के लिए यह कहा जाता है कि भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीब बसते हैं। इस विरोधाभास को दूर करने का एक मात्र उपाय है हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योगों का व ग्रामीण जनशक्ति का पूर्ण सदुपयोग। इस बात को ही ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने देश के नेताओं तथा तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया था कि गावों का विकास कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ही किया जा सकता है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है। सन् 1928 में कृषि शाही आयोग ने इस सम्बन्ध में कहा था कि 'भारतीय किसान ऋण का बोझ कंधे पर लेकर जन्म लेता है ऋणग्रस्तता में ही पूरी जिन्दगी बिताता है ऋण में ही उसका अन्त हो जाता है। इतना ही नहीं वह अगली पीढ़ी के लिए भी ऋण का बोझ पीछे छोड़ जाता है। इस प्रकार निर्धनता व ऋणग्रस्तता भारतीय किसान के जीवन के अविभाज्य अंक है।'<sup>1</sup>

ग्रामीण विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को प्रारम्भ से ही महसूस किया गया। सरकार अपने निजी साधनों से इतनी अधिक मात्रा में वित्तीय साधनों का प्रबंध करने में असमर्थ थी। यह कार्य बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की व्यवस्था करना एवं देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुँचाने का कार्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए ही सम्भव था। अतः इस दिशा में सरकार ने कदम

---

1 डॉ. श्रीवास्तव आर.एम. मनेजमेन्ट्स ऑफ कोर्स प्रगति प्रकाशन मेरठ 1988, पृष्ठ संख्या 75

बढाया और बैको पर सामाजिक नियत्रण और राष्ट्रीयकरण आदि के द्वारा वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की योजना बनायी। परन्तु इन व्यवसायिक बैको की स्थापना लागत अधिक थी। अतः देश के दूर-दराज के अचलो में इनकी शाखाओं का खोला जाना व्यवहारिक नहीं पाया गया और यही कारण था कि गरीबी तबके तक अधिकोषीय सुविधा प्रदान करना सरकार के लिए दुष्कर हो गया।

स्वतंत्रता के बाद विकास का क्रम आरम्भ हुआ योजनाएँ बनी योजना आयोग बना और एक विशाल तंत्र विकास के नाम पर खड़ा किया गया जो एक विशालकाय अजगर के रूप में विकास क्रम पर हावी होता गया। चहुँमुखी विकास की परिकल्पना में विकास की मूल इकाई 'गाव' को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली। राष्ट्रीय व अन्य स्तरों पर किये गये उपायों का लाभ व्यवहारिक रूप में सामान्य जन विशेषकर ग्रामीण लघु और सीमांत कृषकों को नहीं मिल पाया और विकास क्रम में निरन्तर सुधार की आवश्यकता महसूस होती गयी।

1950 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर सरकार को ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं के विस्तार का सुझाव दिया। सन् 1951-52 में रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण से किसानों की ऋण सम्बन्धि आवश्यकताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुईं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकार की वित्तीय सेवाओं की जरूरत उजागर हुई। इसी बात को ध्यान में रखकर सहकारी बैंक भी बनाये गये लेकिन ये बैंक छोटे किसानों दस्तकारों तथा खेतिहर मजदूरों को सतोषजनक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सफल नहीं रहे तथा इनका लाभ केवल बड़े किसान ही उठा पाये। आकड़ों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राथमिक कृषि सहकारिताओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण का सिर्फ 35 प्रतिशत दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को ही मिला। दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को 51

प्रतिशत हिस्सा मिला जबकि खेतिहर मजदूरो काश्तकारो और बटाईदारो को तो सिर्फ 4 प्रतिशत से सतोष करना पडा ।

बैंको का राष्ट्रीयकरण सामाजिक बैंकिंग की दिशा मे एक महत्वपूर्ण पहल थी लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंको को भी ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋण सबधी जरूरतो को पूरा करने मे अनेक कारणो से कोई खास सफलता नही मिली । भारत मे करीब सात लाख गावो मे राष्ट्रीयकृत बैंको की सुविधा उपलब्ध कराना कोई आसान कार्य नहीं था । फिर व्यवसायिक बैंको का काम करने का अपना तरीका होता है और वे लाभ को ध्यान मे रखे बिना कोई कार्य नही कर सकते । इसके अतिरिक्त इन बैंको के साथ सबसे बडी दिक्कत यह थी कि आम ग्रामीण जनता इनमे जाने से हिचकती थी । अन्य शब्दो मे कहे तो बैंको के दरवाजे उसके लिए बन्द थे । बैंकिंग का एक सामान्य मानदड बन चुका था कि ग्रामीण गरीब परिवार उधार का पात्र नही होता । छोटे किसानो और दस्तकारो को ऋण उपलब्ध कराने मे तो व्यवसायिक बैंको का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है । प्राथमिकता वाले क्षेत्रो के लिए निर्धारित ऋण सुविधाओ का केवल 10 प्रतिशत ही इन लोगो को मिल पाता है । राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रो मे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की शाखाओ का पर्याप्त विकास हुआ है किन्तु ग्रामीण शाखाओ की उत्पादकता का स्तर काफी कम रहा है । इससे इनकी लाभ प्रदता भी कम हुई है ।

## ग्रामीणों के लिए विशेष बैंक

इस आशय के विचार लगभग सभी वर्ग के प्रबुद्ध जनो के द्वारा व्यक्त किये गये कि वर्तमान मे कार्यरत ऋण सुविधा प्रदान करने वाली सस्थाये चाहे वे व्यवसायिक बैंक हो अथवा सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रभावी रूप मे साधारण आदमी की आवश्यकता पूर्ति के लिए सक्षम/पर्याप्त नही है । विकास कार्यक्रमो को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए लाभान्वित होने वाले वर्ग को समूह रूप मे पहचाना जाना व एक ऐसी ऋण सस्था का



गठन किया जाना आवश्यक होगा जो इस समूह की विभिन्न ऋण सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावी रूप में कर सके। इस विचार क्रम पर विभिन्न विचार आते रहे विचार क्रम आगे बढ़ता रहा और किसी अलग ऋण सम्बन्धि सस्था के गठन की आवश्यकता तीव्रता से महसूस होती रही जो आसानी से और कम खर्च में लक्ष्य समूह तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचा सके। सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्गों के लोगों की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष बैंक खोले जाये। 1975 में सरकार ने श्री एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया और विभिन्न वित्तीय सस्थाओं से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त होने वाले सस्थागत ऋणों के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा। इस कार्यदल का गठन करके सरकार ने एक तरह से यह बात स्वीकार की कि गांवों के छोटे और सीमांत किसानों दस्तकारों और अन्य जरूरतमंद लोगों की ऋण सबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। यह भी महसूस किया गया कि अगर जरूरत मंद लोगों को सस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है तो कर्ज देने के नियमों और शर्तों में बदलाव लाना होगा। व्यावसायिक बैंकों के समान तौर-तरीके अपनाकर यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। नरसिम्हन कार्यदल ने इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के नियंत्रण वाले ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहकारिताओं की तरह स्थानीय ग्रामीण समुदाय की जरूरतों की पूरी जानकारी होनी चाहिए साथ ही उनमें व्यवसायिक बैंकों की तरह आधुनिक दृष्टिकोण, प्रबंध-कौशल और धन जमा करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

नरसिम्हन समिति (1975) की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना का फैसला किया तथा 26 सितम्बर

1975 को राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश लागू किया गया। समिति ने इस तत्र को सामान्य बैंकिंग तत्र के रूप में प्रसारित करने के प्रति अपनी राय नहीं दी थी परंतु परीक्षण के तौर पर 5 ग्रामीण बैंको की स्थापना का सुझाव दिया था जो ऐसे क्षेत्रों में खोले जाने थे जहां वर्तमान ऋण वितरण प्रणाली कमजोर थी। इसी आधार पर महात्मा गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर हरियाणा में भिवानी राजस्थान में जयपुर और पश्चिम बंगाल में मालदा में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का शुभारम्भ किया गया। देश में ग्रामीण साख के क्षेत्र में यह एक अभिनव परिवर्तन था। 19 फरवरी 1976 से इस अध्यादेश के स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (Act No 21 of 1976) पारित किया गया। और यह 26 सितम्बर 1975 से लागू माना गया।

अधिनियम में पिछड़े इलाकों और बैंकिंग सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रावधान किया गया तथा उन सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की बात कही गयी जहां सहकारी बैंक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की श्रृंखला में यह एक नयी कड़ी प्रारम्भ हुई।

## स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य

इन बैंको की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग व्यापार वाणिज्य एवं अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए लघु एवं सीमांत कृषको, कृषि मजदूरों दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। वस्तुतः इन बैंको से लाभान्वित होने वाला वर्ग कमजोर वर्ग की श्रेणी में आता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 18 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्न कार्य कर सकती है -

- 1 प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उस व्यापार एव सौदो को करेगा जो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत परिभाषित है।
- 2 प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेषत निम्न प्रकार का व्यापार करेगा
  - (a) छोटे व मझोले किसानो कृषक मजदूरो सहकारी समितियो कृषि वाणिज्य समिति कृषि प्रक्रियात्मक समिति सहकारी खेती समिति प्रारम्भिक कृषक साख समिति किसान सेवा समिति को ऋण प्रदान करना तथा अग्रिम देना।
  - (b) दस्तकार, छोटे उद्योगो छोटे व्यापार मे कार्यरत व्यक्तियो को ऋण व अग्रिम प्रदान करना।

सक्षिप्त मे इस बैंक के प्रमुख उद्देश्य व कार्य निम्न है

- (i) ग्रामीण क्षेत्र मे गरीब लोगो को उपभोग ऋण प्रदान करना।
- (ii) ग्रामीण लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास करना।
- (iii) ग्रामीणो मे बचत की भावना को प्रोत्साहित करना।
- (iv) ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के दस्तकारो कृषि मजदूरो लघु सीमान्त कृषको आदि को साख की आवश्यकता की पूर्ति कर गरीबी को दूर करना।
- (v) कृषिगत उत्पादक कार्यों मे विनियोजन बढ़ाना।
- (vi) सस्थागत साख विस्तार द्वारा ग्रामीण साख की खाई को पाटना।
- (vii) ग्राम वासियो को महाजनो एव फुटकर व्यापारियो के शोषण से मुक्ति दिलाना।
- (viii) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास करना।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कमान क्षेत्र एक राज्य के एक से पाच जिलो तक सीमित है जिसके बाहर ग्रामीण बैंक कार्य नहीं कर सकता है। इनकी स्थिति अनुसूचित व्यापारिक बैंको जैसी ही है जिसका प्रयोजन सहकारी अथवा व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक की अधिकृत पूजी एक करोड रुपये (वर्तमान मे 5 करोड रुपये) तय की गई तथा निर्गमित पूजी 25 लाख रुपये (वर्तमान मे एक करोड रुपये) निश्चित की गयी जिसमे से 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार 35 प्रतिशत प्रयोजक बैंक तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा लगायी जाती है।

प्रारम्भ मे पाच स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित थे

क्र स	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का नाम	स्थान व राज्य का नाम	प्रायोजक बैंक का नाम
1	प्रथमा बैंक	मुरादाबाद उत्तर प्रदेश	सिडीकेट बैंक
2	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	गोरखपुरा उत्तर प्रदेश	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3	जयपुर-नागौर आचलिक ग्रामीण बैंक	लावण राजस्थान	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक
4	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	शिवानी हरियाणा	पजाब नेशनल बैंक
5	गौड ग्रामीण बैंक	माल्दा पश्चिम बंगाल	यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया
<b>स्रोत नाबार्ड</b>			

## स्थापना एवं पूँजी

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जिसका शीर्षक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975 था, जारी किया गया इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रवर्तक बैंक के प्रार्थना पर सरकारी गजट

मे प्रकाशन के द्वारा किसी राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र मे एक या एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नोटिफिकेशन मे वर्णित नाम से स्थापित कर सकता है और यह निर्धारित करेगा कि किस स्थानीय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य करेगा।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक नाम होगा जिस नाम से वह सम्पत्ति अर्जित कर सकती है और बेच सकती है इसी नाम से वह किसी से अनुबन्ध कर सकती है तथा उस पर मुकदमा भी इसी नाम से चलाया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मदद करना और सहायता देना प्रवर्तक बैंक का कर्तव्य होगा। प्रवर्तक बैंक अश पूजी मे अशदान देगा कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा तथा स्थापना के प्रथम पाच वर्ष तक प्रबन्धकीय एव आर्थिक सहायता देगा।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अपना एक मुख्य कार्यालय प्रकाशित क्षेत्र मे केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक की राय से बनाया जायेगा और सरकारी गजट मे प्रकाशित किया जायेगा। यह आवश्यकतानुसार निर्धारित क्षेत्रो मे शाखाए खोलेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूजी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सशोधन) बिल 1987 के अनुसार 5 करोड रुपये होगी और प्रत्येक अश 100 रुपये का होगा। चुकता अशपूजी 1 करोड रुपये रखी गई है जिसमे केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत प्रायोजक बैंक द्वारा 35 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत एकत्रित होनी चाहिए।

## **बैंक का प्रबन्धन**

बैंक का प्रबन्धन एक निदेशक मडल द्वारा किया जाता है जिसके 9 सदस्यीय सचालक होते है जिनमे से 6 केन्द्रीय सरकार 1 राज्य सरकार तथा 2 प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते है। सचालक मण्डल के

अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या को बढ़ा सकती है लेकिन किसी भी दशा में ये पन्द्रह से अधिक नहीं हो सकती है। इस संचालक मण्डल को समय-समय पर निर्गमित सरकारी आदेशों का पालन करना होता है। प्रत्येक संचालक (अध्यक्ष को छोड़कर) का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होगा और वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा।

प्रवर्तक बैंक किसी व्यक्ति (जो प्रवर्तक बैंक का अधिकारी न हो) को अध्यक्ष एक निश्चित समय के लिए नियुक्त करेगा जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

प्रवर्तक बैंक अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन महीना का नोटिस या तीन माह का वेतन व भत्ता देकर निश्चित समय से पूर्व समाप्त कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित बैंक मानकर अपनी द्वितीय सारणी में सम्मिलित कर लिया है। रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा -1(क) के उपबन्धों से छूट प्रदान की है जिसके अनुसार इन बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 25 प्रतिशत तरल रूप में रखना पड़ता है और कुल मांग एवं समग्र दायित्वों का 3 प्रतिशत ही रखना होता है।

अश पूजा के सम्बन्ध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यदल की सिफारिशें

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा अश पूजा में 25 लाख रु से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया। इससे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 194 की चुकता पूजा बढ़कर 50 लाख रु हो गयी है।<sup>1</sup>

---

1 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 1989-90

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशों पर भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की अश पूजी को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया।<sup>1</sup>

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सबधी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान 83 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की निर्गमित अश पूजी 50 लाख रुपये से 75 लाख रुपये कर दी।<sup>2</sup>

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सबधी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की 50 लाख रुपये की निर्गमित अश पूजी से 75 लाख रुपये और अन्य 20 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में से प्रत्येक के लिए 75 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये की वृद्धि को अनुमोदित कर दिया।<sup>3</sup>

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987

श्री एस एम केलकर की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987 द्वारा संशोधन किया गया। यह संशोधन 28 सितम्बर 1988 से लागू हुआ।

उक्त संशोधन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण भेद निम्नलिखित हैं

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की अधिकृत पूजी एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये तथा चुकता अश पूजी 25 लाख रुपये से बढ़कर एक करोड़ रुपये कर दी गयी है।

---

1 भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन अप्रैल 1992 (परिशिष्ट) पृष्ठ 58

2 भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जनवरी 1993 (परिशिष्ट) पृष्ठ 45

3 भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन मई 1994 (परिशिष्ट) पृष्ठ 44

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के सम्मामेलन के सबध मे भी सशोधन किया गया है। राष्ट्रिय बैंक द्वारा सबधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक से विचार विमर्श करके दो या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का सम्मामेलन किया जा सकता है। इस तरह का सम्मामेलन करते समय लोकहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सेवित क्षेत्र के विकास तथा स्वयं ग्रामीण बैंको के हित को भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रायोजक बैंक द्वारा राष्ट्रिय बैंक से परामर्श करके की जाएगी।

(4) प्रायोजक बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वे समय समय पर अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति की निगरानी करे उनका निरीक्षण तथा उनकी आन्तरिक लेखा-परीक्षा करे एव उनकी सुरक्षा की जाच करे तथा जहा कही आवश्यक हो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को सुधरात्मक उपाय सुझाये।<sup>1</sup>

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कार्यों के बारे मे प्रायोजक बैंको को और बडे उत्तरदायित्व सौपे गये है। अश-पूजी मे अशदान करने के साथ-साथ वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रथम पाच वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्हे प्रबधात्मक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा उनके कर्मचारियो को प्रशिक्षण देकर अपेक्षाकृत बडी मात्रा मे उनकी सहायता करेगे।



## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित विभिन्न समितियां तथा उनकी सिफारिशें

### (1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यकारी दल (नरसिम्हन कमेटी 1975)

इस समिति की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं

- (i) प्रायोजक बैंक प्रतिनियुक्त स्टाफ का खर्च स्वयं वहन करे।
- (ii) ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाकर कृषि व सहायक गतिविधियों का विकास करने में योगदान दे।
- (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्टाफ प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था करे।
- (iv) पुनर्वित्त सुविधा सस्ते दर पर उपलब्ध कराये।<sup>1</sup>

### (2) दौतवाला समिति (1977)

1977 में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रथम बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उपयोगिता की जाँच हेतु दौतवाला समिति गठित की गई। इस समिति में इन बैंकों के प्रयासों तथा क्षमताओं की प्रशंसा की तथा यह विश्वास व्यक्त किया कि व्यवसाय का स्तर बढ़ने के साथ ही इनकी लाभ प्रदता का सकट भी समाप्त हो जायगा। समिति ने यह भी कहा कि बैंकों का प्रसार विशेष रूप से दूर-दराज अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाय तथा कुल ऋण का 60 प्रतिशत ऋण ग्रामीण लघु कृषकों, दस्तकारों, फुटकर व्यापारियों, कृषक मजदूरों और अन्य निर्धन ग्रामीणों को दिया जाय।<sup>2</sup>

---

1 स्रोत कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996 पृष्ठ 15

2 स्रोत कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996 पृष्ठ 15

### (3) केलकर समिति (1986)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने केलकर समिति का गठन किया जिसने इन बैंको की कार्य प्रणाली की कडी समीक्षा की तथा इनके प्रबन्ध व व्यवहार्यता के अनेक पहलुओ पर अपने सुझाव दिये। यह रिपोर्ट सरकार को 10 मार्च 1986 को प्राप्त हुई। इसमे प्रमुख सिफारिशे निम्नलिखित थी

- (1) सक्षमता को सुदृढ करने के लिए अधिकृत पूजी एक करोड रुपये से बढाकर 5 करोड रुपये कर दी जाय तथा चुकता पूजी 25 लाख रुपये से बढाकर एक करोड कर दी जाये।
- (2) प्रोयाजक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की उनके पास चालू खाते मे जमा रकम को सरकारी प्रतिभूतियो मे लगाए ताकि उन्हे उच्चतर दर पर लाभ मिल सके।
- (3) ऋण जमा अनुपात जो ग्रामीण बैंको के लिए 100 निर्धारित है नाबार्ड द्वारा इसके घटाने पर विचार किया जाय ताकि यह प्रतिबधात्मक आदेश कमजोर तबके के लोगो को सरल ऋण उपलब्धि मे बाधक न बने।
- (4) प्रयोजक बैंको द्वारा सरल व उदार शर्तो पर कम लागत पर ग्रामीण बैंको को पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाय।
- (5) कुछ चुनी हुई सस्थाओ निगमो निफायो, बोर्डो इत्यादि को नाबार्ड द्वारा ऋण प्रदान करने की छूट प्रदान की जाए।
- (6) छोटे तथा अलाभकारी बैंको का विलय किया जाये तथा इन बैंको का कार्यक्षेत्र सामान्यत 2 जिलो तक ही सीमित रखा जाए।

इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सशोधन) एक्ट 1987 को मजूरी दी। तब तक 196 ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे।

इसके बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की श्रृंखला को विराम लग गया जो कि अभी तक बरकरार है।

#### **(4) खुशरो समिति (1989)**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सगठनात्मक समस्याओं पर विचार करने के लिए 1989 में डॉ एएम खुसरो की अध्यक्षता में कृषि साख सर्वेक्षण समिति (1989) बनायी गयी। समिति ने विभिन्न पहलुओं जैसे खराब वसूली प्रबंधकीय तथा स्टाफ की समस्याएँ हासिल लाभ प्रदत्ता आदि का अध्ययन करने के पश्चात इन बैंको को प्रायोजक बैंको में विलय का सुझाव दिया।<sup>1</sup>

#### **(5) नरसिम्हन समिति (1991)**

नरसिम्हन समिति की सिफारिश थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की ग्रामीण सह-इकाइयों की स्थापना की जाए जो बैंको की ग्रामीण शाखाओं को अपने अधिकार में ले ले। समिति ने इस बात का विकल्प क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और उनके प्रायोजक बैंको पर छोड़ दिया कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी पहचान बनाये रखें अथवा वे प्रायोजक बैंको की ग्रामीण बैंकिंग सह-इकाइयों के साथ स्वैच्छिक आधार पर मिल जाए।<sup>2</sup>

#### **(6) भण्डारी समिति (1994)**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के बजट में की गयी इस आशय की घोषणा कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में से 50 का पुनरुद्धार और पुनर्गठन किया जायेगा के अनुसरण में पुनर्गठन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का

---

स्रोत 1 कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996 पृष्ठ 24

स्रोत 2 कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996 पृष्ठ 25

अभिनिर्धारण करने के लिए डॉ एम सी भडारी मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। यह देखते हुए कि उक्त समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्तीय सुदृढता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का अभिनिर्धारण किया है। भारत सरकार ने 50 में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का पुनर्गठन करने के लिए समिति की सस्तुति को स्वीकार कर लिया है।<sup>1</sup>

### **(7) सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता की शर्मा समिति की संस्तुति (जनवरी 1998)**

सहकारी बैंको व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रति नाबार्ड की देख-रेख सम्बन्धी भूमिका की समीक्षा के लिए गठित शर्मा समिति ने इन बैंको के लिए भी पूंजी पर्याप्तता मानक लागू करने की सस्तुति की है। रिजर्व बैंक के भूतपूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर यू के शर्मा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन जनवरी 1998 में किया गया। 27 अप्रैल 1998 को सौंपे गये अपने प्रतिवेदन में समिति ने कहा कि ग्रामीण साख का 60 प्रतिशत से अधिक भाग का वितरण इन्हीं सस्थाओं के द्वारा किया जाता है। किन्तु परिसम्पत्तियों के हास के कारण वर्तमान में अधिकांश सहकारी बैंको के पास एक लाख व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पास पाच लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी भी नहीं है। समिति ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्रवर्तक बैंक के माध्यम से इन बैंको के पुनः पूंजीकरण की एक योजना भी प्रस्तुत की है। समिति ने सहकारी बैंको के लिए केन्द्र की 6600 करोड रुपये की प्रस्तावित सहायता से वितरण में तेजी लाने की सस्तुति की है ताकि मार्च 1999 तक यह बैंक 4 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता के स्तर को प्राप्त कर सकें।

---

स्रोत 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण शोध ग्रन्थ 1998 डॉ श्याम कृष्ण पाण्डेय

इन बैंको के कार्यकलापो पर निगरानी के लिए शर्मा समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्वायत्त बोर्ड ऑफ सुपरविजन गठित करने की सस्तुति की है। सहकारी बैंको की भूमि भवनो व अन्य भू-सम्पत्तियो के लेखे-जोखो का नियमित निरीक्षण करने की भी सस्तुति की है तथा यह भी कहा है कि प्राथमिक ऋण समितियो की निगरानी का जिम्मा केवल नाबार्ड पर न छोडा जाए।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खातों का संचालन

बैंक का प्रमुख कार्य जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी विभिन्न खातों का संचालन होता है जैसे बचत खाता सावधि जमा खाता चालू खाता तथा आवर्ती जमा खाता आदि।

### बचत खाता

यह खाता वेतन भोगी कर्मचारियों तथा सामान्य आय वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। इस खाते में दिन में कितनी ही बार रकमें जमा की जा सकती हैं किन्तु रकम निकालने की सुविधा सप्ताह में एक या दो बार ही दी जाती है। आजकल इस खाते पर ब्याज की दर 4.5 प्रतिशत वार्षिक है। इस खाते में निर्धारित राशि से कम जमा होने पर अथवा निर्धारित संख्या से अधिक बार रुपया निकालने पर बैंक ग्राहक पर कुछ प्रभार लगा सकता है।

## सावाधि जमा खाता

इस खाते में एक निश्चित समय जैसे—तीन माह छ माह 1 2 3 5 वर्षों के लिए रुपये जमा किया जा सकता है। इस खाते पर ब्याज की दर अन्य खातों की अपेक्षा ऊँची होती है। जो जमा की अवधि पर निर्भर करती है। इस खाते में रुपया जमा करने पर जमाकर्ता को एक जमा रसीद मिलती है जो अपरिवर्तनीय होती है। इस खाते में निश्चित अवधि से पहले न तो रुपया निकाला जाता है और न ही जमा किया जा सकता है। यदि जमाकर्ता अवधि के पूर्व ही अपनी रकम को वापस लेना चाहता है तो उसे जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की हानि उठानी पड़ती है। जमाकर्ता चाहे तो जमा रसीद की जमानत पर ऋण भी ले सकता है।

## चालू खाता

इस खाते में जमाकर्ता बैंक के कार्य के घण्टों में कई बार चाहे जितनी रकम जमा कर सकता है और आवश्यकतानुसार निकाल सकता है। यह खाता व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए अत्यन्त उपयोगी तथा सुविधाजनक होता है क्योंकि उन्हें प्रतिदिन भुगतान में अनेक चेक प्राप्त होते हैं तथा भुगतान में अनेक चेक देने पड़ते हैं। बैंक प्रायः इस खाते पर ब्याज नहीं देते बल्कि वर्ष के अन्त में जमाकर्ताओं से व्यय के रूप में कुछ शुल्क वसूल करते हैं।

## आवर्ती जमा खाता

आवर्ती जमा खाता बचत खाते तथा सावधि जमा खाते का मिला हुआ रूप है। यह खाता छोटी धनराशि से खोला जा सकता है परन्तु इसमें नियमित रूप से मासिक एक निश्चित धनराशि जमा करना आवश्यक होता है। यह खाता 5 रुपये अथवा उसके गुणित में खोला जा सकता है। जमा की अवधि एक से 10 वर्ष की हो सकती है। ब्याज—दर जमा की अवधि पर निर्भर करती है। अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित जमा की रकम जमाकर्ता को वापस कर दी जाती है। यदि किस्त जमा करने में त्रुटि की जाती है तो अगले मास प्रभार लगाया जाता है। अग्रिम किस्त जमा करने पर कटौती मिलती है।

# भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति 1980 के बाद तीव्र गति से हुई है और इनकी सख्याओ और शाखाओ में लगातार वृद्धि होती जा रही है जिसका अनुमान निम्नलिखित तालिकाओ से लगाया जा सकता है

तालिका 5 1

## भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रगति

क्र स	अवधि की समाप्ति पर	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अन्तर्गत जिले	शाखाओं की सख्या
1	2	3	4	5
1	दिस 1975	6	12	17
2	दिस 1980	85	144	3279
3	दिस 1985	188	333	12606
4	मार्च 1990	196	372	14443
5	मार्च 1992	196	392	14539
6	मार्च 1994	196	408	14542
7	मार्च 1996	196	427	14497
8	मार्च 1997	196	435	14500
9	मार्च 2000	196	443	14513

### स्रोत

- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सबधित साख्यिकीय दिसम्बर 1985 1990
- 2 बैंकिंग साख्यिकी तिमाही पुस्तिका मार्च 1997
- 3 बैंकि साख्यिकी 2000

## बैंकों का प्रसार

तालिका 51 के अवलोकन स्पष्ट होता है कि भारत में दिसम्बर 1975 में जहाँ केवल 6 ग्रामीण बैंक स्थापित थे 1980 में यह संख्या बढ़कर 85 हो गई। इसी अवधि में जो 17 शाखाएँ थीं यह बढ़कर 3279 हो गई। दिसम्बर 1985 में बैंकों की संख्या बढ़कर 188 तथा 1990 में 196 हो गई। तालिका से स्पष्ट है कि अन्तिम 10 वर्षों (1990–2000) के मध्य बैंकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई।<sup>1</sup> और शाखाओं की संख्या में मात्र 74 (0.5 प्रतिशत) वृद्धि हुई। वर्तमान में दिल्ली सिक्किम चंडीगढ़ असम निकोबार द्वीप समूह दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप और पांडीचेरी आदि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो गये हैं।

## आच्छादित जिलों की संख्या

दिसम्बर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में केवल 12 जिले थे जबकि मार्च 1990 में यह बढ़कर 372 जिले हो गये। उसके बाद जिलों की संख्या में वृद्धि दर कम हो गई। मार्च 2000 तक कुल 443 जिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत हो गये।

## शाखा प्रसार

तालिका से स्पष्ट है कि दिसम्बर 1975 की अपेक्षा 1980 में शाखाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। दिसम्बर 1985 में शाखाओं की संख्या बढ़कर 12606 हो गई। उसके पश्चात् शाखाओं की वृद्धि दर कम हो गई और मार्च 2000 तक कुल शाखाओं की संख्या 14517 हो गई।

---

1 केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार।



## तालिका 5 2

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की जमा/ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	अवधि की समाप्ति पर	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	दिस 1975	20	10	50
2	दिस 1980	19983	24338	122
3	दिस 1985	128582	140767	109
4	मार्च 1990	415052	355404	86
5	मार्च 1992	586783	409086	70
6	मार्च 1994	882651	525302	60
7	मार्च 1996	1418790	750502	53
8	मार्च 1997	1732740	865241	50
9	मार्च 2000	3219693	1315894	41

## स्रोत

- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सबधित सांख्यिकीय दिसम्बर 1999
- 2 बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका मार्च 2000
- 3 नाबार्ड

## जमा संग्रहण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने गावों के दूर-दराज क्षेत्रों में निष्क्रिय पडी पूजा का संग्रहण करके ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गावों में छोटी-छोटी बचतों को एकत्र करके पुनः उसी क्षेत्र में विनियोजन कर दिया जाता है। ये पूजा इन बैंको के अभाव में बेकार पडी रहती है या

अनुत्पादक कार्यों में लगा दी जाती है। दिसम्बर 1975 में बैंक की कुल जमा राशि 20 लाख रुपये थी जो कि दिसम्बर 1980 में बढ़कर 19983 लाख रुपये हो गयी इस प्रकार पाच वर्षों में रिकार्ड (19960 लाख) वृद्धि हुई। यह वृद्धि लगातार जारी है और वर्तमान में (मार्च 2000) कुल 3219693 लाख रुपये जमा संग्रह हुई।

## ऋण वितरण

जिस प्रकार बैंक जमा में भारी वृद्धि हुई उसी प्रकार ऋण वितरण में भी वृद्धि हुई। दिसम्बर 1975 में इन बैंकों ने केवल 10 लाख रुपये का ऋण वितरित किया था जबकि दिसम्बर 1980 में कुल 24338 लाख रुपये वितरित किया गया जो कि एक रिकार्ड वृद्धि दर्शाता है। जबकि 1980 में जमा केवल 19983 लाख था इस प्रकार जमा की अपेक्षा ऋण वितरण 122 प्रतिशत रहा। यह ऋण वितरण आज तक लगातार बढ़ता रहा और मार्च 2000 में यह बढ़कर 2007147 लाख रुपये हो गया।

## ऋण जमा अनुपात

तालिका 52 से परिलक्षित होता है कि दिसम्बर 1975 में ऋण जमा अनुपात 50 प्रतिशत था जो बढ़कर 1980 में 122 प्रतिशत हो गया। उसके पश्चात घटना प्रारम्भ हो गया और 1985 में 109 हो गया और यह निरन्तर घटता रहा तथा मार्च 2000 में घटकर 41 प्रतिशत रह गया।

## तालिका 5 3

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की औसत प्रति बैंक/शाखा का  
जमा/ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	अवधि की समाप्ति पर	औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा	औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण	औसत प्रति शाखा जमा	औसत प्रति शाखा ऋण
1	2	3	4	5	6
1	दिस 1975	3 33	1 67	1 18	0 59
2	दिस 1980	235 09	286 33	6 09	7 42
3	दिस 1985	683 95	748 76	10 20	11 17
4	मार्च 1990	2117 61	1813 29	28 74	24 61
5	मार्च 1992	2993 79	2087 17	40 36	28 14
6	मार्च 1994	4503 32	2680 11	60 70	36 12
7	मार्च 1996	7238 72	3829 09	97 87	51 77
8	मार्च 1997	8840 51	4414 49	119 49	59 67
9	मार्च 2000	16427 01	6713 74	221 79	90 65

स्रोत तालिका 1 और 2 पर आधारित

तालिका 5 3 से स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंको की औसत प्रति बैंक जमा तथा ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1975 में औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा 3 33 लाख रुपये का जबकि मार्च 2000 में बढ़कर 16427 01 लाख रुपये हो गया। इसी प्रकार औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण ऋण दिसम्बर 1975 में 1 67 लाख रुपये था यह मार्च 2000 में बढ़कर 6713 74 लाख रुपये हो गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने केवल जमा में ही नहीं बल्कि ऋण वितरण के क्षेत्र में भी निरन्तर वृद्धि दर्ज की है। दिसम्बर 1975 में औसत प्रति शाखा ऋण 0.59 लाख रुपये था। यह मार्च 2000 में बढ़कर 90.65 लाख रुपये हो गया।

**तालिका 5.4**

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, उनकी शाखाओं, जमा, ऋण इत्यादि का राज्यवार विवरण मार्च 2000 की समाप्ति पर**

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की संख्या	शाखाओं की संख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अन्तर्गत जिले	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	40	3004	70	842960.29	254164.82	30.15
2	बिहार	22	1886	53	397499.14	92918.27	23.28
3	मध्य प्रदेश	24	1560	46	30974.84	96753.89	33.67
4	आन्ध्र प्रदेश	16	1135	24	256793.46	166210.65	64.73
5	अरुणाचल प्रदेश	1	19	5	2477.73	2772.43	111.90
6	असम	5	401	25	81295.35	22841.84	28.10
7	गुजरात	9	436	17	88324.30	41266.63	51.04
8	हरियाणा	4	291	15	88324.30	42690.36	48.33
9	हिमाचल प्रदेश	2	130	4	42295.99	10080.52	23.83
10	जम्मू और कश्मीर	3	259	12	51204.97	8585.18	16.77
11	कर्नाटक	13	1084	21	24529.90	163924.66	81.22
12	केरला	2	301	6	65773.92	76753.09	116.69
13	महाराष्ट्र	10	586	17	94920.35	47375.16	49.91

क्र	राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की संख्या	शाखाओं की संख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत जिले	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	मणिपुर	1	29	8	2107 17	727 98	34 55
15	मेघालय	1	51	4	9897 32	2662 39	26 90
16	मिजोरम	1	54	3	5049 39	1758 04	34 82
17	नागालैण्ड	1	8	7	469 75	142 19	50 28
18	उड़ीसा	9	842	30	149209 81	76171 28	51 05
19	पंजाब	5	204	13	48418 88	18157 71	37 50
20	राजस्थान	14	1071	33	198885 37	81537 02	41 00
21	तमिलनाडू	3	211	8	41993 37	25028 99	59 60
22	त्रिपुरा	1	85	3	31377 56	10227 00	32 59
23	पश्चिम बंगाल	9	870	19	238731 79	75844 46	31 77
	भारत	196	14517	443	3219693 26	1318594 60	40 95

**स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सम्बन्धित सांख्यिकीय मार्च 2000**

तालिका 5 4 से परिलक्षित होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सर्वाधिक संख्या 40 उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो कि कुल संख्या का 20 4 प्रतिशत है। इसके पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश में 24 प्रतिशत बिहार में 22 प्रतिशत तथा राजस्थान में 14 प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय मिजोरम नागालैण्ड तथा त्रिपुरा में न्यूनतम एक-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित है। सर्वाधिक सेवित जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 70 तथा न्यूनतम सेवित जिलों की संख्या त्रिपुरा एवं मिजोरम में तीन-तीन है। कुल जमा राशि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 842960 29 लाख रुपये तथा न्यूनतम नागालैण्ड में 469 75 लाख रुपये है। उत्तर प्रदेश में ऋण की राशि

254164 82 लाख रुपये है जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। शाखाओं की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3004 है। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 116 69 प्रतिशत केरल में तथा न्यूनतम 16 77 प्रतिशत जम्मू कश्मीर में है।

**तालिका 5 5**

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा, ऋण, ऋण-जमा अनुपात इत्यादि का अग्रणी बैंकवार विवरण, मार्च 2000 की समाप्ति पर**

**(धनराशि लाख रुपये में)**

क्र स	प्रायोजक बैंक का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7
1	इलाहाबाद बैंक	7	502	118398 55	37996 70	32 09
2	आन्ध्र बैंक	3	160	36042 12	19202 73	53 28
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	19	1236	285971 04	105966 02	37 05
4	बैंक ऑफ इण्डिया	16	988	222213 53	72268 80	32 52
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3	315	53003 89	27050 79	51 04
6	बैंक ऑफ राजस्थान	1	61	11988 17	3718 20	31 02
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	23	1786	332372 59	99429 75	28 41
8	केनरा बैंक	8	702	162286 89	122118 67	75 25
9	कॉरपोरेशन बैंक	1	46	7782 39	6615 90	58 01
10	देना बैंक	4	261	49872 55	19149 68	38 40
11	इण्डियन ओवरसीज बैंक	3	325	72592 49	43673 56	60 16
12	इण्डियन बैंक	4	153	29921 08	21655 49	74 11
13	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	2	173	42715 19	7820 28	18 31

क्र	प्रायोजक बैंक	क्षेत्रीय	शाखाओ	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा
स	का नाम	ग्रामीण	की संख्या			अनुपात
		बैंको की				(प्रतिशत
		संख्या				में)
1	2	3	4	5	6	7
14	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	1	22	4304 52	2523 08	58 61
15	पंजाब नेशनल बैंक	19	1275	320752 54	103557 70	32 29
16	स्टेट बैंक ऑफ वि ए जयपुर	3	205	48042 08	17909 66	38 07
17	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4	169	43938 13	23243 46	52 90
18	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	30	2344	440869 15	176743 20	40 09
19	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1	23	6903 41	3572 70	51 75
20	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2	214	27294 68	19944 37	73 07
21	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	41	7664 66	4476 81	58 41
22	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3	139	22475 73	13099 31	57 59
23	सिडिकेट बैंक	10	1056	28326 39	199973 16	70 59
24	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	11	1016	257390 73	78970 18	30 68
25	यूको बैंक	11	810	173817 84	54721 58	31 48
26	यू पी स्टेट को आ बैंक लि	1	64	10604 54	4981 83	46 98
27	यूनियन बैंक	4	406	144965 87	30587 63	21 10
28	वियया बैंक	1	25	3642 51	2623 35	72 02
	कुल भारत	196	14517	3219693 26	1318594 59	40 95

**स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकीय, मार्च 2000**

तालिका 55 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है जिसके अन्तर्गत 2344 शाखाए है। सबसे कम शाखाए स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के अन्तर्गत 23 है। कुल जमाओ

मे भी भारतीय स्टेट बैंक का प्रथम स्थान रहा है। जबकि कुल ऋण में सिडिकेट बैंक का स्थान प्रथम है। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 85 01 कॉरपोरेशन बैंक का तथा न्यूनतम 18 31 प्रतिशत जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक का रहा है।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य बातें

(वित्तीय वर्ष 1999-2000)

- 1 1998-99 में 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के मुकाबले 1999-2000 के दौरान 162 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने लाभ अर्जित किया है।
- 2 156 क्षेत्रीय बैंको ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार दर्शाया है जिसमें लाभ में वृद्धि हानि में कमी अथवा हानि से लाभ में आना शामिल है।
- 3 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने हानि से लाभ दर्ज किया, जबकि 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने अपनी हानिया कम की है।
- 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सचयी हानि जो वर्ष 1998-99 में रु 3100 84 करोड थी वह घटकर वर्ष 1999-2000 में रु 2979 33 करोड हो गयी।
- 5 31 मार्च 1999 को 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की तुलना में 31 मार्च 2000 को 55 प्रतिशत ग्रामीण बैंको ने अपनी संचित हानिया परिसमाप्त किया। इस वर्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का सम्मिलित शुद्ध लाभ रुपये 429 31 करोड रहा जो गत वर्ष सम्मिलित लाभ रुपये 247 73 करोड था।
- 6 31 मार्च 1999 को 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का सम्मिलित शुद्ध लाभ रुपये 425 83 करोड था जबकि इस वर्ष 162 क्षेत्रीय



ग्रामीण बैंको ने रुपये 561 00 करोड का शुद्ध सम्मिलित लाभ अर्जित किया।

- 7 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सकल हानियाँ 113 59 करोड रुपये है। उनकी 1473 86 करोड रुपये की संचित हानियाँ कुल 2979 33 करोड रुपये की संचित हानियों का 48 3 प्रतिशत है जो एक गभीर मामला है।
- 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की जमा राशिया में इस वर्ष 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का बकाया अग्रिम 16 प्रतिशत वृद्धि के साथ 13185 95 करोड रुपये है।
- 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा दिये गये ऋण 5560 81 करोड रुपये से बढ़ कर 1999—2000 के दौरान 6885 52 करोड रुपये हो गए जो 23 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।
- 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा लिए गए कुल उधार तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3671 87 करोड रुपये है।
- 12 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का निवेश—जमा अनुपात ( आई डी आर ) साथ लेने पर इसमें कमी आई है यह 31 मार्च 1999 के 64 6 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2000 को 60 9 प्रतिशत रह गया।
- 13 30 जून 1999 को वसूली से मांग का प्रतिशत 64 7 प्रतिशत रहा।
- 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का सकल एनपीए 31 मार्च 1999 को 27 7 प्रतिशत था जो 31 मार्च 2000 को घटकर 22 6 प्रतिशत रह गया।

- 15 ःरुण ऒडड डनुडडड डडडले वरुष के 420 की तुलनड डे 31 डरुड 2000 को 410 रहुड ।

---

<b>सुत</b>	1	कुतुरीड डुरडडण डैको से सनुडनुधत सडखुडकी डरुड 2000
<b>नूड</b>	1	उडरूकुत डडते लेखड डरूकुषत (174 कुतुरीड डुरडडण डैक) तथड डलेखडडरूकुषत (22 कुतुरीड डुरडडण डैक) डकडू डर डडधरुत है ।
	2	23 कुतुरीड डुरडडण डैको के सनुदरुड डे डकडू 30 कुन 1998 से सनुडनुधत है ।

## अध्याय - 6

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय  
ग्रामीण बैंक  
प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों  
की प्रगति  
प्रदेश में अग्रणी बैंक

## उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवर्तन की दिशा इसका आर्थिक स्वरूप इसमें घट रही विकासात्मक गतिविधियाँ इसमें आये अनेक उतार-चढ़ाव इसका गौरवमयी इतिहास इसका इन्द्रधनुषी सांस्कृतिक स्वरूप आदि ऐसे क्षेत्र और पहलू हैं जो प्रदेश का मुकम्मिल खाका तैयार करते हैं। जिन पर विस्तृत तैयारी और योजना के साथ शोध परक सूचनापरक एवं विश्लेषणात्मक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश के लोग परिश्रमी सघर्षशील और लगनशील हैं। इनकी राष्ट्रीय निष्ठाएँ अडिग हैं। आन बान पर मिटने के इनके स्वाभाविक चरित्र की झलक देश की आजादी के इतिहास में स्पष्ट दिखता है। इनमें अत्याधिक मेल-जोल और भाई-चारा है। इनमें विपत्ति में बिना विचलित हुए पहाड़ की तरह अडिग रहने की दृढ़ता है। विकास की ओर निरन्तर बढ़ने की इनकी चाह का ही परिणाम है कि तमाम विसर्गितियों एवं विषय परिस्थितियों के बावजूद यह प्रदेश विकास की होड़ में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है इनकी हजारों वर्ष पुरानी अपनी जीवन शैली की स्वाभाविक सरलता और मौलिकता को उपभोक्तावाद के प्रभाव से बचाकर रखा जा सकता है यह बड़ी बात है। प्रदेश की सत्तर प्रतिशत जनता गाव में रहती है और उसका मुख्य व्यवसाय खेती है। इस प्रदेश की विविधता के तह में हम जितना जायेगे उतने ही रत्न हमारे हाथ लगेंगे।

15 अगस्त 1947 को जब आजादी की बागडोर हमारे हाथ में आयी तो एक तरफ तो थी सपनों की खेती करने को ढेर सारी जमीन और दूसरी

ओर थी तमाम चुनौतिया। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य जरूर था लेकिन यह इति नही था यह था प्रारम्भ। जहा से शुरू होना था कारवा विकास का तरक्की का हर किसान के खेत मे लहलहाती फसल का। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारी अनिवार्य शर्त थी उसकी पूर्णता। पूर्णता के इन्ही सपनो के साथ जवाहर लाल नेहरू ने देश के नागरिको की ओर से राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक इन विविध आयामो मे राष्ट्र को निरन्तर अग्रसर करने की नियति से वादा किया था। बाद मे सविधान निर्माण के समय देश के शासन के मूलभूत सवैधानिक सिद्धात अनुच्छेद 38 के अन्तर्गत राज्य को आदेश दिया गया कि राज्य नागरिको के कल्याण को बढावा देने का प्रयत्न करेगा जिससे वह यथा सम्भव प्रभावकारी ढग से ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त एव सुरक्षित करेगा जिसमे राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओ मे राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध हो।

स्वाधीनता के समय नियति से किया गया हमारा वादा हो या अनुच्छेद 38 की भावना यह हमे हमारे विकास की भावदात्रा का आभास बार—बार कराती है और हमे सचेत करती है कि विकास मात्र आकडो के उतार—चढाव का खेल नही बल्कि सामाजिक और राजनैतिक स्तर की एक जिम्मेदारी भी है। इसी धरातल पर हम उत्तर प्रदेश के विकास का मूल्याकन करे और उसकी चुनौतियो को देखे तो हम अपने किये हुए कार्यों के प्रति उत्साहित भी होंगे और अपने नये सपनो को पूर्ण करने का बल भी प्राप्त करेगे।

नोबेल विजेता अर्मत्य सेन अपनी पुस्तक इन्डियन डेवलपमेट मे उत्तर प्रदेश को देश का हृदय स्थल कहा है। उत्तर प्रदेश को वे सम्पूर्ण देश के विकास और उपलब्धियो को मापने का आदर्श मॉडल भी मानते है। अगर इसका आर्थिक विश्लेषण कर ले तो समूचे उत्तर भारत को आसानी से समझा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के विकास में निष्पक्ष प्रेक्षक को दो बातें दिखायी पड़ती हैं एक आजादी के पिछले पचास सालों में प्रदेश की उपलब्धियाँ अधिक रही हैं और दूसरी ओर इस अवधि में विफलताएँ भी बहुत सारी दृष्टिगोचर होती हैं हालाँकि ये दोनों बातें स्पष्टता विरोधी हैं। इन विरोधाभासी तथ्यों के बावजूद दोनों की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतनी विशाल और जटिल अर्थव्यवस्था में यह दोनों परस्पर विरोधी तथ्य स्पष्टता मौजूद रहते हैं। विशाल भू-भाग और 16 करोड़ की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश बड़ी अर्थव्यवस्था तो रखता ही है और यही कारण है कि यहाँ सफलताएँ और विफलताएँ एक साथ मौजूद रहती हैं और यही वे कारण थे जिनसे अर्मन्स सेन को उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल लगा।

जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश भी आज-कल और आने वाले कल के दौराहें पर था। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। जब स्वतंत्रता मिली तो बढ़-चढ़ कर वहीं अपेक्षाएँ भी रहीं। पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी जिसमें कभी बाढ़ की चपेट रहती थी तो कभी सूखे की। सिंचाई के साधन भी नाम मात्र के थे। उद्योगों की उपस्थिति भी नाममात्र की थी। 1951-56 के आकड़ों के अनुसार उस समय प्रदेश में वृहद और मझोले आकार की 62 तथा लघु उद्योगों की 1647 इकाइयाँ मात्र थी जिसमें मात्र 35 हजार लोगों को ही रोजगार मिला था। इसमें 25 हजार वृहद एवं मझोले उद्यमों का रोजगार था और 30 हजार लघु उद्योग क्षेत्रों का।

गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों के बावजूद खेती अपने परम्परागत रूप में ही थी। उस पर भी जमींदारी प्रथा लागू थी। इसके चलते प्रदेश अपने पेट भरने तक के लिए अनाजों का पीएल 480 जैसी योजनाओं के अन्तर्गत अनाज आयात करता था। स्वास्थ्य और शिक्षा का भी यही हाल था। आजादी के समय 80 प्रतिशत गाँव ऐसे थे जहाँ प्राथमिक

शिक्षा भी उपलब्ध नहीं थी। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर आजादी के समय प्रदेश में लखनऊ और आगरा में मात्र दो मेडिकल कालेज थे तथा एक लाख की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र था। अनुभवी चिकित्साक मात्र शहरो या मझोले नगरो तक ही सीमित थे।

294411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला उत्तर प्रदेश राज्य आजादी के समय एक विकास का भू-भाग था जो अपनी अलग-अलग विशिष्टताओ के साथ पश्चिमी पूर्वी पहाडी तराई ओर बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में तरह-तरह से बटा भी था। इन चुनौतियो पर नजर डालते हुए हम उत्तर प्रदेश के 50 साल के विकास को देखे तो हम अनेक क्षेत्रो में उसकी यादगार उपलब्धि को देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र ग्रामीण परिवेश स्वास्थ्य सुविधाओ के प्रसार शिक्षा के प्रसार और उत्पादन एव उद्योगो के नए तौर तरीको के लेखा-जोखा में उत्तर प्रदेश के विकास की गौरवमयी तस्वीर मौजूद है।

खेती के लिए गंगा के उपजाऊ मैदान की उपलब्धता के कारण आजादी के समय जितनी बडी आबादी उत्तर प्रदेश में कृषि पर निर्भर थी उतनी और किसी राज्य में नहीं इसीलिए सरकार ने कृषि विकास पर ही सर्वप्रथम सर्वाधिक जोर दिया। कृषि विकास में उत्तरोत्तर गति पैदा करने की मशा से विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये जिनमें प्रमुख थे अधिकतम उपज अभियान, (1947) भूमि एव जल संरक्षण कार्य (1949) योजना बद्ध विकास (1952) सामुदायिक विकास एव राष्ट्रीय प्रसार सेवा (1953) अधिक उपजाऊ प्रजातियो का समावेश (1965) दोहरी घाट जल प्रयोग योजना (1969) समावेश क्षेत्र विकास (1974) उद्यान और फल उपभोग विभाग का गठन (1975) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना (1975) प्रमुख हैं।

नरसिंहम समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का निर्णय लिया। 1975 में प्रारम्भ में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जिसमें से प्रथम बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में प्रथम बैंक के नाम से स्थापित किया गया

जो उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था। दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया गया।

## प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

1975 में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सफलता को देखते हुए 1976 में इनकी स्थापना की गति और तेज हो गयी और प्रदेश में पांच और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जो बाराबकी ग्रामीण बैंक संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फरुखाबाद ग्रामीण बैंक रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

1977 में प्रदेश में केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अवध ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये उसके पश्चात् केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गति धीमी पड़ गयी।

1980 में जब पुन काग्रेस सरकार सत्ता में आयी तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थापित किये गये। जो कि कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रावस्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसान ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक काशी ग्रामीण बैंक बस्ती ग्रामीण बैंक इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गति प्रदेश में बढ़ती रही और 1981 में पांच और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तुलसी ग्रामीण बैंक, एटा ग्रामीण बैंक तथा गोमती ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये।



1982 मे यह गति धीमी हो गयी और प्रदेश मे केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छत्रपाल ग्रामीण बैंक तथा रानी लक्ष्मी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये।

1983 मे उत्तर प्रदेश कुल 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जो विदोर ग्रामीण बैंक शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नैनीताल अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विध्यवासिनी ग्रामीण बैंक सरयू ग्रामीण बैंक तथा जमुना ग्रामीण बैंक थे।

1984 मे मात्र एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया।

1985 मे कुल तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। पिथौरागढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गंगा यमुना ग्रामीण बैंक अलकनदा ग्रामीण बैंक।

1987 मे उत्तर प्रदेश का अन्तिम स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हिडन ग्रामीण बैंक है।

## प्रदेश में अग्रणी बैंक

उत्तर प्रदेश के लिए कुल 10 अग्रणी बैंको की घोषणा की गयी है जो निम्नलिखित है

- 1 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- 2 केनरा बैंक
- 3 बैंक ऑफ बडौदा
- 4 बैंक ऑफ इण्डिया
- 5 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

- 6 इलाहाबाद बैंक
- 7 पजाब नेशनल बैंक
- 8 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
- 9 सिडीकेट बैंक
- 10 यू पी स्टेटे कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड

इन 10 अग्रणी बैंको द्वारा प्रदेश के विकास के लिए उन्हे सौपे गये विभिन्न जिलो मे कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गयी है जिनके द्वारा प्रदेश मे कुल 3004 शाखाओ को खोला गया है। इन अग्रणीय बैंको के कार्य निष्पादन को निम्न तालिकाओ द्वारा स्पष्ट की जा सकती है।

## **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया**

ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश के 15 जिलो को भारतीय स्टेट बैंक को सौपा गया है। इस बैंक ने ने सर्वप्रथम 1975 मे गोरखपुर जिले मे गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापवना की। वर्तमान मे इस बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश मे कुल स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सख्या पाच है जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

## तालिका 6 1

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन  
(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2 10 75	200	71537 37	21555 80	30 11	2669 59
2	बस्ती ग्रामीण बैंक	1 8 80	104	24261 25	6859 19	28 27	1265 32
3	पिथौरागढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27 3 85	25	6447 09	1702 96	26 41	287 42
4	गगा यमुना ग्रामीण बैंक	29 3 85	39	6997 69	2027 19	28 78	68 92
5	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	23 8 85	51	6860 04	1586 52	23 13	116 71
योग			419	116103 44	33731 66	29 05	4407 96
<b>स्रोत क्षेत्रीय बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000</b>							

तालिका 6 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की कुल जमा 116103 44 लाख रुपये तथा ऋण 33731 66 लाख रुपये है और ऋण जमा अनुपात मात्र 29 05 है। इसमें गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक है जबकि पिथौरागढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सबसे कम है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने लाभ अर्जन किया है सर्वाधिक लाभ 266 59 लाख रुपये गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सबसे कम गगा यमुना क्षेत्रीय बैंक का 68 92 लाख रुपये है।

## केनरा बैंक

केनरा अग्रणीय बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये हैं जिनकी कुल शाखा 189 है। इन ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 6 2

केनरा बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23 3 81	85	32710 43	13100 59	40 05	866 45
2	एटा ग्रामीण बैंक	29 3 81	58	14051 00	6663 00	47 42	300 00
3	जमुना ग्रामीण बैंक	2 12 83	46	13894 96	5624 64	40 48	179 09
योग			189	60656 39	25388 23	41 86	1345 54

स्रोत क्षेत्रीय बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 2 से परिलक्षित होता है कि केनरा बैंक द्वारा 1983 के पश्चात कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गयी। इस बैंक द्वारा सेवित ग्रामीण बैंक का कुल ऋण जमा अनुपात 41 86 है जो कि अन्य प्रायोजक बैंक की तुलना में अधिक है। एटा ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 47 42 लाख रुपये है जबकि सर्वाधिक लाभार्जन अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किया है।

## बैंक ऑफ बडौदा

बैंक ऑफ बडौदा का ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं। जिन जिलों में बैंको की शाखाएँ कम थी उसमें इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना करके इसे ग्रामीण विकास को गति प्रदान की। इसके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 6 3

बैंक ऑफ बडौदा द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन  
(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29 3 76	74	19805 85	4217 40	21 29	356 57
2	सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8 2 77	93	30207 50	10514 65	32 34	381 22
3	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27 2 80	94	29518 41	9189 06	31 12	569 48
4	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23 8 80	88	27549 28	6554 18	23 77	265 07
5	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	25 8 80	71	20604 59	4329 99	21 01	212 09
6	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5 9 80	67	19797 10	4690 44	23 69	428 91
7	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6 9 80	51	10676 04	3049 16	27 56	70 59
8	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27 9 80	83	17432 63	5754 53	33 01	503 82
9	शाहगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24 3 83	36	9497 84	4591 18	48 32	568 23
10	नैनीताल अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	26 3 83	59	11613 11	5305 33	45 68	354 43
योग		716 196702 35 58195 92 29 59 3710 41					
स्रोत क्षेत्रीय बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000							

उत्तर प्रदेश में बैंक ऑफ बडौदा ने सर्वाधिक कुल 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को स्थापित किया है जो कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का 25 प्रतिशत है। इन बैंको का ऋण जमा अनुपात 29.59 है जो कि अन्य बैंको की अपेक्षा काफी कम है। लाभ दर भी निम्न रही है। इन बैंको ने कुल 371041 करोड़ रुपये लाभार्जन किया जो कि प्रति बैंक औसत 3710 लाख रुपये है।

## बैंक ऑफ इण्डिया

बैंक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश में 1976 में दो तथा 1977 में केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये। इनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 64

बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन  
(1999-2000)  
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फरुखाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24/3/76	82	23691.52	6645.75	28.10	621.32
2	बाराबकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27/3/76	90	23011.01	5032.89	21.87	466.54
3	अवध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7/6/77	114	39376.49	9391.87	23.72	700.00
योग			286	86079.02	21070.51	24.48	1787.86

स्रोत: क्षेत्रीय बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 64 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस बैंक द्वारा 1977 के पश्चात कोई नया क्षेत्रीय बैंक स्थापित नहीं किये गये। इन बैंको की कुल

जमा 86079 02 लाख रुपये तथा कुल ऋण 21070 51 लाख रुपये तथा ऋण जमा अनुपात 24 48 है। इनका कुल लाभ 1787 86 लाख रुपये (595 95 लाख प्रति बैंक) है।

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में कोई विशेष रुचि नहीं ली। इस बैंक द्वारा केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। इसकी कुल शाखा 139 है। इन बैंकों का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 6 5

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य  
निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	25 12 76	89	24121 89	6677 30	27 71	533 58
2	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	18 3 80	50	9147 44	2981 04	32 59	210 17
योग			139	33269 33	9658 34	29 03	743 75
स्रोत क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000							

तालिका 6 5 से स्पष्ट है कि अग्रणी बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत मात्र दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इनका औसत ऋण जमा

अनुपात 29 03 प्रतिशत है जो कि अन्य प्रायोजक बैंको की तुलना में कम है। लाभ भी प्रति बैंक औसत 371 88 लाख रुपये है।

## इलाहाबाद बैंक

इलाहाबाद बैंक ने ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कुल छ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की है जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 6.6

इलाहाबाद बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन  
(1999-2000)  
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भागीरथ ग्रामीण बैंक	19 9 76	107	32832 02	5980 32	18 21	1810 71
2	श्रावस्ती ग्रामीण बैंक	4 3 80	88	20323 88	8838 95	43 49	1125 00
3	तुलसी ग्रामीण बैंक	23 3 81	81	17936 19	6671 23	37 19	378 99
4	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	30 3 82	82	13590 47	4520 36	33 26	170 00
5	विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक	3 3 83	42	10498 62	4912 66	46 79	188 70
6	सरयू ग्रामीण बैंक	9 8 83	43	11339 55	4069 20	35 87	593 69
योग			443	106520 73	34992 72	32 85	4267 09

स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 6 से परिलक्षित है कि इलाहाबाद बैंक ने उत्तर प्रदेश में कुल 6 ग्रामीण बैंक स्थापित किये जिनका कुल जमा 106520 73 लाख



रुपये तथा कुल ऋण 34992 72 लाख रुपये है तथा ऋण जमा अनुपात 32 85 प्रतिशत है। इन बैंको का कुल लाभ 4267 09 लाख रुपये है। प्रति बैंक औसत लाभ 711 18 लाख रुपये है जो कि अन्य प्रायोजक बैंको की तुलना में सामान्य है।

## पंजाब नेशनल बैंक

इस बैंक ने पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पर ध्यान नहीं दिया लेकिन अन्य बैंको द्वारा स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सफलता को देखते हुए 1980 में किसान ग्रामीण बैंक स्थापित किया तथा पुन 1981 82 83 84 एवं 87 में प्रत्येक वर्ष एक-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जिसका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 6 7

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन  
(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	किसान ग्रामीण बैंक	19 5 80	55	9304 40	3194 13	34 39	76 12
2	देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	17 1 81	75	24636 09	4603 47	18 70	708 79
3	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31 3 82	46	6683 51	2300 38	34 42 (-)	462 45
4	विदौर ग्रामीण बैंक	18 1 83	38	9694 32	2690 60	27 75	281 16
5	मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27 7 84	25	6195 45	1943 66	31 37	113 27
6	हिडन ग्रामीण बैंक	28 3 87	22	4154 95	1226 62	29 51	110 11
<b>योग</b>			<b>261</b>	<b>60668 72</b>	<b>15958 86</b>	<b>26 30</b>	<b>827 00</b>

स्रोत क्षेत्रीय बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 7 से स्पष्ट है कि पजाब नेशनल बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में कुल 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये हैं इन बैंको का औसत ऋण जमा अनुपात 26 30 है जो कि अन्य बैंको की तुलना में कम है तथा प्रति बैंक औसत लाभ भी 137 83 लाख रुपये है जो कि कुल औसत लाभ 527 34 की तुलना में बहुत कम है।

## यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश में कुल तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 6 8

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सयुक्त ग्रामीण बैंक	6 1 76	160	65861 90	8275 59	12 57	1143 59
2	काशी ग्रामीण बैंक	28 7 80	79	25186 01	7108 11	28 22	262 93
3	गोमती ग्रामीण बैंक	3 3 81	84	30530 05	9193 12	30 11	275 07
योग			323	121577 96	24576 82	20 21	1681 59
स्रोत क्षेत्रीय बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000							

तालिका 68 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यूनियन बैंक द्वारा स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात जो कि 2021 है सन्तोषजनक नहीं है। इस बैंक ने कुल तीन ग्रामीण बैंक स्थापित किये हैं जिसमें से प्रथम बैंक सयुक्त ग्रामीण बैंक जिसका कि ऋण जमा अनुपात 1257 है जो कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के ऋण जमा अनुपात 3015 की तुलना में बहुत ही कम है। जबकि गोमती ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात लगभग कुल ऋण जमा अनुपात के बराबर है।

## सिंडीकेट बैंक

सिंडीकेट बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक नाम से मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया। जो कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इस बैंक का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 6.9

सिंडीकेट बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रथमा बैंक	21075	1	5077781	2560993	5044	216183

स्रोत क्षेत्रीय बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका से स्पष्ट है कि प्रथमा बैंक का ऋण जमा अनुपात 5044 है जो कि अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की तुलना में अधिक है। इस बैंक ने 1999-2000 में कुल 216183 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया।

## यू.पी. स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड

यू पी स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश मे केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

### तालिका 6 10

यू पी स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन (1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैंको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	20 5 80	1	10604 54	4981 83	46 98	160 50

स्रोत क्षेत्रीय बैंको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 10 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक की कुल जमा 10604 54 तथा ऋण 4981 83 है इस बैंक द्वारा 1999-2000 मे 160 50 लाख रुपये का लाभ अर्जन किया गया।

## तालिका 6 11

उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की ऋण जमा, विनियोग इत्यादि  
का प्रयोजक बैकवार विवरण, मार्च 2000

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र	प्रायोजक	सेवित	कुल	कुल	कुल	ऋण जमा	लाभ/
स	बैको का नाम	ग्रामीण	शाखा	जमा	ऋण	अनुपात	हानि
		बैको की					
		सख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारतीय स्टेट ऑफ इण्डिया	5	419	116103 44	33731 66	29 05	4407 96
2	केनरा बैंक	3	189	60656 39	25388 23	41 86	1345 54
3	बैंक ऑफ बडौदा	10	716	196702 35	58195 92	29 59	3710 41
4	बैंक ऑफ इण्डिया	3	286	86079 02	21070 51	24 48	1787 86
5	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2	139	33269 33	9658 34	29 03	743 75
6	इलाहाबाद बैंक	6	443	106520 73	34992 72	32 85	4267 09
7	पजाब नेशनल बैंक	6	261	60668 72	15958 86	26 30	827 00
8	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	3	323	121577 96	24576 82	20 21	1681 59
9	सिडिकेट बैंक	1	164	50777 81	25609 93	50 44	2161 83
10	यूपी स्टेट को बैंक	1	64	10604 54	4981 83	46 98	160 50
	लिमिटेड						
	योग	40	3004	842960 29	254164 82	30 15	21093 53

स्रोत तालिका 6 1 से 6 10 पर आधारित

तालिका 6 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और इसका कुल जमा 842960 29 लाख रुपये तथा कुल ऋण 254164 82 लाख रुपये है तथा ऋण जमा अनुपात 30 15 है। इन बैंकों ने कुल 21093 53 लाख रुपये लाभार्जन किया जो कि प्रति बैंक 527 34 लाख रुपये है। प्रायोजक बैंक यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अन्तर्गत केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (किसान ग्रामीण बैंक) है। लेकिन इनका ऋण जमा अनुपात 46 98 है जो कि सामान्य 30 15 की तुलना में अधिक है। सबसे कम ऋण जमा अनुपात यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का 20 21 प्रतिशत है तथा सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात सिडिकेट बैंक का 50 44 है जिसके अन्तर्गत केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (प्रथमा बैंक) स्थापित है।

## अध्याय - 7

जनपद-जौनपुर का  
परिदृश्य  
एतिहासिक परिदृश्य  
भौगोलिक परिदृश्य  
सामाजिक परिदृश्य  
आर्थिक परिदृश्य

## ऐतिहासिक परिदृश्य

आदि गंगा गोमती के पावन प्रागण में प्रकृति की सुरम्य लीला स्थली मयूर—कोकिला कुजित लता—विमान में अनेको देवालया से सुशोभित ऋषि की तपोभूमि यमदाग्नपुरम् जौनपुर शिक्षा सस्कृति संगीत एव कला के क्षेत्र में अपने अतीत वैभव के लिए प्रख्यात् ऐतिहासिक अवशेषों को समेटे हुए आज भी अपनी स्मृति बनाए हुए है। यह क्षेत्र उस समय अयोध्या राज्य के अन्तर्गत था और इसे अयोध्यापुरम् कहा जाता था। इस जनपद में सर्वप्रथम रघुवशी क्षत्रियों का आगमन हुआ। बनारस के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा देव कुमार के साथ किया और साथ ही अपने राज्य का कुछ भाग दहेज में दे दिया जिसमें डोभी क्षेत्र के रघुवशी आबाद हुए। उसके बाद वत्सगोत्री दुर्गवशी तथा व्यास क्षत्रिय इस जनपद में आये। ग्यारहवीं सदी में कन्नौज के गहरवार राजपूत जफराबाद और योनापुर या जवनपुर (जौनपुर) को समृद्धि एवं सुन्दर बनाने लगे।

1194 ई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मनदेव (वर्तमान में जफराबाद) पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन राजा उदयपाल को पराजित किया और दीवान जीत सिंह को सत्ता सौंप कर बनारस की ओर चल दिया। 1389 ई में फिरोजशाह का पुत्र महमूदशाह गद्दी पर बैठा। उसने मलिक सरवर ख्वाजा को मंत्री बनाया और बाद में 1393 ई में मलिक उसशर्प की उपाधि देकर कन्नौज से विहार तक का क्षेत्र उसे सौंप दिया। मलिक उसशर्प की मृत्यु 1398 ई में हो गयी। जौनपुर की गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारकशाह बैठा। उसके बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। इब्राहिम के हिन्दुओं के साथ सद्भाव की नीति पर राज्य चलाया।



फिरोजशाह ने 1393 में अटाला मस्जिद की नींव डाली जिसे 1408 ई में इब्राहिम शाह ने पूरा किया। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद एवं बडी मस्जिद का निर्माण प्रारम्भ कराया जिसे हुसेन शाह ने पूरा किया।

1484 से 1525 ई तक लोदीवश का जौनपुर की गद्दी पर आधिपत्य रहा। 1526 ई में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद बाबर के पुत्र हुमायू ने जौनपुर के शासक को परास्त किया 1556 ई में हुमायू की मृत्यु हो गयी तो 18 वर्ष की अवस्था में उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा अकबर के ही शासनकाल में शाही पुल का निर्माण हुआ।

डेढ़ शताब्दी तक मुगल सल्तनत का अग रहने के बाद 1722 ई में जौनपुर अवध के नवाब को सौंपा गया 1775 ई में बनारस के साथ ही जौनपुर भी अंग्रेजों के हाथ में चला गया। 1818 ई में सर्वप्रथम डिप्टी कलेक्टर और बाद में यह अलग जिला बना।

1857 ई में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जौनपुर का विशेष योगदान रहा है। ग्राम सोनरपुर में मई 1858 ई में अंग्रेजों द्वारा 21 देशभक्तों को आम के बगीचे में लटकाकर फाँसी दी गयी सन् 1939 ई में दूसरे विश्वयुद्ध के विरोध में जौनपुर के 750 लोगों ने गिरफ्तारी दी। भारत छोड़ो आन्दोलन का विगुल बजने पर लोगो ने जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट में इस जुलूस पर लाठी चार्ज हुआ और बाद में मोलिया भी चली।

इस जनपद के उत्तर में सुल्तानपुर उत्तर-पश्चिम में प्रतापगढ़ दक्षिण-पश्चिम में इलाहाबाद दक्षिण में वाराणसी पुरब में गाजीपुर तथा उत्तर पूर्व में आजमगढ़ जनपद हैं। यह जनपद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 258 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थिति है।

## भौगोलिक परिदृश्य

जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भू-भाग 25 24 और 26 17 उत्तरी अक्षांश तथा 82 7 और 83 7 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।<sup>1</sup> जिले की लम्बाई पश्चिम से पूर्व 90 कि.मी. तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 85 कि.मी. है। जनपद जौनपुर समुद्र तल से 200 से 261 फुट की ऊँचाई पर बसा है।

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4020 9 वर्ग कि.मी. है जो प्रदेश के क्षेत्रफल का 1 4 प्रतिशत है। जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग लगभग समतल है। यहाँ की प्रमुख अनवरत बहने वाली नदियाँ गोमती एवं सई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक नदियाँ— बसुही, गागी, पीली, वरुणा, मागूर आदि छोटी-छोटी नदियाँ हैं। जो केवल वर्षा के मौसम में ही बहती हैं। गोमती, सई, वरुणा एवं बसुही नदियाँ जनपद को लगभग 4 समान्तर भू-खण्डों में विभक्त करती हैं। यह चार भू-खण्ड हैं— जनपद के उत्तरी क्षेत्र में गोमती नदी के उत्तर का सबसे बड़ा भू-भाग सई तथा बसुही के मध्य का दोमट मिट्टी वाला भू-खण्ड, गोमती एवं सई के मध्य का उपजाऊ भू-खण्ड, वरुणा एवं बसुही के मध्य का सकरी पट्टी वाला भू-खण्ड। यहाँ की भूमि मुख्यतः दोमट, बलुई, ऊसर तथा मटियार हैं।

जनपद के अधिकांश मृदा मुख्यतः दोमट एवं मटियार हैं। दोमट किस्म की मिट्टी ऊँची सतहों पर जौनपुर एवं केराकत तहसीलों में तथा शाहगंज के दक्षिण भाग में पायी जाती है। निचले क्षेत्र में मटियार किस्म की मिट्टी पायी जाती है। शाहगंज के उत्तरी तथा मछलीशहर के क्षेत्र में औसत ऊसर भूमि का प्रभाव है। गोमती, सई एवं बसुही नदियों के ढाबा क्षेत्र में औसत ऊपज अपेक्षाकृत अधिक होती है।

---

1 गजेटियर जनपद—जौनपुर

जनपद की जलवायु स्वास्थ्यप्रद एवं समतोष्ण है। जनपद का औसत न्यूनतम तापक्रम 4.4 एवं उच्चतम तापमान 47.5 डिग्री सेन्टीग्रेट में मध्य रहता है जनपद को कम वर्षा से सूखा एवं अधिक वर्षा से बाढ़ से उत्पन्न विभिन्निकाओं का सामना प्रायः करना पड़ता है। इस जनपद में नदियों में प्रायः बाढ़ रहती है।

बीसवीं शताब्दी में वर्ष 1955, 1970, 1971, 1976, 1980 एवं 1985 बाढ़ के सन्दर्भ में अविष्मरणीय है। जाड़े में तुषारापात से तिलहन दलहन एवं आलू की फसल भी कुप्रभावित रहती है।

## जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार जनपद जौनपुर की कुल जनसंख्या 32,14,636 थी। जो प्रदेश की जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत थी। इस जनपद में कुल जनसंख्या के 93.1 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6.9 प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहे थे। अनुजाति अनुजनजाति की संख्या कुल जनसंख्या का 21.8 प्रतिशत थी। प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1971, 1981 तथा 1991 में क्रमशः 879, 886 तथा 994 रही।

पिछले तीन दशकों में इस जनपद की जनसंख्या घनत्व ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 7.1

वर्ष	कुल जनसंख्या	दशक में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि			घनत्व प्रति वर्ग किमी
		कुल	ग्रामीण	शहरी	
1971	2005434	16.1	15.0	36.2	496
1981	2532734	26.3	25.7	33.6	627
1991	3214636	26.5	26.6	31.1	800

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद - जौनपुर, पेज न 10

उपरोक्त तालिका 7 1 से स्पष्ट है कि जनपद-जौनपुर की जनसख्या मे लगातार वृद्धि रही है। ग्रामीण जनसख्या की अपेक्षा शहरी जनसख्या मे वृद्धि दर अधिक है इसका प्रमुख कारण शहरो मे विशेष सुविधा आर्थिक उन्नति रोजगार सुरक्षा आदि का होना है। यह जनपद घना आबाद है। सम्पूर्ण भारत का जनसख्या घनत्व 274 है जबकि जौनपुर जनपद का 471 है।

जनपद मे साक्षरता दर 1991 के जनगणनानुसार 42 22 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1971 व 1981 मे यह क्रमश 21 2 एव 26 3 प्रतिशत थी।

जनपद मे कुल गैर आबाद ग्रामो की सख्या 122 है। सबसे अधिक 21 गैर आबाद ग्राम शाहगज विकास खण्ड मे है तथा जलालपुर विकास खण्ड मे कोई भी गैर आबाद ग्राम नही है।

## तालिका 7 2

### आबाद ग्रामो का विवरण

(जनगणना 1991 के अनुसार)

200 से कम जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	506
200 से 499 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	788
500 से 999 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	906
1000 से 1499 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	498
1500 से 1999 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	244
2000 से 4999 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	308
5000 से अधिक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	19
<b>योग</b>	<b>3269</b>

तालिका 72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद में 906 गाँव (27.7 प्रतिशत) जिनकी जनसंख्या 500 से 999 तक है तथा 788 गाँव (24.1 प्रतिशत) जिनकी जनसंख्या 200 से 499 तक है और 506 गाँव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 200 से कम है। इस प्रकार कुल 3269 गाँव में से 2200 गाँव (67.3 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से कम है तथा 1050 गाँव (32.7 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से 4999 के बीच है और केवल 19 गाँव (0.6 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। इस प्रकार जनपद में अधिकांश गाँव जनसंख्या की दृष्टि से छोटे-छोटे हैं।

## सामाजिक परिदृश्य

जनपद में मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा सभी धर्मों के लोग रहते हैं। जो अनेक रीति-रिवाज को मानते हैं। गाँवों में लोग जादू-टोना एवं भूत-प्रेत में भी विश्वास करते हैं। यहाँ पुरुष धोती-कुर्ता पैन्ट-शर्ट तथा स्त्रियाँ धोती-ब्लाउज पहनती हैं। सावन के माह में यहाँ की कजली (गाना) प्रसिद्ध है प्रमुख त्यवहारों में दशहरा दीपावली एवं होली मनाया जाता है। दशहरा के समय गाँव-गाँव में रामलीला होती है। सावन माह में गाँवों में जगह-जगह झूला पर लोग गाने गाते हैं और झूलते हैं।

तालिका 7 3  
प्रमुख धर्मानुसार जनसख्या  
(जनगणना 1991 के अनुसार)

क्र स	धार्मिक सम्प्रदाय	जनसख्या			कुल जनसख्या मे प्रतिशत
		कुल	ग्रामीण	शहरी	
1	हिन्दु	2883862	2740877	142985	89 71
2	मुस्लिम	313023	236262	76761	9 74
3	इसाई	1034	964	70	0 03
4	सिक्ख	470	4	466	0 02
5	बौद्ध	15821	14868	953	0 49
6	जैन	56	5	51	—
7	अन्य	47	47	—	—
8	धर्म नही बताया	323	270	53	0 01
<b>कुल</b>		<b>3214636</b>	<b>2993297</b>	<b>221339</b>	<b>100 00</b>

उपरोक्त तालिका 7 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद मे विभिन्न धर्मों के लोग रहते है जिसमे प्रमुख हिन्दु एव मुसलमान है। जो कुल जनसख्या का क्रमश 89 71 व 9 74 प्रतिशत है जबकि सिक्ख इसाई एव बौद्ध धर्म के लोगो का प्रतिशत क्रमश 0 03 0 02 एव 0 49 है।

## तालिका 7 4

## गत तीन दशको मे लिंगानुपात जनसंख्या

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	लिंगानुसार जनसंख्या		स्त्रियो की जनसंख्या प्रति हजार पुरुष	जनसंख्या का प्रतिशत	
		पुरुष	स्त्री		पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7
1971	2005434	997010	1008424	1011	49.7	50.3
1981	2532734	1260692	1272042	1009	49.8	50.2
1991	3214636	1612164	1602472	994	50.2	49.8

उपरोक्त तालिका 7 4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनपद मे स्त्रियो की संख्या पुरुषो की तुलना मे कम होती जा रही है। 1971 मे 1000 पुरुष पर 1011 महिला थी और 1981 मे घटकर 1009 से 1991 मे 994 रह गयी है इसका प्रमुख कारण आर्थिक स्थिति है क्योकि लडकियो के शादी-विवाह मे अधिक खर्च होता है और जनता गरीब होने के कारण स्त्रियो के स्वास्थ्य एव शिक्षा पर भी कम व्यय करते है।

## तालिका 7 5

जनपद की कुल जनसख्या, अनु जाति, अनु जनजाति तथा साक्षर  
व्यक्तियों की सख्या

नाम विकास खण्ड	जनसख्या		अनु जाति जन		अनु ज जाति जन		साक्षर व्यक्ति	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 सुइथाकला	63624	16327	16081	15422	—	—	27670	10077
2 शाहगज	104157	103128	20494	21089	—	—	42656	17045
3 खुटहन	75841	75273	15368	15360	—	—	34011	12324
4 करन्जाकला	82033	79341	16746	16866	1	1	35728	9930
5 बदलापुर	82973	82073	17548	17345	35	56	40603	13579
6 महाराजगज	58251	58587	13288	12948	13	10	29198	9746
7 बक्शा	73013	72894	15044	14947	—	—	36334	12859
8 सुजानगज	76123	77270	15047	15130	—	—	37893	11666
9 मु बादशाहपुर	67184	66445	15641	15524	—	—	31383	8122
10 मछली शहर	87376	88010	21552	21662	—	—	39957	10419
11 मडियाहूँ	81508	84547	18013	18553	—	—	39218	12007
12 सिकरारा	65394	64964	15082	15262	—	—	32778	11395
13 धर्मापुर	42879	43451	10505	10629	—	—	19719	7009
14 रामनगर	65901	65571	11016	11019	—	—	32803	10352
15 सिरकोनी	67639	65730	14042	13805	—	—	34681	12896
16 मुफतीगज	45660	49682	13382	14640	—	—	20848	9132
17 जलालपुर	61766	62082	16069	15756	—	—	32165	12385
18 केराकत	67899	70352	19899	20547	5	3	34039	13592
19 डोभी	59978	61576	16694	17423	—	—	30435	12857
<b>योग ग्रामीण</b>	<b>1329199</b>	<b>1332306</b>	<b>301511</b>	<b>303927</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>632119</b>	<b>217392</b>
<b>नगरीय</b>	<b>116534</b>	<b>104804</b>	<b>11096</b>	<b>10119</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>67875</b>	<b>39722</b>
<b>योग जनपद</b>	<b>1445733</b>	<b>143708</b>	<b>312607</b>	<b>314046</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>699994</b>	<b>257114</b>

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर



तालिका 75 से स्पष्ट है कि जनपद में अनुजनजाति की जनसंख्या मात्र 104 है। कुल 19 ग्राम विकास खण्ड में से केवल चार विकास खण्ड बदलापुर करन्जाकाला महाराजगज एव केराकत में क्रमश 71223 एव 8 जनजाति के लोग थे जबकि अनुसूचित जाति की संख्या 626653 (लगभग 22 प्रतिशत) थी। सबसे अधिक अनुसूचित जाति शाहगज में तथा सबसे कम धर्मापुर विकास खण्ड में थे। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में कु 1329199 पुरुष तथा 1332303 महिला थी इस प्रकार महिलाओं की संख्या पुरुष की अपेक्षा अधिक थी जबकि नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिला से अधिक थी। नगरीय क्षेत्र में कुल 116534 पुरुष तथा 104805 महिला थी।

## आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक दृष्टिकोण से जनपद को उत्तम नहीं कहा जा सकता है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जनपद है। जिसमें औद्योगिक विकास अत्यन्त ही मन्द गति से हुआ है। जनपद में उद्योगपतियों को बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। जिसके कारण पहले जनपद में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ और जनपद आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सका। बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद जब सरकार ने नरसिंहम समिति के सुझाव को मानते हुए भारत के 335 जिलों को 17 बैंकों के बीच बाँटा गया और इन्हे जिलों का अग्रणीय बैंक कहा गया। इन बैंकों को अपने जिलों में आर्थिक सहायता का दायित्व सौंपा गया जिसके फलस्वरूप जिलास्तर पर आर्थिक विकास को गति प्राप्त हुई। जौनपुर जनपद में अग्रणीय बैंक की स्थापना के बाद ही आर्थिक विकास को गति प्राप्त हुई। इस जनपद का अग्रणीय बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया है।

जनपद—जौनपुर मे प्रारम्भिक क्षेत्र मे ऋण वितरण का विवरण निम्न प्रकार है

1	कृषि तथा कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्षेत्र	416440 हजार रुपये
2	लघु उद्योग	84525 हजार रुपये
3	अन्य	209724 हजार रुपये

गत चार वर्षों मे जनपद मे प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितिया जिला सहकारी बैंक तथा सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैंक द्वारा वितरित ऋण (हजार रुपये) का विवरण निम्न है

तालिका 7 6

वर्ष	प्रारम्भिक कृषि ऋण				
	सहकारी समितियों		जिला सहकारी बैंक		सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैंक
	अल्पकालीन	मध्यकालीन	अल्पकालीन	मध्यकालीन	दीर्घकालीन
1995-96	107929	516	100868	2145	42211
1996-97	97883	504	101387	4746	79488
1997-98	110500	2863	114110	4443	63658
1998-99	121473	2972	117373	4441	69546

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर, 95 96, 96-97, 97-98 एव 98-99

उपरोक्त तालिका 7 6 से स्पष्ट है कि जनपद मे प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितिया प्रमुख रूप से अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। जबकि दीर्घकालीन ऋण सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन एव मध्यकालीन दोनो ही प्रकार के ऋण प्रदान करती है।

## वित्तीय सुविधायें एवं सहकारी संस्थायें

विकास कार्यों में समुचित प्रगति लाने तथा अपेक्षित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को उन्नत और विकसित बनाने में बैंको की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विशेष योगदान है। बैंको की संख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र अधिक विकसित है क्योंकि समस्त आर्थिक कार्यक्रम बैंको से जुड़े होते हैं। वर्ष 1998-99 में जनपद में बैंको की संख्याओं का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है

### तालिका 77

#### विभिन्न बैंको की शाखाएँ

क्र स	मद	संख्या
1	राष्ट्रीय बैंक शाखाएँ	98
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएँ	85
3	अन्य गैर राष्ट्रीकृत बैंक शाखाएँ	2
4	जिला सहकारी बैंक शाखाएँ	37
5	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक शाखाएँ	5
<b>योग</b>		<b>227</b>

उपरोक्त तालिका 77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद-जौनपुर में बैंको की कुल शाखाएँ 227 थी जिसमें से 85 शाखा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की और 98 शाखा अन्य वाणिज्यिक बैंको की थी। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं का प्रतिशत 37.5 है।

जनपद में सहकारी बैंक की कुल 37 शाखाएँ हैं। जिला सहकारी बैंको में वर्ष 1998-99 में 734 सदस्य रहे अश पूँजी 57735 हजार रुपये कार्यशील पूँजी 11390 हजार रुपये रही। सन्दर्भित वर्ष में 375522 हजार

रुपये का अल्कालीन ऋण तथा 15575 हजार रुपये का मध्यकालीन ऋण वितरित किया गया। कुल जमा धनराशि 703227 हजार रुपये रही। व्यवसायिक बैंको में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत वर्ष 1996-97 1997-98 तथा 1998-99 के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत 20 प्रतिशत एवं 19.3 प्रतिशत रहा। कुल ऋण वितरण में प्राथमिक क्षेत्र के ऋण वितरण का प्रतिशत वर्ष 1996-97 1997-98 तथा 1998-99 के लिए क्रमशः 36.31 प्रतिशत 32.82 प्रतिशत तथा 31.66 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति जमा धनराशि (रुपये) प्रति व्यक्ति ऋण वितरण (रुपये) तथा प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण (रुपये) का विवरण वर्ष 1996-97 1997-98 तथा 1998-99 के लिए निम्न प्रकार रहा

तालिका 7.8

क्र.सं.	मद	विवरण(रु.)		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	प्रति व्यक्ति जमा धनराशि	2776.83	2847.60	3174.85
2	प्रति व्यक्ति ऋण वितरण	591.30	576.90	612.38
3	प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण	214.71	189.32	193.91

प्रति बैंक (वाणिज्यिक एवं ग्रामीण) शाखा पर जनसंख्या (हजार में) का भार वर्ष 1996-97 1997-98 तथा 1998-99 के लिए क्रमशः 19.30 20.60 तथा 20.74 रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक बैंक शाखाओं पर जनसंख्या का भार अत्यधिक है। अतः और अधिक शाखाएँ खोला जाना अत्यावश्यक है। जिससे सुदूर क्षेत्र के लोगों का बैंक से अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके।

देशव्यापी जनगणना- 1991 के प्रथम चरण में सूचीकरण कार्य के साथ-साथ तृतीय आर्थिक गणना का कार्य सम्पन्न किया गया था। आर्थिक

गणना 1990 के अन्तर्गत कृषि एव अकृषि दोनों खण्डों के सभी प्रकार के उद्योगों जिसमें स्वकार्य उद्यम व सस्थान शामिल थे से मुख्यतया उद्योगों की स्थिति कार्यकलाप का विवरण कार्य की प्रकृति स्वामित्व का प्रकार प्रयुक्त ईंधन सामान्यतया कार्यरत कुल व्यक्ति तथा भाड़े पर कार्यरत कुल व्यक्तियों की संख्या आदि मदों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी। चतुर्थ आर्थिक गणना 2000 में सम्पन्न की जा चुकी है जिसका परिणाम अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

आर्थिक गणना 1990 से प्राप्त कुछ उल्लेखनीय निष्कर्ष का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है

तालिका 7 9

क्र स	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	उद्यमों की संख्या			
	1 1 कृषिय	1305	125	1430
	1 2 अकृषिय	33415	14214	47629
	1 3 योग	34720	14339	49059
2	ससाधनों की संख्या जिसमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत है (कृषि+अकृषिय)	4251	3347	7598
3	स्वकार्य उद्यमों की संख्या (कृषि अकृषिय)	30469	10992	41461
4	उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर)			
	4 1 पुरुष	63781	31836	95617
	4 2 स्त्री	8668	2364	11032
	4 3 योग	72449	34200	106649
5	भाड़े पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति			
	5 1 पुरुष	17891	13687	31578
	5 2 स्त्री	2517	1256	3773
	5 3 योग	20408	14943	35351

उपरोक्त तालिका 79 से स्पष्ट है कि अधिकांश उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित हैं तथा श्रमिक भी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हैं। पुरुष, लगभग 67 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 33 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि महिला लगभग 78 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 22 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में हैं।

आर्थिक गणना 1990 तथा आर्थिक गणना 1980 के कुछ उल्लेखनीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है —

तालिका 7 10

क्र स	मद	आर्थिक गणना	
		1980	1990
1	उद्यमों की संख्या	46771	49059
2	उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति	101858	106649
3	स्वकार्य उद्यमों की संख्या	39312	41461
4	भाड़े पर सामान्यतया व्यक्ति	35287	35351
5	संस्थानों की संख्या जिसमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत हैं।	7459	7598

## प्राकृतिक संसाधन

जनपद में प्राकृतिक संसाधनों का सदैव अभाव रहा है। नदियों में वर्ष भर पर्याप्त पानी न रहने के कारण समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वनक्षेत्र कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार के खनिज जनपद में अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है।

जनपद में भूमिगत जल स्रोत 100 से 160 फुट पर उपलब्ध होता है। तहसील मडियाहू में सबसे कम गहराई पर एव तहसील केराकत में सबसे अधिक गहराई पर जल स्रोत उपलब्ध है।

## उद्योग

औद्योगिक दृष्टिकोण से जनपद का स्थान लगभग शून्य स्तर पर है। कई मध्यम आकार के उद्योग स्थापित हो चुके हैं। जैसे सिद्धीकपुर औद्योगिक क्षेत्र में कताई मिल और हिसामपुर में सिन्नी फैन के कारखाने मध्यम आकार के उद्योग हैं जो अपनी शैशावस्था में हैं। सतहरिया (मुगरा बादशाह पुर) में इन्डस्ट्रीयल स्टेट में हिन्दुस्तान केबिल फैक्ट्री एवं अन्य उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। त्रिलोचन महादेव में वदना केमिकल्स एवं पेट्रोकार्बन फैक्ट्री माधव हिटाची धागा इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड चन्दवक में अपट्रान टी वी पाटर्स आदि की स्थापना हो जाने से आशा है। इस प्रकार अगले कुछ वर्षों में जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में भारी परिवर्तन आयेगा। इन उद्योगों के आधार पर सहायक उद्योगों का आविर्भाव भी सम्भव होगा। जिले के पिछड़े पन का मुख्य कारण कच्चेमाल एवं उद्यमी ससाधनों की कमी है। जनपद में यद्यपि लघु उद्योगों का भी बिल्कुल अभाव तो नहीं है किन्तु बहुत कम है। वर्ष 1998-99 में विभिन्न प्रकार की सस्थाओं के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2002 रही जिसमें कुल 4169 व्यक्ति कार्यरत रहे। कुल 2002 इकाइयों में से 24 विभिन्न सस्थाओं द्वारा 1978 व्यक्तिगत उद्योगपतियों द्वारा संचालित रही जिसमें क्रमशः 516 तथा 3653 व्यक्ति कार्यरत रहे।

वर्ष 1998-99 में विभिन्न प्रकार के सस्थाओं के कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या एवं सदस्यता संख्या का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है

## तालिका 7 11

क्र	संस्था का नाम उद्योगो का प्रकार	पचायत द्वारा संचालित	क्षेत्र समिति द्वारा संचालित	औद्योगिक सहकारी संस्थाओ द्वारा संचालित	पजीकृत संस्थाओ द्वारा संचालित	व्यक्तिगत उद्योगपतियो द्वारा संचालित	योग
1	खादी उद्योग	-	-	-	3	-	3
2	खादी उद्योग द्वारा परिवर्तित ग्रामीण उद्योग	-	-	15	6	1704	1725
3	लघु उद्योग इकाईया						
	1- इंजिनियरिंग	-	-	-	-	11	11
	2- रासायनिक	-	-	-	-	12	12
4	हथकरघो की इकाईया	-	-	-	-	56	56
5	हस्तशिल्प इकाईया	-	-	-	-	140	140
6	अन्य	-	-	-	-	-	55
	कुल योग	-	-	15	9	1978	2002
7	समस्त उद्योग मे कार्यरत व्यक्ति	-	-	156	360	3653	4169

## स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर

उपरोक्त तालिका 7 11 से स्पष्ट है कि जनपद मे उद्योग मुख्यत व्यक्तितगत उद्योगपतियो द्वारा संचालित किये जाते है। जनपद मे कुल 2002 उद्योग है जिनमे से 1978 (लगभग 99 प्रतिशत) व्यक्तितगत उद्योगपतियो द्वारा संचालित किये जाते है। और पचायत तथा क्षेत्र समिति द्वारा संचालित उद्योगो की संख्या शून्य है। इन उद्योगो मे कुल 4169 व्यक्ति कार्यरत थे जिनमे से 3653 व्यक्ति (87.6 प्रतिशत) व्यक्तितगत उद्योगपतियो द्वारा संचालित उद्योगो मे कार्यरत थे।



वृहत उद्योगो मे जनपद मे केवल एक चीनी मिल शाहगज मे है जो कई गत वर्षों से बन्द रहने के बाद वर्ष 89-90 से पुन पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वृहद उद्योग नहीं है। जनपद के प्रत्येक तहसील मे कम से कम एक वृहद उद्योग की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र मे आवश्यक है।

## व्यपार एवं वाणिज्य

जिले मे ग्रामीण एव कुटीर उद्योग के तहत कालीन तेल पिराई, जूता बनाना मिट्टी के बर्तन बनाना लोहारी बॉस की वस्तु, केश तेल तथा इत्र का उत्पादन मुख्य औद्योगिक व्यावसाय है। अन्य व्यवसायो की तुलना मे कालीन बुनाई का व्यवसाय सर्वोपरि है।

जनपद का व्यापार तथा वाणिज्य मुख्यत स्थानीय जनता के उपयोग की वस्तुओ मे विपणन पर आधारित है। खाद्यान्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ जनपद मे ही उत्पन्न किये और बेचे जाते है। जनपद मे अन्य राज्यो से खाद्यान्य खनिज तेल ईधन सूत दवाईयों आदि मगायी जाती है तथा खाद्यान्न तिलहन आलू, चीनी सब्जी कालीन केश तेल एव इत्र आदि बाहरी बाजारो मे विक्रय हेतु भेजे जोते है। हाल ही मे निर्मित स्पन्न पाइप गाडी के स्प्रिंग तथा जैली औद्योगिक वस्तुओ के अन्य जनपदो एव विदेशो को निर्यात की जानी प्रारम्भ हो गयी है।

## पशुपालन

जनपद-जौनपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है। अत जिले की अर्थव्यवस्था मे पशुधन का विशेष स्थान होना स्वाभाविक है। पुशपालन विकास हेतु पशुओ के नस्ल मे सुधार दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि हेतु पौष्टिक आहार की व्यवस्था हेतु पशु चिकित्सालयो की अधिक सख्या मे होना परम आवश्यक है।

आर्थिक विकास हेतु पशुधन विकास अत्यन्त आवश्यक है। पशुधन विकास के लिए क्रासवीड नस्ल की पशुओं की संख्या में वृद्धि लाने की योजनाएं अपेक्षित हैं। कुक्कुट विकास कार्य हेतु एक राजकीय कुक्कुट प्रसार विकास केन्द्र विकास खण्ड कजरकला में कार्यरत है। यहाँ उन्नतिशील नस्ल की मुर्गिया पाली गई है। इनमें पैदा किये गये उन्नतिशील बच्चे मुर्गिया पालन हेतु कुक्कुट पालकों को वितरित किये जाते हैं।

पशुओं की चिकित्सा प्रजनन एवं विकास आदि की सुविधा हेतु वर्ष 1998-99 में उपलब्ध पशु चिकित्सालयों एवं सुविधा केन्द्रों का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है

तालिका 7 12

पशु चिकित्सालय	पशु विकास केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	पशु प्रजनन फार्म	भेड विकास केन्द्र	सुअर विकास केन्द्र
34	43	64	-	3	6

जनपद में पशुधन विकास असंतुलन को दूर करके उसका समुचित विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। पशुओं में फैलने वाले अनेक बीमारियों से रक्षा के लिए वर्ष 1998-99 में गलाघोटू के 202409 पोकनी रोग के 56092 लगडिया (बीक्यू) के 12142 खुरपका, मुहपका के 42208 तथा अन्य रोगों के 72382 टीके लगाये गये तथा 168119 बीमार पशुओं के चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी है। जौनपुर नगर में एक मात्र पशु चिकित्सालय है।

## तालिका 7 13

## जनपद-जौनपुर के सकेतक

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग किमी	जनगणना-1991	4021
2	जनसख्या			
क	पुरुष	सख्या	जनगणना-1991	1612164
ख	स्त्री	सख्या	जनगणना-1991	1602472
ग	योग	सख्या	जनगणना-1991	3214636
घ	ग्रामीण	सख्या	जनगणना-1991	2993297
ड	नगरीय	सख्या	जनगणना-1991	221339
च	अनुसूचित जाति	सख्या	जनगणना-1991	700087
च	अनुसूचित जनजाति	सख्या	जनगणना-1991	104
3	साक्षरता			
क	पुरुष	सख्या	जनगणना-1991	778059
ख	स्त्री	सख्या	जनगणना-1991	282569
ग	कुल	सख्या	जनगणना-1991	1060628
4	तहसीले	सख्या	31 03 2000	6
5	सामुदायित विकास खड	सख्या	31 03 2000	21
6	न्याय पचायत	सख्या	31 03 2000	218
7	ग्राम पचायत	सख्या	31 03 2000	1517
8	कुल ग्राम	सख्या	31 03 2000	3391
9	आबाद ग्राम	सख्या	31 03 2000	3269
10	नगर एव नगर समूह	सख्या	31 03 2000	7
11	नगर पालिका परिषद	सख्या	31 03 2000	3

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
12	नगर क्षेत्र समिति	सख्या	31 03 2000	4
13	कुल डाक घर	सख्या	31 03 1999	424
	डाकघर ग्रामीण	सख्या	31 03 1999	401
	डाकघर नगरीय	सख्या	31 03 1999	23
14	तारघर	सख्या	31 03 1999	25
15	टेलीफोन कनेक्सन	सख्या	31 03 1999	2425
16	व्यवसायिक बैंक			
क	राष्ट्रीयकृत बैंक	सख्या	31 03 1999	98
ख	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	सख्या	31 03 1999	2
17	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सख्या	31 03 1999	85
18	जिला सहकारी बैंक	सख्या	31 03 1999	37
19	राज्य सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैंक	सख्या	31 03 1999	5
20	शीत भण्डार	सख्या	31 03 1999	19
21	कृषि			
क	शुद्ध बोया गय क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	291991
ख	सकल बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	442836
ग	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	217638
घ	सकल सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	337927
ड	खाद्यान के अतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	401841
च	तिलहन के अतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	2762

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
छ	गन्ना के अतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	14939
ज	आलू के अतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	10831
22	कृषि उत्पादन			
क	खाद्यान्न	हे मे टन	1997-98	823
ख	गन्ना	हे मे टन	1997-98	834
ग	तिलहन	हे मे टन	1997-98	2
घ	आलू	हे मे टन	1997-98	188
23	जलवायु			
क	वर्षा-सामान्य/वास्तविक	मि मि	1998	987/769
24	सिंचाई			
क	नहरो की लम्बाई	किमी	1998-99	1458
ख	राजकीय नलकूप	सख्या	1998-99	515
ग	व्यक्तिगत नलकूप तथा पपसेट	सख्या	1998-99	20426
25	पशुपालन			
क	पशु चिकित्सालय	सख्या	1998-99	34
ख	पशु सेवा/विकास केन्द्र	सख्या	1998-99	43
ग	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	सख्या	1998-99	24
घ	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	सख्या	1998-99	40
26	शिक्षा			
क	जूनियर बेसिक स्कूल	सख्या	1998-99	1531
ख	सीनियर बेसिक स्कूल	सख्या	1998-99	386

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
ग	हायर सेकेण्डरी स्कूल	सख्या	1998-99	176
घ	महाविद्यालय	सख्या	1998-99	14
ड	औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान	सख्या	1998-99	1
च	पॉलिटेकनिक	सख्या	1998-99	1
छ	विश्वविद्यालय	सख्या	1998-99	1
27	चिकित्सालय एव औषधालय			
क	एलोपैथिक	सख्या	1998-99	25
ख	आयुर्वेदिक	सख्या	1998-99	27
ग	होम्योपैथिक	सख्या	1998-99	29
घ	यूनानी	सख्या	1998-99	7
ड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सख्या	1998-99	88
च	परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	सख्या	1998-99	23
छ	परिवार एव मा शि क उपकेन्द्र	सख्या	1998-99	463
28	विशेष चिकित्सालय			
क	क्षय	सख्या	1998-99	1
ख	कुष्ठ	सख्या	1998-99	1
ग	सक्रामक रोग	सख्या	1998-99	1
29	पक्की सडको की लम्बाई			
क	कुल	किमी	1997-98	3682
ख	लो नि वि के अन्तर्गत	किमी	1997-98	1916
ग	स्थानीय निकायो के अतर्गत	किमी	1997-98	758
घ	अन्य विभागो द्वारा	किमी	1997-98	1008

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
30	विद्युत			
क	विद्युतीकृत ग्राम (कुल)	सख्या	1998-99	3066
ख	पपसेटो का इजन	सख्या	1998-99	26742
ग	विद्युतीकृत हरिजन बस्तिया	सख्या	1998-99	1604
घ	विद्युतीकृत नगर	सख्या	1998-99	7
31	नल/हैण्डपप इण्डिया मार्क-2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अर्न्तगत ग्राम			
क	ग्राम	सख्या	1998-99	3097
ख	नगर	सख्या	1998-99	7
32	आर्थिक वर्गीकरण (कर्मकार)			
क	कृषक	सख्या	जनगणना -1991	512812
ख	कृषि श्रमिक	सख्या	जनगणना -1991	112827
ग	अन्य कर्मकार	सख्या	जनगणना -1991	192839
घ	कुल मुख्य कर्मकार	सख्या	जनगणना -1991	818478
ड	सीमान्त कर्मकार	सख्या	जनगणना -1991	79711
च	कुन कर्मकार	सख्या	जनगणना -1991	898189
33	सिचाई के विभिन्न साधनो द्वारा श्रोतानुसार शुद्ध क्षेत्रफल			
क	नहर	हे	1997-98	66567
ख	नलकूप			
	1- राजकीय	हे	1997-98	13960
	2- निजी	हे	1997-98	111414
ग	कुओं	हे	1997-98	18

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
घ	तालाब	हे	1997-98	152
ड	अन्य	हे	1997-98	25527
34	जिला सेक्टर योजना	हरु मे	1999-2000	
क	अनुमोदित परिव्यय	हरु मे	1999-2000	522800
ख	अवमुक्त धनराशि	हरु मे	1999-2000	374149
ग	व्यय की गई धनराशि	हरु मे	1999-2000	322795
<b>स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा, जनपद-जौनपुर</b>				



## अध्याय - 8

जनपद-जौनपुर के विकास  
में गोमती ग्रामीण बैंक का  
योगदान

## जनपद-जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान

जनपद जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ जनपद है यहा की अधिकाश जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे रहती है और प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर करती है। अत इस जनपद के विकास के लिए ग्रामीण विकास करने होंगे। 'राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने कहा था कि यदि सुदृढ सतुलित और दूरगामी विकास करना है तो हमे अपने ग्रामीण अचलो को सशक्त बनाना होगा व ग्रामो की आधारभूत सरचना को मजबूत बनाने वाले ससाधन उपलब्ध करने होंगे। भारतीय कृषि एव भारतीय कृषक पिछले कई दशको से विभिन्न प्रकार की समस्याओ के भवर जाल मे फसकर रह गये है। उन बहुत सी आर्थिक समस्याओ मे से जिन्होने हमारे गरीब किसानो को सर्वाधिक प्रताडित किया है। एक प्रमुख समस्या वित्त ससाधनो की अनुपलब्धता की है।<sup>1</sup>

ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तम्भ है। नियोजन काल मे इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाए बनाई गई किन्तु बैकिंग सहायता के अभाव मे ग्रामीण बेरोजगारी से निबटने तथा कृषि एव कुटीर उद्योगो के विकास मे वित्तीय बाधाए उत्पन्न हो रही थी। व्यवसायिक बैंक दूरस्थ ग्रामीण अचलो मे अपने व्यापार का विस्तार नही कर पा रहे थे। सामाजिक बैकिंग की अवधारणा (1967-68) तथा वृहद बैंको का राष्ट्रीयकरण

---

1 स्रोत श्रेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण डॉ श्यामकृष्ण पाण्डेय

(1969) भी व्यवसायिक बैंको को निर्धन वर्ग के द्वार तक पहुचाने मे अक्षम रहे। सहकारी बैंक यद्यपि इस क्षेत्र मे कारगर सिद्ध हो सकते थे किन्तु उनकी अपनी असफलताओ और कमियो के रहते ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण बैंको की स्थापना की आवश्यकता स्वातन्त्र्योत्तर काल मे निरन्तर अनुभव की जा रही थी।

ग्रामीण बैंकिंग अनुसंधान समिति (1950) की रिपोर्ट के अनुसार भारत मे ग्रामीण बैंको की अवधारणा सर्वप्रथम बगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी। आर जी सरैया की अध्यक्षता मे गठित बैंकिंग कमीशन (1972) ने पुन ग्रामीण बैंको की एक श्रृंखला प्रारम्भ किये जाने का विचार प्रस्तुत किया किन्तु राजनीतिक पहल के अभाव मे इस दिशा मे कोई प्रगति नहीं हो सकी।

## गोमती ग्रामीण बैंक की स्थापना के प्रमुख कारण

- 1 जौनपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रो एव सीमान्त कृषको की साख सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करने मे सहकारी ऋण सस्थाओ एव व्यवसायिक बैंको ने पर्याप्त रूचि नहीं दिखाई।
- 2 व्यवसायिक बैंको का एक सामान्य मानदड बन चुका था कि गरीब ग्रामीण परिवार उधार का पात्र नहीं होता अर्थात ये बैंक शहरोन्मुख दृष्टिकोण रखते थे।
- 3 ग्रामीण क्षेत्रो मे लघु कृषको, कारीगरो एव भूमिहीन मजदूरो की साख सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करने की अपेक्षा व्यवसायिक बैंको मे कार्यरत शहरी मनोवृत्ति वाले कर्मचारियो से नहीं की जा सकती थी। अत ग्रामीण साख की आवश्यकताओ के लिए ग्रामीण दृष्टिकोण वाले व्यक्तियो द्वारा सचालित बैंको की आवश्यकता महसूस की गई।

- 4 व्यवसायिक बैंको मे कार्यरत कर्मचारियो मे ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि एव गहन अध्ययन का अभाव था जो कि ग्रामीण क्षेत्रो को साख उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक था। इसलिए मात्र ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए अलग वित्तीय सस्थान की आवश्यकता महसूस की गयी।
- 5 व्यवसायिक बैंको की स्थापना तथा प्रशासनिक लागत काफी अधिक थी। अतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐसे बैंक की आवश्यकता थी जिसकी स्थापना एव प्रशासनिक लागत कम हो।

## जनपद जौनपुर में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की भूमिका

व्यवसायिक बैंको पर सामाजिक नियंत्रण व्यवस्थाओ का भार सरकार द्वारा डाला गया। किन्तु सरकार ने यह महसूस किया कि ग्रामीण विकास के लिए वित्त एव साख को कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो की ओर मोडना समय की आवश्यकता है और इसी परिप्रेक्ष्य मे 19 जुलाई 1969 को देश के प्रमुख व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश के सम्पूर्ण बैंकिंग इतिहास मे यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना रही है।

आर्थिक विकास की बदलती हुई परिस्थितियो के साथ साथ ये बैंक भी सामाजिक बैंकिंग सिद्धात के मार्ग से हट गये तथा लाभ प्रदता को महत्व देने लगे और कृषि एव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो की वित्तीय सहायता कल्पना मात्र रह गयी।

जनपद जौनपुर का अग्रणी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया है। वर्ष 1997-98 मे जनपद जौनपुर मे राष्ट्रीयकृत बैंको मे कुल जमा धनराशि 1068900 हजार रुपये थी और इन बैंको द्वारा 2165700 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया था जो कि जमा धनराशि का 20

प्रतिशत था। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

### तालिका 8.1

जनपद जौनपुर में व्यावसायिक बैंको में जमा ऋण तथा ऋण जमा अनुपात

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	बैंक का नाम	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात
1	यूनियन बैंक	57021	9885	17 34
2	स्टेट बैंक	17889	2898	16 24
3	सेन्ट्रल बैंक	2244	439	19 56
4	बैंक ऑफ बडौदा	2372	545	22 98
5	इलाहाबाद बैंक	875	90	10 29
6	पजाब नेशनल बैंक	2764	336	12 16
7	ओरियन्टल बैंक	1620	134	8 27
8	बनारस स्टेट बैंक	1590	273	17 51
9	केनरा बैंक	648	141	21 76
<b>योग</b>		<b>91309</b>	<b>14741</b>	<b>16.14</b>

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर 1997-98 अर्थ एवं सख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश

उपरोक्त तालिका 8.1 से स्पष्ट है कि जनपद जौनपुर में विभिन्न व्यावसायिक बैंको का ऋण जमा अनुपात कुल ऋण जमा अनुपात मात्र 16.14 प्रतिशत है जो कि सन्तोषजनक नहीं है।

जनपद में व्यावसायिक बैंको का ऋण जमा अनुपात कम होने के साथ ही इन बैंको ने ऋण का वितरण भी कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्रों में न करके अन्य क्षेत्रों में अधिक किया है जबकि आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण को कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र में वितरण को

प्राथमिकता दी जाय। व्यावसायिक बैंको द्वारा जनपद मे वितरित ऋण निम्न तालिका से स्पष्ट है

**तालिका 8.2**

जनपद मे व्यावसायिक बैंको द्वारा जमा धनराशि एव ऋण वितरण का विवरण  
(1999-2000)  
(धनराशि हजार रुपये मे)

क्र स	मद	विवरण
1	जमा धनराशि	12181900
2	कुल ऋण वितरण	2349700
3	प्राथमिक क्षेत्र मे ऋण वितरण	
	(अ) कृषि तथा कृषि से सबधित कार्य	547151
	(ब) लघु उद्योग	25136
	(स) अन्य	171733

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर अर्थ एव सख्या  
प्रभाग उत्तर प्रदेश

तालिका 8 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंको द्वारा जनपद जौनपुर मे केवल 23 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को तथा 1 प्रतिशत लघु उद्योगो को प्रदान किया गया जबकि 76 प्रतिशत अन्य क्षेत्रो को प्रदान किया गया तथा ऋण जमा अनुपात 5 1 रहा है जो बहुत कम है।

# गोमती ग्रामीण बैंक

## स्थापना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना देश के चयनित जिलो मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से की गई है। इन बैंको का मुख्य उद्देश्य कृषि व्यापार वाणिज्य उद्योग एव ग्रामीण क्षेत्रो मे अन्य उत्पादक गतिविधियो हेतु विशेष रूप से सीमान्त एव लघु कृषको ग्रामीण दस्तकारो तथा लघु उद्यमियो को आर्थिक सहायता प्रदान करके अर्थव्यवस्था का सुधार करना है।

जनपद जौनपुर मे इन उद्देश्यो की पूर्ति के निमित्त जनपद के अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा (3) के अन्तर्गत गोमती ग्रामीण बैंक की स्थापना 30 मार्च 1981 को की। यह प्रवर्तक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इनका पूजी का अनुपात क्रमश 35 50 15 है।

## कार्य क्षेत्र

गोमती ग्रामीण बैंक का कार्य क्षेत्र जनपद जौनपुर है। इस जनपद मे 6 तहसीले और 21 विकास खण्ड है।

## निदेशक मण्डल

गोमती ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल मे कुल नौ सदस्य है। भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा (9) के अन्तर्गत निदेश मण्डल के सदस्यो की नियुक्ति करती है। मण्डल का अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है। एक सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

द्वारा नामित एक सदस्य राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामित दो सदस्य प्रवर्तक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा नामित तथा दो सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित होते हैं। वर्तमान में गोमती ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष टी एन गुप्ता हैं।

## अंश पूंजी

गोमती ग्रामीण बैंक की अधिकृत अशपूजी वर्तमान समय में पाँच करोड़ रुपये हैं जिसमें से एक करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी है। प्रदत्त अशपूजी में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। प्रदत्त समस्त अशपूजी का अशदान भारत सरकार यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 50 35 15 के अनुपात में निवेशित है। निम्न तालिका से अश पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी स्पष्ट है

तालिका 8 3

### गोमती ग्रामीण बैंक की अशपूजी का विवरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	अधिकृत पूंजी	प्रदत्त पूंजी
1	2	3
1981-86	100 00	25 00
1987-90	100 00	50 00
1990-91	500 00	62 50
1991-92	500 00	75 00
1992-93	500 00	75 00
1993-94	500 00	75 00
1994-95	500 00	75 00
1995-96	500 00	75 00
1996-97	500 00	100 00
1997-98	500 00	100 00
1998-99	500 00	100 00
1999-2000	500 00	100 00

स्रोत - विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)



तालिका से स्पष्ट है कि बैंक की अधिकृत पूजी स्थापना के समय 100 लाख रुपये थी जो कि 1990-91 में बढ़ाकर 500 लाख रुपये कर दिया गया। प्रदत्त पूजी 1981 में 25 लाख की थी जिसे 1987-90-91 तथा 1996-97 में बढ़ाकर क्रमशः 50 62 50 75 तथा 100 लाख कर दिया गया है।

## जनपद जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान

जनपद जौनपुर का ग्रामीण विकास गोमती ग्रामीण बैंक के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। 30 मार्च 1981 को गोमती ग्रामीण बैंक के स्थापना के पश्चात इस बैंक की निरन्तर प्रगति होती रही है और जनपद के विकास को भी गति प्राप्त हुई। जनपद में बैंक की स्थापना के प्रथम 5 वर्षों में प्रगति तीव्र गति से हुई और दिसम्बर 86 तक बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 81 हो गयी जिनके माध्यम से बैंक ने ग्रामीण जनता को आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। 1986 के पश्चात बैंक की शाखा विस्तार की गति मन्द पड़ गयी। वर्तमान में इस बैंक की कुल 84 शाखाएँ हैं। बैंक की प्रगति को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

## तालिका - 84

## गोमती ग्रामीण बैंक की प्रगति का क्रमवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	वर्ष	शाखा	जमा		ऋण		ऋण का अनुपात (प्रति मे)
			खाता सख्या	धनराशि	खाता सख्या	धनराशि	
1	1981	10	1952	1695	269	567	2700
2	1982	40	18926	12866	4409	9895	7700
3	1983	48	38553	26834	11258	20876	7800
4	1984	60	59769	48312	18253	37032	7700
5	1985	78	84415	74656	23678	54179	7257
6	1986	81	106591	106542	27774	75905	71.24
7	1987	81	129341	150257	30826	90655	6033
8	1988-89	81	161595	209901	38490	120575	5744
9	1989-90	81	135969	296226	43582	148042	4998
10	1990-91	81	211558	397838	50597	188136	4729
11	1991-92	81	241537	476675	53501	228068	4784
12	1992-93	81	267567	595747	55424	267184	4485
13	1993-94	81	292860	764933	57304	329150	4303
14	1994-95	81	313385	942411	59552	414628	4400
15	1995-96	81	346855	1292674	61943	501543	3910
16	1996-97	81	381367	1609696	63746	591389	3674
17	1997-98	81	423465	1990663	65566	691559	3476
18	1998-99	84	466402	2516443	68361	827114	3286
19	1999-2000	84	501080	3053005	69757	919312	3011
<b>स्रोत विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)</b>							

उपरोक्त तालिका 84 से परिलक्षित है कि गोमती ग्रामीण बैंक जनपद जौनपुर के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किया है छोटी-छोटी बचत को एकत्रित करके वित्तविहीन क्षेत्रों में वितरित किया है। जनपद में गोमती ग्रामीण बैंक की जमा खाता संख्या एवं धनराशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है 1981 में जो मात्र 1952 खाता था जो कि 5 वर्ष पश्चात् 1986 में 106591 हो गयी और मार्च 1990 1995 एवं 2000 में बढ़कर क्रमशः 135969 313385 एवं 501080 हो गयी। इसी प्रकार जमा धनराशि में भी वृद्धि निरन्तर हुई। 1981 में कुल जमा धनराशि 16.95 लाख रुपये थी वह क्रमशः मार्च 1985 1990 1995 एवं 2000 में क्रमशः 746.56 2962.26 9424.11 एवं 30530.05 लाख रुपये हो गयी।

प्रथम वर्ष में बैंक द्वारा ऋण वितरण अधिक नहीं हो पाया क्योंकि मार्च 1981 में बैंक की स्थापना ही हुई जिस कारण उतना अधिक आवेदन नहीं मिल सका परन्तु बाद के वर्षों में ऋण वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया। मार्च 1985 1990 1995 एवं 2000 की समाप्ति पर ऋण वितरण क्रमशः 451.79 1480.42 4146.28 एवं 9193.12 लाख रुपये थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैंक के जनपद के विकास के लिए वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि की है।

जनपद जौनपुर गोमती ग्रामीण बैंक का प्रथम वर्ष 1981 ऋण जमा अनुपात मात्र 27 प्रतिशत था लेकिन अगले वर्ष ही 1982 में यह बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 78 प्रतिशत 1983 में था उसके पश्चात् इसमें कमी होने लगी और वर्तमान में यह घटकर मात्र 30.11 प्रतिशत रह गया।

## तालिका - 8 5

गोमती ग्रामीण बैंक का तहसीलवार जमा, ऋण तथा ऋण जमा  
अनुपात का प्रगति विवरण

(31 मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र	तहसील	1997-98		1998-99			1999-2000			
		जमा	ऋण	ऋण	जमा	ऋण	ऋण	जमा	ऋण	ऋण
स				जमा		जमा		जमा		जमा
				अनु		अनु		अनु		अनु
				प्रति		प्रति		प्रति		प्रति
				में		में		में		में
1	मडियाहूँ	4264 74	1498 86	35 14	5614 31	1877 80	33 45	6609 32	2108 85	31 91
2	मछलीशहर	3099 78	1016 52	32 79	3099 78	1201 87	38 77	4220 28	1404 39	33 28
3	बदलापुर	1474 03	592 06	40 17	1918 27	737 17	38 43	2353 26	699 10	29 71
4	शाहगज	2625 66	1152 96	43 91	3419 45	1338 96	39 16	4613 76	1403 89	30 43
5	केराकत	3368 20	1068 99	31 74	4036 80	1178 37	29 19	4803 15	1338 10	27 86
6	सदर	5074 42	1586 18	31 26	6229 60	1936 97	31 09	7930 28	2238 79	28 23
	योग	19906 83	6915 57	34 74	25164 43	8271 14	32 87	30530 05	9193 12	30 11

उपरोक्त तालिका 8 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक ऋण वितरण सदर तहसील में किया गया है जिसका अधिकांश क्षेत्र शहर में स्थित है। जबकि ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक शाहगज तहसील की है। ऋण जमा अनुपात में निरन्तर कमी हो रही है 1997-98 में जो ऋण जमा अनुपात 34 74 प्रतिशत था वह 1999-2000 में घटकर 30 11 प्रतिशत रह गया। कुल जमा एवं कुल ऋण राशि में प्रत्येक तहसील में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

## तालिका - 8 6

गोमती ग्रामीण बैंक का विकास-खण्डवार जमा, ऋण एव ऋण जमा  
अनुपात का प्रगति विवरण

(31 मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	विकास खण्ड	1997 98			1998 99			1999-2000		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनु	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिरकोनी	2277 1	554 81	24 37	2737 36	699 02	25 54	3858 20	802 34	20 80
2	बक्सा	473 42	198 46	41 92	605 76	237 11	39 14	668 23	253 30	37 91
3	सिकरारा	1111 35	379 23	34 12	1350 48	462 64	34 26	1570 76	489 05	31 13
4	करजाकला	987 49	331 31	33 55	1231 51	394 32	32 02	1425 10	427 53	30 00
5	धर्मापुर	225 06	122 37	54 37	304 49	143 88	47 25	327 91	159 40	48 61
6	मडियाहू	1559 75	489 27	31 37	2044 96	602 00	29 44	2435 60	686 53	28 19
7	बरसठी	1007 07	390 03	38 73	1292 03	466 96	36 14	1430 68	518 49	36 24
8	रामनगर	707 15	288 00	40 73	867 44	337 83	38 95	1061 64	381 94	35 98
9	रामपुर	1121 46	411 47	36 69	1409 88	471 04	33 41	1681 40	521 89	31 04
10	जलालपुर	1177 25	263 02	22 34	1469 05	331 05	22 53	1677 68	396 11	23 61
11	डोभी	601 33	189 10	31 45	481 33	222 57	28 49	948 34	367 71	38 77
12	केराकत	814 09	233 98	28 74	1008 82	281 20	27 87	1244 49	326 96	26 27
13	मुफ्तीगज	644 84	302 98	46 99	777 60	338 55	43 54	932 68	367 71	39 43
14	शाहगज									
	सोधी	1194 56	408 54	34 20	1593 31	431 55	27 09	1911 15	446 61	23 37
15	सुईथाकला	649 41	310 35	47 79	852 60	389 77	45 72	1057 87	412 86	39 03
16	खुटहन	781 69	434 07	55 53	973 24	517 64	53 19	1176 79	544 42	46.26
17	बदलापुर	752 73	349 72	46 46	1006 64	435 21	43 23	1260 62	467 95	37 12
18	महाराजगज	721 28	242 34	33 60	911 63	301 96	33 12	1092 64	231 15	21 15
19	सुजानगज	1121 04	307 97	27 47	1433 68	371 60	25 92	1717 33	437 28	25 46
20	मछलीशहर	1329 57	431 71	32 47	1634 95	505.51	30 91	1904 49	606 38	31 84
21	मुगरों									
	बादशाहपुर	649 17	276 84	42 65	877 31	324 76	37 02	1138 46	360 73	31 69

स्रोत : विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)

उपरोक्त तालिका 8 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा जनपद के सभी विकास खण्डों में पर्याप्त ऋण वितरण किया गया है। जिससे सम्पूर्ण जनपद का सन्तुलित विकास हो रहा है।

1999—2000 में सर्वाधिक ऋण विकास खण्ड मडियाहू में 686 53 करोड़ रुपये वितरित किया गया जबकि सबसे कम 159 40 धर्मापुर विकास खण्ड में। सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात धर्मापुर विकास खण्ड का है तथा सबसे कम सिरकोनी विकास खण्ड का है।

## शाखा विस्तार

दिनांक 31 03 2001 को बैंक की कुल 84 शाखाएँ थीं। शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण निम्न है

तालिका 8 7

### गोमती ग्रामीण बैंक की शाखाओं का वर्गीकरण

क्रमांक	क्षेत्रवार वर्गीकरण	शाखाओं की संख्या
1	शहरी शाखाएँ	2
2	अर्द्धशहरी शाखाएँ	6
3	ग्रामीण शाखाएँ	76
	<b>योग</b>	<b>84</b>

उपरोक्त तालिका 8 7 से स्पष्ट है कि यह बैंक जनपद जौनपुर के ग्रामीण विकास के लिए कृत सकल्प है। इसकी कुल 84 शाखाओं में से 76 शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6 अर्द्धशहरी क्षेत्र में स्थापित हैं जबकि शहर में मात्र दो शाखाएँ ही हैं।

## जमा संवृद्धि

1981 में बैंक का स्थापना वर्ष होने के कारण सबसे कम 16 95 लाख रुपये जमा हुआ। उसके पश्चात जमा धनराशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्ष का जमा सग्रह में वृद्धि निम्न प्रकार है

### तालिका 8 8

जनपद जौनपुर में गोमती ग्रामीण बैंक की जमा वृद्धि दर

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	जमाराशि	12926 74	16096 96	19906 63	25164 43	30530 05
2	विगत वर्ष पर					
	प्रतिशत वृद्धि	37 17	25 52	23 59	26 41	21 21

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक जमा वृद्धि दर 1995—96 में 37 17 प्रतिशत था न्यूनतम 21 23 प्रतिशत है इससे जमा सग्रह में उतार—चढ़ाव परिलक्षित होता है।

## ऋण वितरण

1981 में प्रथम वर्ष होने के कारण ऋण वितरण मात्र 5 67 लाख रुपये ही हो सका। परन्तु उसके पश्चात ऋण वितरण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विगत कुछ वर्षों में वृद्धि प्रतिशत निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 89

जनपद जौनपुर में गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण वितरण

(मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	ऋण राशि	5015.43	5943.89	6915.59	8271.14	9193.12
2	विगत वर्ष पर					
	प्रतिशत वृद्धि	20.97	17.91	16.93	19.60	11.15

उपरोक्त तालिका 89 से स्पष्ट है कि विगत पाच वर्षों में कुल ऋण वितरण में लगातार वृद्धि हुई है परन्तु वृद्धि प्रतिशत में उतार-चढ़ाव होता रहा है।

## पुनर्वित्त

बैंक ने राष्ट्रीय बैंक एवं प्रायोजक बैंक से हर संभव पुनर्वित्त प्राप्त करने का प्रयास किया। ऋण को उन्हीं परियोजनाओं में वित्त पोषण करने पर जोर दिया गया जो कि राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु पात्र थी। बैंक ने पहली बार 1998-99 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से सड़क परिवहन योजनान्तर्गत पुनर्वित्त प्राप्त किया गया परन्तु राष्ट्रीय बैंक की तुलना में सिडबी द्वारा पुनर्वित्त प्राप्ति में उच्च लागत अनुभव किया गया है। अतएव सिडबी द्वारा पुनर्वित्त प्राप्ति को द्वितीय प्राथमिकता दी गयी। विगत कुछ वर्षों में पुनर्वित्त की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है



## तालिका 8 10

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पुनर्वित्त

(धनराशि लाख रुपये में)

स्रोत	पुनर्वित्त		
	1997-98	1998-99	1999-2000
<b>(अ) राष्ट्रीय बैंक</b>			
1 अल्पावधि (मौसमी)	104 75	145 25	104 15
2 अल्पावधि (गैर मौसमी)	50 00	50 00	50 00
3 मध्यावधि (गैर योजनान्तर्गत)	शून्य	शून्य	शून्य
4 मध्यावधि (योजनान्तर्गत)	623 51	804 26	589 15
उपयोग	778 26	999 51	743 30
<b>(ब) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया</b>			
1 अल्पावधि (मौसमी)	41 90	60 00	74 00
2 अल्पावधि (गैर मौसमी)	20 00	20 00	24 00
3 मध्यावधि (गैर योजनान्तर्गत)	शून्य	शून्य	शून्य
4 मध्यावधि (योजनान्तर्गत)	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग	61 90	82 00	98 00
<b>(स) भारतीय लघु उद्योग विकास</b>			
बैंक	शून्य	24 72	15 54
उपयोग	शून्य	24 72	15 54
<b>सम्पूर्ण योग (अ+ब+स)</b>	<b>840 16</b>	<b>1106.23</b>	<b>856.84</b>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त पुनर्वित्त में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त 1999-2000 में 1998-99 की अपेक्षा 256 21 लाख रुपये कम है। शासन द्वारा प्रायोजित योजना 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' में पर्याप्त राशि वितरित न कर पाने के कारण राष्ट्रीय बैंक से अपेक्षित पुनर्वित्त नहीं प्राप्त किया जा सका।

## ऋण एवं अग्रिम अवशेष

बैंक के उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद जौनपुर के निर्बल वर्गों के आर्थिक उन्नयन एवं समाज के अत्यधिक निम्न वर्गों को वित्तीयन हेतु कृषि आधारित गतिविधियों लघु ग्रामीण कुटीर उद्योगों ग्रामीण हस्तशिल्प सेवा तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के साथ ही गैर लक्ष्य समूह को वित्त पोषित कर बैंक ने अग्रिम विनियोजन में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किया है। ऋणों एवं अग्रिमों का अवशेष विवरण निम्नानुसार है

### तालिका 8 11

#### ऋणों एवं अग्रिमों का अवशेष का क्षेत्रवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

स्रोत	अवशेष		
	31 3 98	31 3 99	31 3 2000
(अ) प्राथमिक क्षेत्र			
1 कृषि			
(अ) अल्पावधि ऋण	430 21	613 35	798 36
(ब) मियादी ऋण	767 43	1020 99	1054 45
(स) कृषि आधारित	1156 68	1285 88	1526 55
उपयोग	2354 32	2920 22	3379 36
2 कृष्येतर क्षेत्र			
लघु उद्योग	981 03	1080 15	1093 58
सडक उद्योग	370 84	432 38	387 70
खुदरा व लघु व्यापार तथा अन्य	2337 37	2694 81	2711 52
उपयोग	368 24	4207 34	4192 80
प्राथमिकता क्षेत्र का योग	6083 56	7127 56	7572 16
(ब) गैर प्राथमिकता क्षेत्र	872 03	1143 14	1620 96
सम्पूर्ण योग	6915 59	8271 14	9193 12

तालिका 8 11 से स्पष्ट है कि जनपद जौनपुर में बैंक द्वारा ऋण वितरण में निरन्तर वृद्धि हुई है। ऋण वितरण में प्राथमिकता क्षेत्र की वरीयता दी गयी है। कृषि ऋण में कृषि से सम्बन्धित कार्यों जैसे खाद बीज जुताई आदि के लिए ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है।

## वर्ष के दौरान ऋण वितरण

बैंक ने 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्राथमिकता आधार पर निर्बल वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान की है एवं सरकार द्वारा आयोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्राम विकास योजना एवं विशेष समन्वित योजना आदि के प्रवर्तन में सहभागिता की है। गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान किये गये ऋणों का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

### तालिका 8 12

#### ऋणों एवं अग्रिमों का अवशेष का क्षेत्रवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

विवरण	वितरित ऋण		
	31 3 98	31 3 99	31 3 2000
कृषि	781 28	1057 76	1105 18
लघु उद्योग	171 58	147 64	81 85
सेवा व्यापार और अन्य	963 59	868 44	1183 80
<b>योग</b>	<b>1916 45</b>	<b>2073 84</b>	<b>2370 83</b>

उपरोक्त तालिका 8 12 से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा सर्वाधिक ऋण का वितरण 2370 83 लाख रुपये मार्च 2000 में किया गया है। कृषि और सेवा व्यापार व अन्य क्षेत्रों में ऋण वितरण लगभग सामान्य है जबकि लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत बहुत कम है और यह प्रतिवर्ष घटता जा रहा है जैसे

मार्च 1998 1999 एव 2000 मे लघु उद्योगो को क्रमश 171 58 147 64 तथा 81 85 लाख रुपये ऋण उपलब्ध किया गया।

जनपद जौनपुर मे बैंक द्वारा विगत कुछ वर्षो मे प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो लक्ष्य और गैर लक्ष्य समूह के अन्तर्गत उपलब्धि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यको को सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमो लघु/सीमान्त कृषको/कृषि मजदूरो को वितरित किये गये ऋणो को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

**तालिका 8 13**

**कुल वितरित ऋणो का वर्गीकरण**

(धनराशि लाख रुपये मे)

विवरण	31 3.98	31 3 99	31 3 2000
कुल वितरित ऋण	2274 08	2557 46	2370 83
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के			
अन्तर्गत	1965 45	2073 84	1695 27
कुल वितरण का प्रतिशत	84 27	81 08	71 51
गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के			
अन्तर्गत	357 63	483 62	675 56
कुल वितरण का प्रतिशत	15 73	18 92	28 49
लक्ष्य समूह अन्तर्गत	1601 45	1800 58	1634 88
कुल वितरण का प्रतिशत	70 40	70 40	68 96
गैर लक्ष्य समूह अन्तर्गत	672 63	756 88	735 95
कुल वितरण का प्रतिशत	29 58	29 60	31 04
अनुसूचित जाति/जनजाति को	342 67	292 93	132 30
अल्पसंख्यको को	34 40	25 10	18 77
लघु/सीमान्त कृषको/कृषि मजदूरो को	607 66	755 84	818 04
एकीकृत ग्रामी विकास योजना			
स्वर्ण जग्रास्वरोज योनान्तर्गत	695 29	612 45	134 06
अन्य सरकारी योजनान्तर्गत	47 82	51 68	67 03

उपरोक्त तालिका 8 13 से परिलक्षित हो रहा है कि विगत तीन वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण 1998 1999 एव 2000 में क्रमशः 84 27 81 08 तथा 71 51 प्रतिशत है जो कि निरन्तर घट रहा है जबकि इसी अवधि में गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वितरित किये गये ऋण का प्रतिशत क्रमशः 15 73 18 92 तथा 28 49 है। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण में कमी तथा गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण में वृद्धि हो रही है। बैंक द्वारा अल्पसंख्यक एव अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों को ऋण वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा विभिन्न योजनाओं के लिए भी ऋण को उपलब्ध कराया जा सकता है।

बैंक द्वारा वार्षिक कार्य योजनान्तर्गत एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत तथा विशेष समन्वित योजनान्तर्गत वितरित ऋणों तथा उपलब्धि प्रतिशत को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

**तालिका 8 14**

**विभिन्न योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण तथा उपलब्धि प्रतिशत का विवरण**

(धनराशि लाख रुपये में)

योजना	वितरित ऋण					
	1997-98		1998-99		1999-2000	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
वार्षिक कार्य						
योजनान्तर्गत	2219 97	1916 45	2498 53	2073 84	2980 16	2370 83
उपलब्धि प्रतिशत		86 00		83 00		79 56
एकीकृत ग्राम विकास						
योजनान्तर्गत	782 33	695 29	754 25	612 45	190 00	134 06
उपलब्धि प्रतिशत		88 87		81 20		70 55
विशेष समन्वित						
योजनान्तर्गत	158 46	47 82	178 45	51 68	172 50	67 03
उपलब्धि प्रतिशत		30 17		28 96		38 86

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्षिक कार्य योजनान्तर्गत तथा एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। केवल 80 से 90 प्रतिशत के बीच लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जो कि सन्तोषजनक है परन्तु विशेष समन्वित योजनान्तर्गत मात्र 30 से 40 प्रतिशत तक ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका जो कि बैंक के लिए निराशाजनक कहा जा सकता है।

## **ऋण ब्याज दर संरचना**

बैंक द्वारा समय समय पर ऋण ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता रहा है। यह परिवर्तन शाखाओं से प्राप्त सुझावों बैकिंग प्रतिस्पर्धा तथा जनपद में कार्यरत व्यवसायिक बैंकों की वर्तमान ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है

तालिका 8 15

ऋण ब्याज दर संरचना में परिवर्तन

क्र स	ऋण की प्रकृति एव सीमा	ब्याज दर प्रतिशत में			
		22 9 97		1 10 2000	
		कृषि	अन्य	कृषि	अन्य
1	2	3		4	
1	ऋण सीमा का आकार				
	(1) 25000 रुपये तक	14	14	12.5	12.5
	(2) 25000 से 200000 रुपये तक	15	16	12.5	12.5
	(3) 200000 रुपये से अधिक				
	10 लाख रुपये तक	16	17.5	14.5	16.0
	(4) 10 लाख के ऊपर एव अन्य				
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	17	18	15.5	16.0
2	उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय पर ऋण	18	18	16	16
3	अन्य गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	18	18	17	17
4	सावधि जमा के विरुद्ध ऋण	देय ब्याज + 2 प्रति	देय ब्याज + 2 प्रति	देय ब्याज + 2 प्रति	देय ब्याज + 2 प्रति
5	सावधि जमा के विरुद्ध तृतीय पक्ष को ऋण	16.5	16.5	16	16

उपरोक्त तालिका 8 15 से स्पष्ट है कि कृषि ऋण पर ब्याज दर में रियायत प्रदान की गयी है। 1 अक्टूबर 2000 को ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत की कमी कर दी गयी है। अल्प ऋण के लिए ब्याज दर कम रखा गया है जबकि बड़ी मात्रो में ऋण पर ब्याज दर अधिक है।

## सर्वेक्षण

जनपद जौनपुर के कुल 21 विकासखण्ड है जिसमे प्रतिदर्श आधार पर 4 विकासखण्ड का चुनाव किया गया जो कि सम्पूर्ण जिले का प्रतिनिधित्व करते है। ये विकासखण्ड निम्न है

- 1 बरसठी
- 2 धर्मापुर
- 3 रामनगर
- 4 बदलापुर

सर्वेक्षण के लिए कुल 240 व्यक्तियों का चयन किया गया। प्रत्येक विकासखण्ड से 60 ऋण प्राप्तकर्ताओं का चयन किया गया है जिसमे यह प्रयास किया गया कि कृषि तथा गैर कृषि दोनों ही प्रकार के ऋणार्थी सम्मिलित हो जाय। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को जो कि 240 व्यक्तियों से सम्बन्धित है का निम्न तालिकाओं द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है

**तालिका 8.16**

### ऋण प्राप्तकर्ताओं का आय स्तर एवं ऋण की मात्रा

आय स्तर प्रति माह	ऋण प्राप्त करने वालो की संख्या	ऋण की राशि (हजार मे)
0-1000	37	367 34
1000-2000	112	1792 56
2000-3000	71	1775 89
3000 से अधिक	20	360 31
	<b>240</b>	<b>4296.10</b>

स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने वालो मे मध्यम आय स्तर वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है। 240 व्यक्ति मे से 112



व्यक्ति ऐसे थे जिनका मासिक आय स्तर 1000—2000 रुपये प्रतिमाह था इस प्रकार 46.67 प्रतिशत व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। मात्र 20 (8.33 प्रतिशत) व्यक्ति ऋण प्राप्त किये थे जिनकी आय 3000 रुपये से अधिक है।

गोमती ग्रामीण बैंक ने जनपद में कृषि तथा गैर कृषि दोनों ही क्षेत्रों में ऋण वितरित किया है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त विवरण निम्न है

**तालिका 8 17**

**कृषि एवं गैर कृषि ऋणों का विवरण**

(धनराशि हजार रुपये में)

विकास खण्ड	व्यक्तियों की संख्या	कुल ऋण	कृषि ऋण	गैर कृषि ऋण
धर्मापुर	60	1036.32	473.47	562.85
बरसठी	60	903.67	458.54	445.13
रामनगर	60	1207.43	732.56	474.87
बदलापुर	60	1148.68	743.49	405.19
	<b>240</b>	<b>4296.10</b>	<b>2408.06</b>	<b>1888.04</b>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धर्मापुर विकासखण्ड को छोड़कर सभी विकासखण्ड में कृषि क्षेत्र में अधिक ऋण प्रदान किया गया है। धर्मापुर विकासखण्ड में गैर कृषि ऋण अधिक है इसका प्रमुख कारण शहर की निकटता है यह जौनपुर शहर के पास का क्षेत्र है। कुल ऋण का 56.05 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में तथा 43.95 प्रतिशत गैर कृषि को ऋण वितरित किया गया है।

तालिका 8 18

कृषि ऋण का उद्देश्यवार विवरण

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र स	ऋण प्राप्ति के उद्देश्य	ऋण की राशि
1	2	3
1	जुताई के काम वाले पशु	342 42
2	दुधारू पशु	224 31
3	तेल इजन/पम्पिंगसेट/बिजली मोटर	764 42
4	अन्य औजार	145 43
5	बिजली चालित यंत्र	445 32
6	परिवहन गाडिया	49 69
7	खाद बीज तथा अन्य	436 47
<b>योग</b>		<b>2408 06</b>

उपरोक्त तालिका 8 18 से स्पष्ट है कि चार विकास खण्डों में गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में चयनित 240 व्यक्तियों को कुल 2408 06 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया जिसमें से सबसे अधिक ऋण इजन पंपसेट के लिए 746 42 हजार रुपये तथा सबसे कम परिवहन गाडिया के लिए 49 69 हजार रुपये वितरित किया गया है। खाद बीज के लिए कुल ऋण का 18 13 प्रतिशत (436 47 हजार रुपये) ही वितरित किया गया है।

## तालिका 8 19

## गैर कृषि ऋण का उद्देश्यवार विवरण

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र स	ऋण प्राप्ति के उद्देश्य	ऋण की राशि
1	2	3
1	स्थायी सम्पत्ति	764 64
2	कार्यशील पूजी	911 43
3	लेनदारो के भुगतान के लिए	211 97
<b>योग</b>		<b>1888.04</b>

उपरोक्त तालिका 8 19 से स्पष्ट है कि चार विकास खण्डो मे चयनित 240 व्यक्तियो मे गोमती ग्रामीण बैक द्वारा गैर कृषि ऋण सर्वाधिक कार्यशील पूजी के लिए प्रदान किया गया है जो कि कुल ऋण का 48 26 प्रतिशत है। 40 5 प्रतिशत ऋण स्थायी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए तथा 11 24 प्रतिशत लेनदारो का भुगतान करने के लिए प्रदान किया गया है।

## तालिका 8 20

## विभिन्न श्रोतों से प्राप्त ऋण

(घनराशि हजार रुपये में)

क्र स	स्रोत	ऋण की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4
1	गोमती ग्रामीण बैंक	4296 10	57 30
2	व्यवसायिक बैंक	1454 24	19 40
3	औद्योगिक बैंक	1034 24	13 79
4	मित्रो सम्बन्धियों से	3 56	0 05
5	व्यापारिक उधार	4 21	0 06
6	सहकारी समिति	115 24	1 54
7	भूमि विकास बैंक	516 44	6 89
8	अन्य ऋणदाता (साहूकार)	72 46	0 97
<b>योग</b>		<b>7496 49</b>	

उपरोक्त तालिका 8 20 से स्पष्ट है कि कुल ऋण का 57 30 प्रतिशत ऋण गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान किया गया है जबकि व्यवसायिक बैंको द्वारा मात्र 19 40 प्रतिशत ही ऋण उपलब्ध किया गया है। मित्र एव सम्बन्धियों व्यापारियों एव साहूकारों द्वारा एक प्रतिशत से भी कम मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया गया है जो कि ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में कोई विशेष महत्व नहीं रखता है।

## अध्याय - 9

निष्कर्ष एवं सुझाव

## निष्कर्ष एवं सुझाव

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के सन्दर्भ में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जिन उद्देश्यों के लिए इन बैंको की स्थापना की गयी थी उसमें सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में लघु कृषको सीमान्त कृषको दस्तकारों एवं भूमिहीन मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके लिए रोजगार के साधन सुलभ कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने उन्मुख किया है।

सामान्यतः निर्धनता की समस्या तो देश व्यापी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह अधिक प्रभावशाली है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या अशिक्षित है। अतः उनमें छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करने तथा उसके समुचित उपयोग करने की प्रेरणा इन्हीं ग्रामीण बैंको द्वारा दी गयी। बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाओं का समुचित उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और ग्रामीणों को महाजनो के ऋणग्रस्तता के दुश्चक्र से बचाया जा सका। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग सुविधा तथा सरकार की नवीनतम नीतियों से भी परिचित हो सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना कम लागत अवधारणा के आधार पर की गयी। परन्तु यह देखा गया कि सरकार की यह धारणा पूरी नहीं हुई और ग्रामीण बैंको को भी अपनी कार्य पद्धति व्यावसायिक बैंको के समान ही करनी पड़ी। निम्नलिखित से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

## शाखा विस्तार

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो मे 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने वित्त विहीन क्षेत्रो मे स्थापित 3004 शाखाओ के माध्यम से ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

गोमती ग्रामीण बैंक जनपद जौनपुर के दूर-दराज गावो मे 84 शाखा विस्तार के साथ ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

## जमा संग्रहण

इन बैको ने ग्रामीण क्षेत्रो मे छोटी-छोटी बचत को एकत्रित करके पूजा निर्माण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अनुमानत इनमे से 70 प्रतिशत जमा इन बैको के अभाव मे किसी भी बैंक को प्राप्त नही होता था और यह धन या तो अनुत्पादक कार्य मे लगा दिया जाता था या तो बेकार पडा रहता था। यह बैंक अपने कमान क्षेत्र से बचत को एकत्रित करके पुन उसी क्षेत्र मे लगा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है जबकि व्यावसायिक तथा अन्य बैंक ग्रामीण क्षेत्र से बचत को एकत्र करके अन्य औद्योगिक क्षेत्र मे निवेश करते है।

मार्च 2000 तक उत्तर प्रदेश मे कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की कुल जमा 84296 29 लाख रुपये थी जिनमे से 78.56 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रो से सम्बन्धित थी। अध्याय 5, 6 और 8 से परिलक्षित है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की जमाओ मे निरन्तर वृद्धि हुई है। अत यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन बैको ने ग्रामीण समाज से जमा संग्रह करने का गहन प्रयास किया है।

## ऋण वितरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दूर-दराज के वित्त विहीन ग्रामीण अंचलो मे अपनी शाखाओ का जाल बिछाकर ग्रामीण समाज को उचित मात्रा एव उचित समय पर कृषि कृषि आधारित उद्योगो भूमिहीन मजदूरो लघु एव कुटीर उद्योगो और परिवहन हेतु ऋण उपलब्ध करा रहे है। इन्होने अपने सम्पूर्ण ऋण का लगभग 73 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे वितरित किया है। 1999-2000 मे उत्तर प्रदेश मे 254164 82 लाख रुपये ऋण वितरित किया गया जिसमे से 74 35 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो से सम्बन्धित है।

जनपद जौनपुर मे 1999-2000 मे कुल 9193 12 लाख रुपये गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण वितरित किया गया जिसमे से 79 31 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो से सम्बन्धित है।

## ऋण जमा अनुपात

इन उपलब्धियो के बावजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लक्ष्यो को पूरा करने मे अधिक सफल नही हुए है स्थापना के प्रारम्भ के पाच वर्षो मे ऋण जमा अनुपात मे वृद्धि होती रही और दिसम्बर 1980 मे यह सम्पूर्ण भारत का 22 प्रतिशत हो गया लेकिन उसके पश्चात इसमे निरन्तर कमी होती गयी और वर्तमान मे यह मात्र 41 प्रतिशत रह गया जबकि उत्तर प्रदेश मे इससे भी कम 30 15 प्रतिशत ही है। जो कि सन्तोषजनक नही है। जनपद जौनपुर मे गोमती ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात मार्च 1998 मे 34 74 था जो कि मार्च 2000 मे घटकर 30 11 प्रतिशत हो गया है।



## आर्थिक स्थिति

अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की आर्थिक स्थिति खराब है और वे भारी घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल होंगे। घाटे की राशि में निरन्तर वृद्धि का कारण उनके द्वारा जो ऋण दिये जाते हैं उनकी वापसी नहीं होना है। इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पास नये ऋण देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं रहता। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लक्ष्य से गठित ये बैंक खुद सरकार पर एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गये हैं।

## परिकल्पना की अभिप्रेक्षा

इस प्रकार विभिन्न अध्याओं के समग्र अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने साहूकारों सहकारी बैंक तथा अन्य व्यावसायिक बैंको की कमियों को दूर किया है। ये बैंक ग्रामीण बचतों को गतिशील बनाने में भी सहायक हुए हैं तथा निष्क्रीय पूँजी को वित्तविहीन क्षेत्रों में विनियोग करने में सहायता प्रदान की है तथा स्वतः रोजगार के माध्यम से ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समस्याएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण विकास में अपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहा है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर व्यावसायिक बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों पर लिये जाने वाली ब्याज दर से अधिक है।

- 2 कृषि विस्तार ऐजेसियो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैको मे तालमेल का अभाव पाया जाता है।
- 3 भारतीय किसान गरीब व ऋणग्रस्त होने के कारण समय पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाते है जिससे ग्रामीण बैको को भी आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है।
- 4 ग्रामीण क्षेत्रो मे बैकिंग सुविधाओ के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण इलाको मे अन्य व्यापारिक बैंक भी अपनी शाखाए खोल रहे है जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को प्रतियोगिता करनी पड रही है।
- 5 भोली-भाली एव अशिक्षित ग्रामीण जनता और बैंक के बीच अनेक विचौलिए है जो कि दलाली लेकर ऋण दिलाने का कार्य करते है।
- 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए नाबार्ड की पुर्नवित्त सुविधा की नीति भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी कार्यक्रमो तथा उन्हे लागू करने के लिए ऋण वितरण की प्रतिवद्धता के कारण ग्रामीण बैको की ऋण वसूली शून्य होती जा रही है।
- 7 ऋण वसूली कार्यक्रम राजनीति से प्रभावित होते है। यही कारण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के अध्यक्ष एव निदेशक मण्डल द्वारा क्षेत्रीय समस्याओ के अनुरूप कोई उपयोगी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।
- 8 इन ग्रामीण बैको मे प्राय ऐसे कर्मचारियो की नियुक्ति की गयी जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे तथा उन्हे ग्रामीण समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता है।

- 9 इन बैंको की सबसे बड़ी समस्या आधार भूत ढाँचे की समस्या है। इन ग्रामीण बैंको को ऐसे जगह अपनी शाखाएँ खोलनी पड़ती है जहाँ यातायात डाकतार तथा भवन जैसी सुविधाएँ नहीं होती।
- 10 प्रायः ग्रामीण बैंको द्वारा जिन उद्देश्यों से ऋण दिये जाते हैं ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा उनका प्रयोग उसी के लिए न करके अन्यत्र किया जाता है।
- 11 ग्रामीण बैंको की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया जटिल है। इसमें अनेक प्रकार की कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। जिससे ग्रामीण जनता ऋण लेने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं।
- 12 कभी-कभी ऋण मिलने में इतना विलम्ब हो जाता है कि वह कार्य करना सम्भव ही नहीं रह जाता जिसके लिए ऋण प्राप्त किया जाता है।
- 13 ग्रामीण बैंक का कार्यभार उनके कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ गया है। कई ग्रामीण बैंक शाखाओं में तो स्थिति की दयनीयता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमें केवल एक ही कर्मचारी है तथा सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
- 14 प्रारम्भ में इन बैंको के संचालन के लिए प्रतिनियुक्त प्रवर्तक बैंको के अनुभव हीन अधिकारियों तथा ग्रामीण बैंको के अल्प प्रशिक्षित अधीनस्थों द्वारा कोष प्रबन्धन की खामियों के कारण इन्हे कोष का उचित लाभ नहीं मिल पाया।
- 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा उनकी शाखाओं के बेलगाम विस्तार के कारण ऋणों के आवेदन पत्रों की जाच ऋणों की स्वीकृत एवं भुगतान ऋणों के भुगतान के पश्चात् की कार्यवाही निगरानी

तथा ऋण की वापसी आदि के मामलो मे बैको की कार्यक्षमता के स्तर मे भारी गिरावट आयी है ।

## सुझाव

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है । परन्तु यदि निम्न कारणो के प्रति सवेदनशील हो तो आर्थिक विकास को और गति प्रदान की जा सकती है जिसका प्रभाव जनपद जौनपुर के विकास पर भी होगा । इस दिशा मे प्रयास प्रारम्भ करने हेतु निम्न सुझाव है

- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का प्रबध व सचालन प्रशिक्षित निष्ठावान व वचनबद्ध व्यक्तियो द्वारा होनी चाहिए जिससे सस्थागत वित्त को सफल बनाया जा सके ।
- 2 ग्रामीण बैको को भी व्यावसायिक बैको की तरह सभी प्रकार के बैकिंग व्यवसाय मे शामिल होने की छूट होनी चाहिए ।
- 3 ग्रामीण बैको से ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयो को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीणो की साहूकारो पर निर्भरता समाप्त हो सके ।
- 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा ऋण को ग्राम पचायत के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए । जिससे ग्रामीणो को दलालो से मुक्ति मिल सके ।
- 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को अपनी ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ।
- 6 इन ग्रामीण बैको को अपनी लागत घटाकर एव कार्यकुशलता बढ़ाकर हानियो को कम करने का प्रायास करना चाहिए जिससे कि इनकी जीवन क्षमता बनी रह सके ।

- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा लाभार्थियों को आवश्यकता पडने पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना चाहिए एवं समय समय पर उनकी समस्याओं का निदान करते रहना चाहिए जिससे कि बाद में ऋण अदायगी में कोई असुविधा न हो।
- 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शाखाओं को चाहिए कि जहां वे काम कर रहे हैं वहां पर अधिक से अधिक बचतों को अपनी ओर आकर्षित करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुरस्कार आदि प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था करें।
- 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा छोटे किसानों को ऋण देते समय जमानत देने में अधिक जोर नहीं दिया जाए बल्कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कृषकों की ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है।
- 10 ग्रामीण बैंको की शाखा विस्तार कुछ ही क्षेत्रों/प्रान्तों में केन्द्रित न करके सम्पूर्ण देश में किया जाना चाहिए जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या को कम किया जा सके।
- 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को ऋण सम्बन्धी नीति के सही निर्धारण एवं संचालन में अन्य वित्तीय अभिकरणों से जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत हैं समन्वय रखना चाहिए।
- 12 ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने के लिए उनकी वेतन विसर्गितियों, सुविधाओं एवं प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याओं का निदान करना चाहिए जिससे कि वे सही दिशा में कार्य करें एवं जनता में ग्रामीण बैंक की प्रतिष्ठा को बनाये रख सकें।

- 13 वित्तीय समस्या के सम्बन्ध में ग्रामीण बैंको को रिजर्व बैंक तथा अन्य प्रायोजक बैंको से रियायती दरो पर आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 14 ऋणों की वसूली की समस्या के निदान हेतु ग्रामीण बैंको द्वारा ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही दिये जाये और ऋणों के प्रयोग व वापसी पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए।
- 15 ग्रामीण बैंको द्वारा कृषि ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दरे कम होनी चाहिए और किसानों के विभिन्न वर्गों के ऋण के लिए ब्याज की अलग-अलग दरे निर्धारित होनी चाहिए।
- 16 छोटे व सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए अनुत्पादक ऋण भी आवश्यक है। इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार ऋण सुविधाएं ग्रामीण बैंको द्वारा उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगों को बन्धुआ मजदूर बनने से रोका जा सके।
- 17 कृषकों कृषि श्रमिकों सीमान्त कृषकों एवं दस्तकारों आदि से ग्रामीण बैंको को सतत् सम्पर्क बनाये रखना चाहिए जिससे कि उन पर एक दबाव बना रहे कि उन्हें ग्रामीण बैंको के ऋण वापसी भी करना है।

## नीतिगत उपाय

केन्द्रीय बैंक द्वारा ग्रामीण विकास के लिए निम्न बैंकिंग नीतियों लागू की गयी हैं<sup>1</sup>

---

1 स्रोत भारतीय आर्थिक समीक्षा 1998-99 1999-2000

- 1 ऋण आवेदन फार्मों करारो/दस्तावेजो आदि के सम्बन्ध मे कार्य प्रणाली को सरल बनाना ।
- 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह सुनिश्चित कर सकते है कि ऋण प्राप्तकर्ता का स्वीकृत पूर्व मूल्याकन ऋण प्राप्तकर्ता के आय स्रोत प्रस्तावित गतिविधि को अजाम देने की उसकी क्षमता ईमानदारी आदि और प्रस्ताव के तकनीकी व्यवहार्यता आदि पर केन्द्रित होना चाहिए ।
- 3 त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शाखा प्रबधको को शक्तियो का प्रत्यायोजन कम से कम 90 प्रतिशत ऋण आवेदनो का शाखा स्तर पर निपटान किया जाना चाहिए ।
- 4 सभी ऋण लेने वाले परिवारो के लिए सम्मिश्रण नकदी ऋण सीमा का आरभ किया जाना चाहिए ।
- 5 बचत सघटक के साथ नए ऋण उत्पाद का आरभ किया जाना चाहिए ।
- 6 ऋण का नगद सवितरण किया जाना चाहिए ।
- 7 जरूरी आवश्यकता के रूप मे अदेय प्रमाणपत्रो से छूट । अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त करना अब बैंकर के विशेषाधिकार पर छोड दिया गया है ।
- 8 10,000 रु से अधिक के कृषि ऋणो के लिए मार्जिन प्रतिभूमि आवश्यकताओ से सम्बन्धित मामलो पर बैंको को विवेकाधिकार प्रयोग करना चाहिए ।
- 9 कृषि ऋण का लक्ष्य विशेष कृषि ऋण योजनाओ' (एस ए सी पी) को तैयार करने के जरिए ऋण के प्रवाह पर आधारित होना चाहिए जिसका उद्देश्य प्रवाह को तीव्र करना तथा ऋण अदायगी की गणुवत्ता मे उल्लेखनीय सुधार हो ।

- 10 ग्रामीण शाखाओं के नियुक्त बैंक अधिकारियों के सबंध में मानव ससाधन विकास सम्बन्धी अनेक मामलों का निराकरण करना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनना और बने रहना दुर्जेय कार्य है। समर्पण पूर्ण गभीरता समस्याओं के समाधान के प्रयास के बिना यह सम्भव नहीं है। भारत में नियोजित ग्रामीण विकास नीति अपनाये जाने के कारण इनके विकास व विस्तार का महत्व और भी बढ़ जाता है। जिन उद्देश्यों व लक्ष्यों के लिए इन बैंकों की स्थापना की गयी है एवं जिन तरीकों व प्रक्रियाओं को अपनाया गया है वह उचित होते हुए भी उचित क्रियान्वयन के अभाव में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत व निष्पक्ष बनाया जाये और साथ ही ग्रामीण जनता की मानसिकता में परिवर्तन किया जाये तो सम्भव है कि ये बैंक ग्रामीण इलाकों का नक्शा ही बदल दे और भारतीय ग्राम व ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जाये।

इस समय सारी दुनिया जबरदस्त आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नयी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाये तथा चलाये जा रहे हैं। आर्थिक पुनर्गठन के इस दौर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने काम काज के तौर तरीकों में परिवर्तन करना होगा। उन्हें आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रद सस्थाओं के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण साख प्रणाली में सुधार के लिए पहल की है। अत आशा करनी चाहिए कि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान स्थिति में बदलाव आयेगा और ये ग्रामीण विकास में बेहतर योगदान दे सकेंगे।



# संदर्भ ग्रन्थ सूची

लेखक	पुस्तक
कृपा शकर	उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र इलाहाबाद
डॉ चर्तुर्भुज ममोरिया एव एस सी जैन	भारतीय अर्थशास्त्र साहित्य भवन आगरा
डॉ जगदीश नारायण मिश्रा	भारतीय अर्थव्यवस्था किताब महल, इलाहाबाद
डॉ जयन्ती प्रसाद नौटियाल	'कृषितर ग्रामीण ऋण और बैंको की भूमिका हिमालय प्रकाशन पब्लिक हाऊस मुम्बई
डी काक एम एच	केन्द्रीय बैंकिंग हिमालय प्रकाशन बम्बई
बी एस माथुर	भारत मे सहकारिता साहित्य भवन आगरा
एच सी शर्मा	बैंको का विकास साहित्य भवन आगरा
एच सी शर्मा	भारत मे बैंको का राष्ट्रीयकरण साहित्य भवन, आगरा
एच सी शर्मा	'मुद्रा बैंकिंग और राजस्व' साहित्य भवन, आगरा
एम एल गुप्ता	समाजशास्त्र साहित्य भवन आगरा
एम के राय	केन्द्रीय सहकारी बैंको का प्रबन्ध, साहित्य भवन आगरा

डॉ एम यल गुप्ता एव डॉ अनुपम अग्रवाल	उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन आजतक फरवरी 2000 साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
एन सी जोशी	भारत मे बैकिंग साहित्य भवन आगरा
डॉ एस ए अन्सारी	स्नातको के लिए अधिकोषण तथा बीमा डॉ एस ए अन्सारी टी एन भार्गव एण्ड सस कटरा इलाहाबाद
यू के वाजपेयी	ग्रामीण अर्थशास्त्र साहित्य भवन लखनऊ
रुद्र प्रकाश एव सुन्दरम	'भारतीय अर्थशास्त्र एस चान दिल्ली
श्याम लाल गौड	'विकासमान बैकिंग और ग्रामीण विकास हिमालय प्रकाशन बम्बई
श्याम कृष्ण पाण्डेय	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण अप्रकाशित शोध ग्रन्थ
कुसुम लता शर्मा	गढवाल मण्डल मे ग्रामीण वित्त का आलोचनात्मक अध्ययन — अप्रकाशित शोध ग्रन्थ
नरेन्द्र कुमार जैन	'भारतीय आर्थिक सीमक्षा मोरी गेट दिल्ली 'भारत 2000' प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार उत्तर प्रदेश 1999 सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

- A H Elias "Operational Problems of Rural Banking", Vora & Co Publishers, Bombay
- A B Kal Kundrikar RRB & Economic Development
- A F W Plumper "Central Banking in the British Divisions"
- A G N Reddy "Rural Dynamics Development" Chugh Publication, Allahabad
- A P Srivastava Role of Financial Institution in Economic Development - Unpublished Thesis
- Ansari Mohd Salman Working of the Regional Rural banks in Eastern Uttar Pradesh - Unpublished Thesis
- B P Agrawal "Commercial Banking in India after Nationalisation", Classical Publishing Compnay, New Delhi
- B N Chaubey "Principles and Practices of Cooperative Banking in India", Asia Publishing House
- B M L Nigam "Banking Law and Practice", Vani Educational Books, Ghaziabad

- B M L Nigam "Financial Analysis Techniques for Banking Division", Somaiya Publication Ltd , Bombay
- B M L Nigam "Banking and Economic Growth" Vora & Company, Bombay 1967
- D M Nithanji "Our Modern Banking and Monetary System" Bombay
- G Rollin, Thomas "A History of Savings Banks", Oxford University Press, London Take on Page no 104
- H S Shylendra Institutional Reforms and Rural Poor A case of Regional Rural Banks
- L C Jain "Indigenous Banking in India" Macmillan, London
- L Swaroop Resource Mobilisation of Economic Development in Uttar Pradesh - Unpublished, Thesis
- M C bhandari Report of the Committee on Restructuring of RRBs (Summary of Report)
- M R Vyas Evaluation and Management of RRBs

- N D Kamble "Poverty within Poverty", Sterling Publishers Pvt Ltd New Delhi
- N Prabhu Singh "Role of Development Banks in Planned Economy", Vikas Publishing House Ltd , Delhi
- N K Thingalaya "On Bankers and Economists" macmillan India Ltd , New Delhi
- O R Krishnaswamy "Fundamentals of Cooperation", New Delhi
- O P Mathur "Public Sector Banks in India's Economy" Sterling Publishers Pvt Ltd , New Delhi
- P B Trescott "Money Banking and Economic Welfare"
- PN Mehrotra Role of Financial Institutions in Economic Development - Unpublished Thesis
- R K Panda "Agricultural Indebtedness and Institutional Finance" Chugh Publications, Allahabad
- R K Pany "Institutional Credit of Agriculture in India" Chugh Publications, Allahabad

- R S Sayers "Lloyds bank in the History of Monetary System"
- S C Anand Hand books on Regional Rural Banks  
Allied Publishers Private Ltd , New  
Delhi
- S K Datta Service Conditions and Discipline code  
in RRBs
- S S M Desai "Rural banking in India" Himalaya Pub-  
lishing House, Bombay
- S L M Sinha "Retorms of the India Banking System"  
Orient Longman Ltd , Madras, Take on  
Page no 105
- Varde S D "Management Studies in Banks", Na-  
tional Institute of Bank Management,  
Bombay
- V Dutt "Banks Nation Lisation in Perspective"  
Publications Division GOI, New Delhi

# प्रतिवेदन एवं गजेटियर

गोमती ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

जिला सहकारी बैंक जौनपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

बैंकिंग जाँच समिति 1950 का प्रतिवेदन

बैंकिंग समिति 1972 का प्रतिवेदन

साख्यिकीय डायरी भारत सरकार

अर्थ एव सख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान लखनऊ

बैंकिंग साख्यिकीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की साख्यिकीय नाबार्ड

रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

रिजर्व ऑफ इण्डिया बुलेटिन

Uttar Pradesh District Gaxetters - Jaunpur, 1986 Published by the  
Government of Unttar Pradesh

Surrey of India Agriculture Hindu, 1999

Economic Surrey, 1999

Draft Ninth Five Yers Plan (1997-2002) Vol -I & II

Statistical out line of India Tata Economic Service 1998-1999

# पत्र एवं पत्रिका

योजना

कुरुक्षेत्र

जनसत्ता

Business India

Commerce

The Bankers

Economic Times

Hindustan Times

Financial Express



## हस्तलिखित पुस्तक

सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर 1998-99, 1999, 2000 कार्यालय  
अर्थ एव साख्याधिकारी अर्थ एव सख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान उत्तर  
प्रदेश ।

जौनपुर जिला वार्षिक योजना 1998-99, 1999-2000

## अधिनियम

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

उत्तर प्रदेश कृषि साख अधिनियम 1973

शोधकर्ता – विनोद कुमार पाण्डेय

## शोध प्रश्नावली

(कृषि ऋण)

**विषय** उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का योगदान—विशेष सदरभ गोमती ग्रामीण बैंक जनपद – जौनपुर।

**नोट** आपके द्वारा प्रदत्त सभी सूचनाएँ गोपनीय रखी जायेगी और उनका प्रयोग केवल शोध कार्य के लिए ही किया जायेगा।

- 1 नाम
- 2 जन्म—तिथि
- 3 पिता/पति का नाम
- 4 विकास खण्ड का नाम
- 5 पता (क) स्थायी –

स्थानीय –

- 6 (क) जाति  
(ख) वर्ग (अ) सामान्य जाति (ब) पिछड़ी जाति  
(स) अनुसूचित जाति (द) अनुसूचित जनजाति
- 7 परिवार के मुखिया का नाम
- 8 मासिक आय
- 9 परिवार के सदस्यों की संख्या  
(अ) वयस्क  
(ब) अवयस्क  
(स) कुल

- 10 मुख्य व्यवसाय
- 11 जोत का विवरण
- (अ) स्वामित्व की भूमि –
- (ब) पटटे अथवा किरायेदारी की भूमि –
- (स) बटाई की भूमि –
- 12 कृषि में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या
- 13 कृषि में लगी पूजा
- (अ) स्वामी पूजा
- (ब) ऋण पूजा
- 14 ऋण पूजा प्राप्ति के स्रोत

स्रोत	मात्रा	ब्याज की दर	वापसी अवधि	वापसी किस्त
1 सहकारी समिति				
2 भूमि विकास बैंक				
3 गोमती ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक)				
4 अन्य व्यवसायिक बैंक				
5 अन्य ऋणदाता (साहूकार)				

- 15 ऋण प्राप्ति के उद्देश्य
- (अ) जुताई के काम वाले पशु –
- (ब) दुधारू पशु –
- (स) तेल/इंजन/पम्पिंगसेट/बिजली मोटर –
- (द) अन्य औजार –
- (य) बिजली चालित यंत्र –
- (र) परिवहन गाड़िया –
- (ल) अन्य –

अनुमानित मूल्य

16 ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों –

1

2

3

4

17 ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों को दूर करने के उपाय –

1

2

3

4

18 क्या गोमती ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) ने ग्रामो विकास में योगदान दिया है –

(अ) विचार –

(ब) सुझाव –

शोधकर्ता – विनोद कुमार पाण्डेय

## शोध प्रश्नावली

(गैर कृषि ऋण)

**विषय** उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का योगदान—विशेष सदर्भ गोमती ग्रामीण बैंक जनपद – जौनपुर।

---

**नोट** आपके द्वारा प्रदत्त सभी सूचनाएँ गोपनीय रखी जायेगी और उनका प्रयोग केवल शोध कार्य के लिए ही किया जायेगा।

1 नाम

2 जन्म—तिथि

3 पिता/पति का नाम

4 विकास खण्ड का नाम

5 पता (क) स्थायी –

स्थानीय –

6 (क) जाति

(ख) वर्ग

(अ) सामान्य जाति

(ब) पिछड़ी जाति

(स) अनुसूचित जाति

(द) अनुसूचित जनजाति

7 परिवार के मुखिया का नाम

8 मासिक आय

- 9 परिवार के सदस्यों की संख्या  
(अ) वयस्क  
(ब) अवयस्क  
(स) कुल
- 10 मुख्य व्यवसाय
- 11 व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्या  
(अ) शिक्षित –  
(ब) अशिक्षित –  
(स) प्रशिक्षित –  
(द) योग –
- 12 व्यावसाय प्रारम्भ करने की तिथि
- 13 व्यवसाय में लगी पूंजी –  
(अ) स्वामित्व पूंजी  
(ब) ऋण पूंजी
- 14 ऋण प्राप्ति के स्रोत

स्रोत	मात्रा	ब्याज की दर	वापसी अवधि	वापसी किस्त
1 गोमती ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक)				
2 अन्य व्यवसायिक बैंक				
3 औद्योगिक बैंक				
4 मित्रो सम्बन्धियों से				
5 व्यापारिक उधार				
5 अन्य देनदारियाँ				

15 ऋण प्राप्ति के उद्देश्य

(अ) स्थायी सम्पत्ति –

(ब) कार्यशील सम्पत्ति –

(स) लेनदारों के भुगतान के लिए –

16 ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों –

1

2

3

4

17 ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों को दूर करने के उपाय –

1

2

3

4

18 क्या गोमती ग्रामीण बैंक ने औद्योगिक विकास में योगदान दिया है –

(अ) विचार –

(ब) सुझाव –